खण्ड-204, अंक-1
मंगलवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1881
(31 मार्च, 1959 ई0)

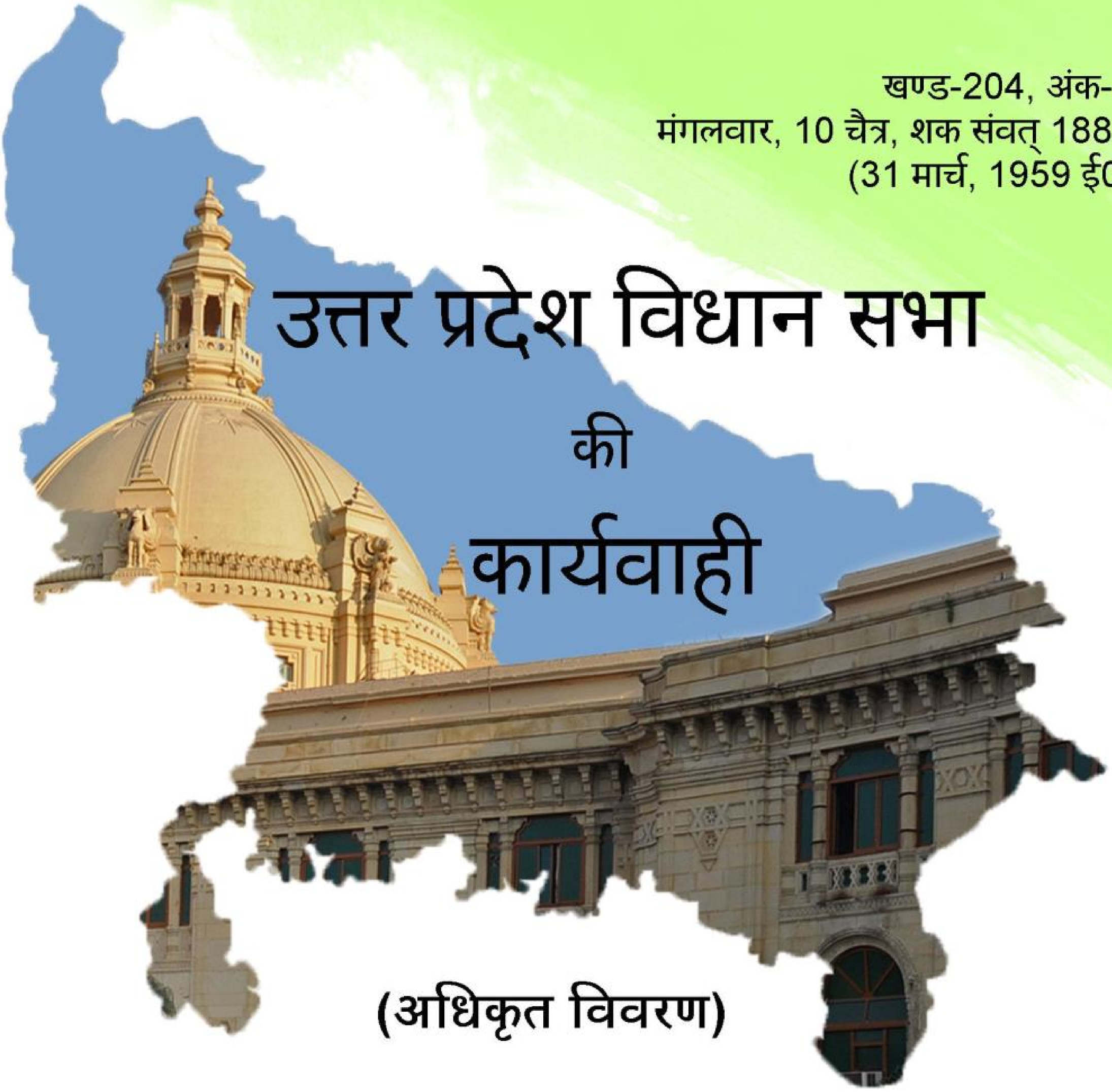

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 204 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A.
2078

विषय-सूची

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२५
अधिक प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति	२५
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	२५–२६
अमृत बाजार पत्रिका की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२७
सिधौली में लगान वसूली में अत्याचार के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२७
नियम ५२ के अन्तर्गत अमृत बाजार पत्रिका के हड़तालियों के जबरदस्ती हटाये जाने के विषय पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	२८–३०
हाई स्कूल की परीक्षा में कठिन प्रश्न-पत्र के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना (निर्णय स्थगित)	३०–३१
२४ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न १७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३१
'नवजीवन' द्वारा गलत कार्यवाही छापने पर आपत्ति	३२
श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (प्रतिवेदन स्वीकृत) ..	३२–५६
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार (समाप्त) ..	५७–६१
लोक सेवा आयोग की १९५५–५६ की वार्षिक रिपोर्ट पर विवाद (समाप्त)	६१–७९
नत्थियां	८०–८३

बुधवार, १ अप्रैल, १९५९

उपस्थित सदस्य	८५–८९
प्रश्नोत्तर	८९–१२६
श्री गौरी शंकर राय द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना ..	१२७
प्रश्नों के बार-बार स्थगन पर आपत्ति	१२७
प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब की शिकायत	१२७
डाक्टर बृजेन्द्रस्वरूप के निधन पर शोकोद्गार	१२७–१३०
श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१३०
मुबारकपुर टाउन एरिया में दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१३०–१३१

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम ५२ के अन्तर्गत रिहंद बांध की बिजली बिड़ला ब्रदर्स को देने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	१३१–१३३
१८ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न १६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१३४
भावी कार्य-क्रम के बारे में पूछ-ताछ	१३४
प्रकीर्ण पूछ-ताछ	१३४–१३५
सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा २५ स्थायी समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	१३५–१३७
श्री गेंदासिंह के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना ..	१३८
काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ के अधीन आलेख्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	१३८–१७१
गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (पारित) ..	१७२–१७७
कार्यक्रम में परिवर्तन	१७८
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतियां मेज पर रखी गयीं) ..	१७८
नत्थियां	१७९–१९५

बृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५९

उपस्थित सदस्य	१९७–२०१
प्रश्नोत्तर	२०१–२३३
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	२३३–२३४
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	२३४
भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	२३४–२३५
प्रश्नों का उत्तर देर से दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनाएं	२३५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	२३५
इलाहाबाद में बलुआघाट पर नाले का गन्दा पानी गिरने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२३५
श्री गेंदासिंह से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उठाये गये नये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	२३६–२३७
विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री गेंदासिंह की भर्त्सना	२३७–२४०
मनवा सिधौली परगने में तहसील कर्मचारियों की अभिकथित ज्यादतियों के सम्बन्ध में वक्तव्य	२४०–२४१
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ (जारी) ..	२४१–२८४
नत्थियां	२८५–३०७

शासन

राज्यपाल
श्रीवराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्
मन्त्री (जो मन्त्रि-मण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मन्त्री ।

मन्त्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक-कर तथा परिवहन मंत्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, खाद्य मंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री ।

उपमंत्री

श्री सुलतान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उपमंत्री ।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन उपमंत्री ।

श्री महावीर सिंह, विधान-परिषद-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री ।

मेरा पुस्तकालय सभा

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजबिहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

राजस्व मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य ।

बिहार प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री ..	.. पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री ..	.. कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	.. नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	.. अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	.. विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	.. कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	.. जसवंतनगर
९	अमरनाथ, श्री ..	.. महाराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	.. भिर्जापुर
११	अमोला देवी, श्रीमती	.. अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	.. सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	.. उतरौला
१४	अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	.. मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	.. भोजपुर
१७	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	.. सैदपुर
२२	आदि राम सिंघल, श्री	.. आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	.. राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	.. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री ..	.. सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री ..	.. बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री ..	.. बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	.. कानपुर शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री ..	.. सहसवान
३३	ऊदल, श्री ..	.. कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	.. कानपुर शहर
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहबाद
३६	कमरुद्दीन, श्री ..	.. बुधना
३७	कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी	.. करछना
३८	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चन्दौली
३९	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले	.. पुवायां
४०	कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु ..	.. इलाहाबाद शहर (दक्षिण)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४१	कल्याणराय, श्री ..	.. शाहाबाद
४२	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	.. महाइच
४३	कालीचरण अग्रवाल, श्री	.. कासगंज
४४	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	.. कादीपुर
४५	किशनसिंह, श्री ..	.. ठाकुरद्वारा
४६	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	.. सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री ..	.. मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री ..	.. मनीराम
४९	केशवराम, श्री ..	.. बिसौली
५०	कैलाशकुमारसिंह, श्री	.. इस्लामनगर
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	.. इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशप्रकाश, श्री ..	.. मेरठ शहर
५३	कैलाशवती, श्रीमती	.. छिल्लुपुर
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	.. छिबरामऊ
५५	कृपाशंकर, श्री ..	.. नगर
५६	खजानसिंह, चौधरी ..	.. उन्नाव
५७	खमानीसिंह, डाक्टर ..	.. मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री ..	.. मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री ..	.. पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री ..	.. धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री ..	.. एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	.. गोंडा (दक्षिण)
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	.. एटा
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री ..	.. रसरा
६५	गजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. विधुना
६६	गज्जूराम, श्री ..	.. ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	.. बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री ..	.. भोगांवा
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	.. बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री ..	.. कुंडा
७१	गयाबख्श सिंह, श्री ..	.. इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री ..	.. भवन
७३	गरीबदास, श्री ..	.. कालपी
७४	गिरधारी लाल, श्री ..	.. धामपुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री ..	.. सरेनी
७६	गुरुप्रसाद सिंह, श्री ..	.. मुसाफिरखाना
७७	गुलाबसिंह, श्री ..	.. मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती ..	.. खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री ..	.. पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुल प्रसाद, श्री ..	.. चायल
८१	गोपाली, श्री ..	.. खुर्जा
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	.. नारायनी
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	.. जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री ..	.. नगीना

सत्यमेव जयते

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८५	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री ..	.. अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री ..	.. फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री ..	.. बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	.. बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	.. भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	.. मोहम्मदाबाद गोहना
९१	चन्द्रदेव, श्री ..	.. पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	.. निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री ..	.. पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री ..	.. बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती ..	.. बिजनौर
९६	चान्द्रिकाप्रसाद, श्री ..	.. बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री ..	.. कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	.. कोंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	.. जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री ..	.. खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री ..	.. आगरा शहर
१०२	छेदीलाल, श्री ..	.. श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	.. सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	.. हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री	.. बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री	.. मोहम्मदी
१०७	जगदीशप्रसाद, श्री ..	.. हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	.. बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी ..	.. सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री ..	.. धौरहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री ..	.. फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री ..	.. करवी
११३	जगमोहनसिंह ेगी, श्री	.. गंगा सलाण
११४	जगवीरसिंह, श्री ..	.. अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री ..	.. गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर ..	.. हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री	.. घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री ..	.. टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद	.. बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री ..	.. मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	.. कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	.. किशनपुर
१२३	जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	.. कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	.. गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	.. मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	.. घाटमपुर
१२७	झारखंडेराय, श्री	.. घोसी
१२८	टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री	.. खैराबाद

विधान सभा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२९	टीकाराम, श्री	.. बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	.. सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री	.. राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	.. सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	.. मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	.. सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	.. लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	.. गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री	.. लखनऊ-शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	.. कानपुर-शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री	.. शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	.. बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी	.. नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	.. बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	.. अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	.. रुड़की
१४५	दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री	.. देवरिया (दक्षिण)
१४६	दुर्योधन, श्री	.. महाराजगंज
१४७	देवकीनन्दन विभव, श्री	.. आगरा शहर
१४८	देवदत्तसिंह, श्री	.. टप्पल
१४९	देवनारायण भारतीय, श्री	.. जमौर
१५०	देवराम, श्री	.. शादियाबाद
१५१	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	.. अकबरपुर
१५२	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	.. मुजफ्फरनगर
१५३	द्वारिका प्रसाद, श्री	.. कन्नौज
१५४	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	.. फरेंदा (पूर्व)
१५५	धनीराम, श्री	.. लालगंज
१५६	धनुषधारी पांडेय, श्री	.. महुली
१५७	धरमपाल सिंह, श्री	.. तुलसीपुर
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	.. सिरौली
१५९	धर्मसिंह, श्री	.. अनूपशहर
१६०	नत्थाराम रावत, श्री	.. बाराबंकी
१६१	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	.. फरीदपुर
१६२	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. करहल
१६३	नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	.. हाथरस
१६४	नन्दराम, श्री	.. कुंडा
१६५	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	.. चांदपुर
१६६	नरद्रसिंह भंडारी, श्री	.. केदारनाथ
१६७	नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री	.. पिथौरागढ़
१६८	नवलकिशोर, श्री	.. आंवला
१६९	नागेश्वरप्रसाद, श्री	.. गरवारा
१७०	नारायणदत्त तिवारी, श्री	.. नैनीताल
१७१	नारायणदास पासी, श्री	.. बीकापुर (पश्चिम)
१७२	निरंजनसिंह, श्री	.. पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१७३	नेकराम शर्मा, श्री	.. अतरौली
१७४	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	.. अतरौलिया
१७५	पब्बरराम, श्री	.. गाजीपुर
१७६	परमानन्द सिनहा, श्री	.. सोरांव (पश्चिम)
१७७	परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री	.. पुर्वा
१७८	पहलवानसिंह, चौधरी	.. बांदा
१७९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	.. मेरठ (छावनी)
१८०	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	.. फखरपुर
१८१	प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री	.. लहरपुर
१८२	प्रतापसिंह, श्री	.. टनकपुर
१८३	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	.. लम्भुआ
१८४	प्रभुदयाल, श्री	.. बानगंगा (पश्चिम)
१८५	फतेहसिंह राणा, श्री	.. सरधना
१८६	बंशीधर शुक्ल, श्री	.. श्रीनगर
१८७	बलदेवसिंह, श्री	.. महदेवा
१८८	बलदेवसिंह आर्य, श्री	.. शाहाबाद
१८९	बलवानसिंह, श्री	.. अकबरपुर
१९०	बसन्तलाल, श्री	.. लखनऊ (छावनी)
१९१	बादामसिंह, श्री	.. शिकारपुर
१९२	बाबूराम, श्री	.. भोजीपुरा
१९३	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	.. प्रतापगंज
१९४	बालकराम, श्री	.. तिलहर
१९५	बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री	.. डोमरियागंज (दक्षिण)
१९६	बिन्दुमती दास, श्रीमती	.. प्रतापगंज
१९७	बिशम्बरसिंह, श्री	.. हस्तिनापुर
१९८	बिहारीलाल, श्री	.. बीसलपुर
१९९	बुलाकी राम, श्री	.. हरदोई
२००	बुद्धीलाल, श्री	.. नानपारा
२०१	बुद्धीसिंह, श्री	.. बहजोई
२०२	बृजबासी लाल, श्री	.. बीकापुर (पश्चिम)
२०३	बृजरानी मिश्र श्रीमती	.. बिल्हौर
२०४	बेचनराम, श्री	.. ज्ञानपुर
२०५	बेचनराम गुप्त, श्री	.. ज्ञानपुर
२०६	बेनीबाई, श्रीमती	.. मऊ
२०७	बैजूराम, श्री	.. सिधौली
२०८	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	.. पडरौना (पश्चिम)
२०९	ब्रजभूषणशरण, श्री	.. देहरादून
२१०	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	.. कानपुर शहर
२११	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	.. भावापुर
२१२	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	.. प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री	.. भगवन्तनगर
२१४	भगौती प्रसाद वर्मा, श्री	.. बाराबंकी
२१५	भजनलाल, श्री	.. औरैया
२१६	भीखालाल, श्री	.. हसनगंज

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२१७	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	.. इटावा
२१८	भूपकिशोर, श्री	.. अलीगंज
२१९	मंगलाप्रसाद, श्री	.. मेजा
२२०	मंजूरुलनबी, श्री	.. सहारनपुर
२२१	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	.. नौगढ़
२२२	मदनगोपाल वैद्य, श्री	.. अमोसन
२२३	मदन पांडेय, श्री	.. तिलपुर
२२४	मदनमोहन, श्री	.. फैजाबाद
२२५	मन्नालाल, श्री	.. मोहम्मदी
२२६	मलखानसिंह, श्री	.. सिकन्दराराव
२२७	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. मैनपुरी
२२८	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	.. डासना
२२९	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	.. स्वार टांडा
२३०	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	.. मुजफ्फराबाद
२३१	महमूद हुसैन खां, श्री	.. सम्भल
२३२	महादेव प्रसाद, श्री	.. फखरपुर
२३३	महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री	.. केवाई
२३४	महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. लखनऊ शहर (मध्य)
२३५	महीलाल, श्री	.. बिलारी
२३६	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	.. बाह
२३७	महेशसिंह, श्री	.. हरदोई
२३८	माताप्रसाद, श्री	.. शाहगंज
२३९	मान्धातासिंह, श्री	.. कोपाचीत
२४०	मिहरबानसिंह, श्री	.. भरथना
२४१	मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री	.. रुदौली
२४२	मुक्तिनाथ राय, श्री	.. गोपालपुर
२४३	मुजफ्फर हुसन, श्री	.. चायल
२४४	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	.. बीसल
२४५	मुबारकअली खां, श्री	.. उसेहट
२४६	मुरलीधर, श्री	.. माहुल
२४७	मुरलीधर कुरील, श्री	.. बिल्हौर
२४८	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	.. सफीपुर
२४९	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	.. वाराणसी शहर (उत्तर)
२५०	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
२५१	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	.. बानगंगा (पूर्व)
२५२	मुहम्मद हुसैन, श्री	.. बरेली छावनी
२५३	मूलचन्द, श्री	.. मिसरिख
२५४	मोतीलाल अवस्थी, श्री	.. कानपुर (देहात)
२५५	मोहनलाल, श्री	.. महोबा
२५६	मोहनलाल गौतम, श्री	.. कोयल
२५७	मोहनलाल वर्मा, श्री	.. संडीला
२५८	मोहनसिंह मेहता, श्री	.. दानपुर
२५९	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	.. रायबरेली (उत्तर)
२६०	यमुनासिंह, श्री	.. शादियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२६१	यशपाल सिंह, श्री	.. देवबन्द
२६२	यशोदादेवी, श्रीमती	.. बांसगांव
२६३	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	.. जौनपुर
२६४	रऊफ जाफरी, श्री	.. मछलीशहर
२६५	रघुनाथसहाय यादव, श्री	.. किशनपुर
२६६	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब	.. सादुल्ला नगर
२६७	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	.. बुलन्दशहर
२६८	रघुवीर राम, श्री	.. मोहम्मदाबाद
२६९	रघुवीर सिंह, श्री (एटा)	.. जलेसर
२७०	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	.. बागपत
२७१	रणबहादुरसिंह, श्री	.. हरैया (पश्चिम)
२७२	रमाकांत सिंह, श्री	.. अमेठी
२७३	रमानाथ खैरा, श्री	.. ललितपुर
२७४	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	.. बरसाथी
२७५	राघवराम पांडेय, श्री	.. गोंडा (दक्षिण)
२७६	राघवेंद्रप्रताप सिंह, श्री	.. मनकापुर
२७७	राजकिशोर राव, श्री	.. इकौना
२७८	राजकुमार शर्मा, श्री	.. चुनार
२७९	राजदेव उपाध्याय, श्री	.. सिधुवाजोबना
२८०	राजनारायण, श्री	.. कसवार सरकारी
२८१	राजनारायणसिंह, श्री	.. अहरौरा
२८२	राजबिहारी सिंह, श्री	.. कसंवर राजा
२८३	राजाराम शर्मा, श्री	.. खलीलाबाद
२८४	राजेंद्र किशोरी, श्रीमती	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८५	राजेंद्रकुमारी, श्रीमती	.. मौदहा
२८६	राजेंद्रदत्त, श्री	.. शिकारपुर
२८७	राजेंद्रसिंह, श्री	.. गोंडवा
२८८	राजेंद्र सिंह यादव, श्री	.. शमसाबाद
२८९	राम अधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९०	राम अभिलाख, श्री	.. गोंडा (उत्तर)
२९१	रामकिंकर, श्री	.. पट्टी
२९२	रामकुमार वैद्य, श्री	.. अमरोहा
२९३	रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. कंतित
२९४	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	.. फर्रुखाबाद
२९५	रामचन्द्र उनियाल,	.. रवाईं
२९६	रामचन्द्र विकल श्री	.. सिकन्दराबाद
२९७	रामजीलाल सहायक, श्री	.. सरधना
२९८	रामजी सहाय, श्री	.. सिलहट
२९९	रामदास आर्य, श्री	.. जानसठ
३००	रामदीन, श्री	.. करहल
३०१	रामनाथ पाठक, श्री	.. दोआबा
३०२	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	.. सुरहुरपुर

क्रमसं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३०३	रामपाल त्रिवेदी, श्री	.. मलीहाबाद
३०४	रामप्रसाद, श्री	.. सलोन
३०५	रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. कोयल
३०६	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैंसडाउन
३०७	रामबली, श्री	.. मुसाफिरखाना
३०८	राममूर्ति, श्री	.. बहेड़ी
३०९	रामरतन प्रसाद, श्री	.. रसरा
३१०	रामरती देवी, श्रीमती	.. अकबरपुर
३११	रामलक्षण तिवारी, श्री	.. बांसडीह (पूर्व)
३१२	रामलखन, श्री (वाराणसी)	.. चन्दौली
३१३	रामलखन मिश्र, श्री	.. बांसी (पश्चिम)
३१४	रामलखनसिंह, श्री	.. रारी
३१५	रामलाल, श्री	.. नगर
३१६	रामवचन यादव, श्री	.. माहुल
३१७	रामशरण यादव, श्री	.. मोहनलालगंज
३१८	रामसनेही भारतीय, श्री	.. बबेरू
३१९	राम समझावन, श्री	.. केराकत
३२०	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	.. एतमादपुर
३२१	रामसुन्दर पांडेय, श्री	.. नत्थूपुर
३२२	रामसूरत प्रसाद, श्री	.. पिपराइच
३२३	रामस्वरूप यादव, श्री	.. जसराना
३२४	रामस्वरूप वर्मा, श्री	.. भोगनीपुर
३२५	रामहेत सिंह, श्री	.. छाता
३२६	रामायण राय, श्री	.. पडरौना (दक्षिण)
३२७	रामेश्वर प्रसाद, श्री	.. बछरावां
३२८	रुक्नुद्दीन खां, श्री	.. कोंहडौर
३२९	रूर्मासिंह, श्री	.. खेरा नजेहरा
३३०	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	.. काशीपुर
३३१	लक्ष्मणराव कदम, श्री	.. गरोथा
३३२	लक्ष्मण सिंह, श्री	.. रानीखेत (दक्षिण)
३३३	लक्ष्मीनारायण, श्री	.. पहाड़पुर
३३४	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	.. फतेहाबाद
३३५	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट
३३६	लखमी सिंह, श्री	.. इगलास
३३७	लायक सिंह, चौधरी	.. शिकोहाबाद
३३८	लालबहादुर सिंह, श्री	.. केराकत
३३९	लुत्फअली खां, श्री	.. हापुड़
३४०	लोकनाथ सिंह, श्री	.. कटेहर
३४१	वजरंग बिहारी लाल रावत, श्री	.. हैदरगढ़
३४२	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	.. जमानिया
३४३	वसी नक़वी, श्री	.. रोखा
३४४	वासुदेव दीक्षित, श्री	.. खागा
३४५	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	.. मोदीनगर
३४६	विजयशंकर सिंह, श्री	.. मुहम्मदाबाद
३४७	विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती	.. शाहाबाद

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३४८	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	.. देवप्रयाग
३४९	विशाल सिंह, श्री	.. भिटौली
३५०	विश्राम राय, श्री	.. आजमगढ़
३५१	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	.. करांद
३५२	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	.. फतेहपुर-सीकरी
३५३	वीरसेन, श्री	.. हापुड़
३५४	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	.. कैराना
३५५	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	.. बहराइच (दक्षिण)
३५६	वीरेन्द्र शाह, राजा	.. कालपी
३५७	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	.. महोबा
३५८	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	.. घाटमपुर
३५९	शंकर लाल, श्री	.. कादीपुर
३६०	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	.. हरौरा
३६१	शब्बीरहसन, श्री	.. खजुहा
३६२	शमसुल इस्लाम, श्री	.. निधपुर
३६३	शम्भुदयाल, श्री	.. संडीला
३६४	शांति प्रपन्न शर्मा, श्री	.. हरद्वार
३६५	शिवगोपाल तिवारी, श्री	.. सफीपुर
३६६	शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)	.. सिधुवाजोबना
३६७	शिव प्रसाद नागर, श्री (खीरी)	.. खीरी
३६८	शिवमंगल सिंह, श्री	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमूर्ति सिंह, श्री	.. फूलपुर
३७०	शिवराजबली सिंह, श्री	.. फतेहपुर
३७१	शिवराज बहादुर, श्री	.. नवाबगंज
३७२	शिवराज सिंह यादव, श्री	.. बिसौली
३७३	शिवराम, श्री	.. अफजलगढ़
३७४	शिवराम पांडेय, श्री	.. डेरापुर
३७५	शिववचनराव, श्री	.. सलेमपुर (दक्षिण)
३७६	शिवशंकर सिंह, श्री	.. डलमऊ
३७७	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	.. इकौना
३७८	शीतलाप्रसाद, श्री	.. तरबगंज
३७९	शोभनाथ, श्री	.. राबर्ट्सगंज
३८०	श्याम मनोहर मिश्र, श्री	.. लखनऊ (छावनी)
३८१	श्यामलाल, श्री	.. माट
३८२	श्यामलाल यादव, श्री	.. मुगलसराय
३८३	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	.. किथोर
३८४	श्रीकृष्णगोयल, श्री	.. उझानी
३८५	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	.. खैरागढ़
३८६	श्रीनाथ, श्री	.. मोहम्मदाबाद गोहना
३८७	श्रीनाथ भार्गव, श्री	.. मथुरा
३८८	श्रीनिवास, श्री	.. गांगिरी
३८९	श्रीपालसिंह, कुंवर	.. शाहगंज
३९०	संग्राम सिंह, श्री	.. सोरांव (पूर्व)
३९१	सईद अहमद अन्सारी, श्री	.. ज्वालापुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९२	सजीवन लाल, श्री	..	हसनगंज
३९३	सत्यव्रतीदेवी रावल, श्रीमती	..	दादरी
३९४	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९५	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	सरजू
३९६	सिया दुलारी, श्रीमती	..	करवी
३९७	सीताराम, डाक्टर	..	सिलहट
३९८	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (पूर्व)
३९९	सुक्खनलाल, श्री	..	हसनपुर
४००	सुखरानी, श्रीमती	..	फतेहपुर
४०१	सुखराम दास, श्री	..	टांडा
४०२	सुखलाल, श्री	..	औरैया
४०३	सुखीराम भारतीय, श्री	..	फूलपुर
४०४	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	..	मऊ
४०५	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	सलोन
४०६	सुन्दरलाल, श्री	..	फरीदपुर
४०७	सुरथबहादुर शाह, श्री	..	निघासन
४०८	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर
४०९	सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार	..	पुवायां
४१०	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां
४११	सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज
४१२	सूरतचन्द रमोला, श्री	..	टेहरी
४१३	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा
४१४	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	बांसी (पूर्व)
४१५	हमीदुल्ला खां, श्री	..	चारदा
४१६	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१७	हरदयालसिंह, श्री	..	जलालाबाद
४१८	हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१९	हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२०	हरिदत्त काण्डपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४२१	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	दातागंज
४२२	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	पाली
४२३	हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२४	हरीसिंह, श्री	..	किथौर
४२५	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२६	हिम्मतसिंह, श्री	..	देबाई
४२७	हुकुम सिंह विसेन, श्री	..	कैसरगंज
४२८	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४२९	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४३०	(रिक्त)	..	शिवपुर
४३१	(रिक्त)	..	बरौत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी०ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्रीरामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

पुस्तकाध्यक्ष

श्री बृजेन्द्रनारायणसिंह, एम० ए०, एल–एल० बी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
मिर्जापुर पटेरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९

132510

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग़ाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य , श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह , श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन , श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव , श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९

[प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित]

तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३-५---**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)---[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

[३१ मार्च, १९५९ के लिये निर्धारित प्रश्न]

घाघरा पर दोहरीघाट के पुल को रोड-कम-रेल पुल बनाने की प्रार्थना

*१---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---विधान सभा के १२-८-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्रीबताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास दोहरी घाट घाघरा नदी के पुल को रोड-कम-रेल (Road-cum-Rail) बनाने के बारे में अपनी सिफारिश भेजी है ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री महावीरसिंह)---जी नहीं।

*२---**श्री मुक्तिनाथराय**---यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इसके लिये सिफारिश करेगी ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि 'जी नहीं' का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को रोड-कम-रेल ब्रिज बनाने की सिफारिश नहीं भेजी, बल्कि केन्द्रीय सरकार ने प्रान्त के पास भेजी थी ।

श्री मुक्तिनाथराय---इस पुल के बनाने में वर्तमान योजना के अनुसार कुल कितना धन व्यय होगा और रोड-कम-रल ब्रिज बनाने में कितना अधिक धन व्यय होगा ?

श्री महावीरसिंह---केवल सड़क का पुल बनाने में ९१.४० लाख रुपये खर्च होंगे और रेल-कम-रोड के बारे में सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मुक्तिनाथराय---सरकार की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि वाराणसी से चन्दवक घाट लालगंज दोहरीघाट होते हुये गोरखपुर तक रेलवे लाइन बनाने की एक योजना प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है, उस योजना को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी कि इस पुल को रेल-कम-रोड पुल ही बनाया जाय ?

श्री महावीरसिंह---योजनायें भेजी जा चुकी हैं तो अब प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार उनके दोनों के मानी हां होते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इन दो प्रश्नों का अलग अलग उत्तर है । एक ही प्रश्न के अगर दोनों प्रकार के उत्तर होते तो शायद ऐसा अर्थ हो जाता ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---थर्ड फाइव ईयर प्लान बनाने के वक्त रेल-कम-रोड ब्रिज बनाने के प्रश्न पर क्या विचार किया जायगा ?

श्री महावीरसिंह---जब समय आयेगा तब यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है ।

झूसी के पैण्टून ब्रिज पर व्यय

*३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के झूंसी जाने वाले पैन्टून ब्रिज बनाने में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितना-कितना धन पुल बनाने में और उसे हटाने में खर्च हुआ ?

श्री महावीरसिंह---सन् १९५६-५७ में पुल बनाने तथा हटाने में क्रमशः २०,३८७ रुपया और २,१८३ रुपया खर्च हुआ । सन् १९५७-५८ में पुल बनाने व हटाने में क्रमशः १७,१०४ रुपया तथा १,८७१ रु० खर्च हुआ ।

*४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद का झूसी जाने वाला पुल, पैंटून ब्रिज यातायात के लिये १९५८ के दिसम्बर महीने में कई दिन बन्द पड़ा था ? यदि हां, तो कितने दिन उस पर आने-जाने का रास्ता बन्द रहा ?

श्री महावीरसिंह---पुल २९ दिसम्बर, सन् १९५८ को बन कर तैयार हुआ और यातायात के लिये खोल दिया गया । इसके बाद दिसम्बर माह में पुल बन्द नहीं रहा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह पुल विभाग के द्वारा बनाया जाता है या ठेके से ?

श्री महावीरसिंह---विभाग द्वारा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---यह पुल जो बनाया गया था यह नावों का बनाया गया था या पीपों का बनाया गया था ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी आपको ज्यादा होगी । आप ऐसा प्रश्न न पूछें जो इम्तिहान के लिये हो । आप को मालूम हो तो आप दूसरा प्रश्न पूछें ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह पुल किस तारीख को खुलता है और किस तारीख को बन्द होता है ?

श्री महावीरसिंह---जब बनकर तैयार हो जाता है तब खोल दिया जाता है और जब बरसात की आशंका हो जाती है तो बन्द कर दिया जाता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में पुल के बनाने में खर्चे में कमी होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---खर्चा कम हुआ इसलिये कम लिखा गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह वही पेंन्टून ब्रिज है जिसके टूट जाने पर २० आदमी डूब गये थे ?

श्री महावीरसिंह---जी हां ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि पिछले साल यह पुल पीपों का बना था और अब नावों से बना और इसलिये कमजोर होने के कारण कम खर्च हुआ और इसी वजह से टूट गया ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं उनसे यह पूछने की क्या आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि सन् १९५७-५८ में पुनः निवेदन विभाग से किया गया कि इसकी मरम्मत करा दी जाय, परन्तु विभाग ने मरम्मत नहीं करायी जिसके कारण यह दुर्घटना हुई ?

श्री महावीरसिंह---ऐसा तो नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में पूरे वर्ष में यह पुल कितने दिन बन्द रहा ?

श्री महावीरसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*५---**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित पन्द्रहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६-७---**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)---[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---[गृह मंत्री से सम्बन्धित ३ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहाबाद-पाली सड़क के निर्माण की मांग

*९---**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में शाहबाद से पाली तक सड़क बनवाने की मांग वहां की जनता तथा विधान सभा के सदस्यों द्वारा गत कई वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क के बनवाने का कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग-जी हां ।

द्वितीय भाग---इस सड़क का निर्माण द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है और इस कारण से इस का निर्माण वर्तमान योजना काल में सम्भव नहीं है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या यह सही है कि शाहबाद-पाली सड़क बनवाने की मांग वहां की जनता तथा विधान सभा के सदस्यों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ही की थी ?

श्री महावीरसिंह---इसकी मांग तो काफी दिनों से है ।

*१०---**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि**---[मुख्य मंत्री से संबंधित उन्नीसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*११-१२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[गृह मंत्री से संबंधित सोलहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २८-२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४-१५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६-१७--श्री रामस्वरूप वर्मा--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८-१९--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०--श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१--श्री देवनारायण भारतीय--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२४--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

सरदारनगर चीनी मिल-गहयांपार ट्राम्वे लाइन में ली जाने वाली भूमि के लिये विरोध

*२५--श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--दिनांक ३ मार्च, १९५९ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या १५, १६ व १७ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरदारनगर शुगर मिल से गहयांपार तक प्रस्तावित ट्राम्वेलाइन में जिन किसानों की भूमि acquire करने का प्रस्ताव है उन किसानों की ओर से कितने आवेदन-पत्र इसके विरोध में अब तक सरकार के पास आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरसिंह--इस सम्बन्ध में किसानों के ५ संयुक्त आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं तथा सरकार उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने में असमर्थ है ।

श्री रामसूरतप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि उन पांच संयुक्त आवेदन-पत्रों में किसानों ने क्या प्रार्थनायें की हैं ?

श्री महावीरसिंह--इसको बदल कर दूसरा मार्ग अख्तियार करने के बारे में वे हैं।

श्री रामसूरतप्रसाद--क्या सरकार के पास उक्त ट्रामवे लाइन के मार्ग के सम्बन्ध में कोई अन्य सुझाव आये हैं ?

श्री महावीरसिंह--प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है कि पांच संयुक्त आवेदन पत्र आये हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरदारनगर शुगर मिल से जो ट्रामवे लाइन निकाली जा रही है यह सिर्फ मिल के काम के लिये है या आम जनता के लाभ के लिये है ?

श्री महावीरसिंह--सरकार आम जनता के फायदे के लिये काम करती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस ट्रामवे लाइन के लिये कितने किसानों की कितने एकड़ भूमि एक्वायर की जा रही है ?

श्री महावीरसिंह--इसके लिये करीब ११०.९७ एकड़ भूमि प्राप्त होने का अन्दाजा है । बाकी उसके डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर से अभी पूछे गये हैं, उत्तर नहीं आया है, आने पर बता सकते हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ कर्जे के रूप में इस शुगर मिल को दिया है ?

श्री महावीरसिंह--जी हां ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस ट्राम्वेलाइन पर किसानों की सवारी का भी प्रबन्ध है या खाली गन्ना ढोने का है ?

श्री महावीरसिंह--विशेष तौर से गन्ना ढोने का ।

*२६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७-२८--**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३०--**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१--**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३२-३४--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५--**श्री होरीलाल यादव**--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६-३७--**श्री गयूरअली खां** (जिला मुजफ्फरनगर)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८-३९--**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि**--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२-४३--**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४--**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)--[१४ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सड़कों में वृद्धि

*४५---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९४५ ई० को कितने मील पुख्ता सड़कें थीं और दिसम्बर, १९५८ ई० को कितने मील हो गयी हैं ?

श्री महावीरसिंह---उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९४५ को ८,६६२ मील पुख्ता सड़कें थीं और दिसम्बर, १९५८ को १२,७८४ मील पुख्ता सड़कें हो गई हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि १९४६ से १९५८ तक ४,१२२ मील लम्बी सड़कें बनाई गईं, इनमें कुछ जिले ऐसे रह गये हैं जहां कोई भी सड़क नहीं बनाई गई है ?

श्री महावीरसिंह---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार जहां-जहां जितनी सड़कें हैं उसी के लिहाज से बनाई जा रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस काल में कितनी ज्यादा सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

श्री महावीरसिंह---ज्यादा डिटेल्स में तो इस समय मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितनी तादाद थी उससे बहुत ज्यादा बना ली हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायंगे कि जो ४,१२२ मील लम्बी सड़कें बनी हैं उनमें कितनी हाईवेज की थीं और कितनी छोटी-छोटी सड़कें थीं ?

श्री महावीरसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं थीं ?

श्री महावीरसिंह---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अलावा बेकारी निवारण के अन्तर्गत भी सड़कें बनी हैं, सी० सी० ट्रैक के अनुसार बनी हैं और श्रमदान के अनुसार भी कुछ सड़कें हैं यानी सभी सड़कें इनमें शामिल हैं ।

कसया-पिपराघाट सड़क पर घाघी नदी के पुल निर्माण की शिकायत

*४६---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कसयापिपरा घाट रोड, जिला देवरिया की घाघी नदी के पुल के सम्बन्ध में जो निर्माण हो रहा है कोई शिकायत सरकार को मिली है ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री महावीरसिंह---मालूम हुआ है कि यह पुल अंतरिम जिला परिषद् द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। इससे सम्बन्धित शिकायतों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि गत १९५६ की बाढ़ में इस पुल से डेढ़ हाथ पानी ऊपर होकर बहा था जिसके कारण वह पुल टूट गया और वह पहले लोहे के गर्डर्स का था। अब ५ हाथ नीचे पाये कम करके उसके ऊपर मेहराब बनाई जा रही है जिससे पानी का घेरा कम हो रहा है ?

श्री महावीरसिंह---अंतरिम जिला परिषद् ज्यादा ठीक उत्तर दे सकेगा ।

नन्हेड़ा ग्राम के निकट काजवे को चौड़ा करना

*४७--श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या निर्माण मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर जिले की रुड़की से इकबालपुर शुगर मिल को जाने वाली सड़क पर नन्हेड़ा ग्राम के पास जन-निर्माण विभाग से पुल बनने वाला था उसके बनने में देर का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह--इस नाले पर कोई पुल बनने वाला नहीं था। ह्यूमपाइप का एक काजवे बनवाया गया था जिसको पिछली वर्षा में कुछ हानि पहुंची। अब इस काजवे को और चौड़ा किया जा रहा है और आशा है कि १५ अप्रैल, १९५९ तक यह कार्य पूरा हो जायगा।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस काजवे की लागत कितनी थी और यह सार्वजनिक विभाग द्वारा या ठेकेदार द्वारा बनाया गया है ?

श्री महावीरसिंह--डिटेल्स के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि काजवे को कितना चौड़ा किया जायगा और कितना रुपया लगेगा ?

श्री महावीरसिंह--दो अतिरिक्त ढाई फिट के ह्यूम पाइप लगाकर चौड़ा करने की जरूरत है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ह्यूम पाइप रुड़की से इक्वालपुर शुगर मिल को जाने वाली सड़क पर नन्हेड़ा गांव के पास है या इससे अलग है ?

श्री महावीरसिंह--सड़क पर है और बाकी डिटेल्स मैं नहीं बता सकता।

*४८--श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--[राजस्व मंत्री से संबंधित बीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गढ़वाल जिले के भवन निर्माण-कार्यों के अनुदान का व्यपगत धन

*४९--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले में नव निर्माण-कार्यों के लिये रखी गई धनराशि में से कितना रुपया Lapse हुआ और क्यों हुआ ?

श्री महावीरसिंह--१९५६-५७ में ७,४४,००० रु० की व्यवस्थित धनराशि में से ५,६३,००० रु० तथा १९५७-५८ में ३,४३,००० रु० की व्यवस्थित धनराशि में से ८०० रु० व्यपगत (lapse) हुआ। सम्पूर्ण बचत भवन निर्माण कार्यों पर हुई जिसका कारण निर्माण स्थल का प्राप्त न होना, आगणन की प्रशासनीय स्वीकृति का प्राप्त न होना और कुछ कार्यों का प्रशासनीय विभागों द्वारा स्थगित कर दिया जाना था।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण स्थल और प्रशासकीय स्वीकृति के हासिल न होने तथा विभागीय स्थगन के कारण कौन-कौन से निर्माण-कार्य न हो सके ?

श्री महावीरसिंह--डिटेल बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करूंगा। निर्माण कार्य का नाम--राजकीय पालीटेकनिक, श्रीनगर (गढ़वाल) के पुनस्संगठन के संबंध में भवन निर्माण (मूल अनुदान २,०३,००० रु०,) कर्णप्रयाग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण (मूल अनुदान २,००,००० रु० थोक रकम में से) लैन्स डाउन (गढ़वाल) में बालिकाओं के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण) (मूल अनुदान १,२५००० रु० थोक रकम में)।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या निर्माण मंत्री को मालूम है कि पालीटेकनिक श्रीनगर के न बनने का कारण बिल्डिंग मैटिरियल का अभाव बतलाया गया है ?

श्री महावीरसिंह--कार्यस्थल उपलब्ध न होने के कारण यह स्थगित कर देना पड़ा ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी, जो यह काम रोके गये इन पर अपनी नीति बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए फिर से रुपया दिया जायगा या नहीं ?

श्री महावीरसिंह--दूसरे विभाग जैसी आज्ञा देते हैं हम बनवा देते हैं । हम तो मजदूर हैं ।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, लखनऊ के मकानों का बकाया किराया

*५०--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के मकानों में जो किराये पर उठे हैं, उनमें ट्रस्ट तथा म्युनिसिपल बोर्ड के कितने आफिसर रहते हैं और उन पर ट्रस्ट के मकानों का कितना किराया बाकी है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का केवल एक मकान ट्रस्ट के सहायक अभियन्ता, श्री सत्य नारायण, के अधिकार में है । उन पर ३१ मार्च, १९५९ तक १४७ रु० बाकी है ।

*५१--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम तथा पद बताने की कृपा करेंगी जो लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के किराये के मकानों में रह रहे हैं और उन पर मकानों का किराया बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--

नाम तथा पद

१--गवर्नमेंट स्टेट आफीसर ।

२--श्री राममूर्ति, भूतपूर्व मंत्री ।

३--श्री डी० एस० गहलोट, उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

४--श्री एच० के० सिन्हा, ए० डी० एल० आर० ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के एलाटमेंट का क्या तरीका है ?

श्री रामस्वरूप यादव--एक कमेटी बनी हुई है । उसके द्वारा इनका एलाटमेंट होता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--जो चार नाम माननीय मंत्री जी ने बताए हैं उन लोगों के ऊपर कितना किराया बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--गवर्नमेंट इस्टेट आफिसर पर १,९५६.५४ रुपये, श्री राममूर्ति पर ६३९.४८ रुपये, श्री गहलौट पर १,३०६.९४ रुपये पैसे और श्री सिनहा पर ९०२.८३ रुपये बाकी हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सज्जनों पर इतनी-इतनी रकम बाकी क्यों रहने दी गई ?

श्री अध्यक्ष--यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ का सवाल है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस्टेट आफिसर पर कितना किराया बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया । आपने सुना नहीं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब एस्टेट आफिसर पर १,९५६ रुपया ५४ नया पैसा बकाया है तो उनके खिलाफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपना बिल भेजा है और उसको चुकाने का उन्होंने वादा किया है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मकानों पर सरकार को क्या नेट ईल्ड होता है और डेप्रिशियेशन के लिए क्या परसेंटेज रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मैंने कहा न कि यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का सवाल है । यह सरकार का सवाल नहीं है । तो यह आप नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सज्जनों पर कितने-कितने दिनों से किराया बाकी चला आ रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—गवर्नमेंट एस्टेट आफिसर पर पहली फरवरी, सन् ५७ से १०–११–५८ तक, श्री राममूर्ति पर ११–११–५८ से ३१–३–५९ तक, श्री गहलोट पर २३ अप्रल, सन् ५८ से ३१–३–५९ तक और श्री सिनहा पर मेरे पास तिथि नहीं है कि कब से बाकी है, लेकिन उन्होंने शायद कोई रुपया नहीं दिया है इस वक्त तक ,सभी बाकी होंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करगे कि लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने सरकार को भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि सरकार इस बकाया किराये को वसूल करने में ट्रस्ट की सहायता करे ?

श्री रामस्वरूप यादव—नहीं । सरकार को वसूल करने के लिए नहीं लिखा गया है । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्वयं वसल करेगा ।

उरई नगरपालिका पर सरकारी बकाया

*५२—**श्री गोविंदनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५७ से उरई नगरपालिका पर सरकार का कितना कर्जे का रुपया बकाया है और इस अवधि में कितना रुपया सरकार को नगर-पालिका उरई ने अदा किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका, उरई पर सरकार का नवम्बर, १९५७ से अब तक (८ मार्च, १९५९) ८६,०१० रुपया बकाया है । इस अवधि में नगरपालिका ने १३,९९० रुपया अदा किया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरा रुपया अदा न करने का नगरपालिका ने क्या कारण बतलाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह किस्तों में दे रही है और कुछ बाकी है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—यह रुपया किस काम के लिये कर्ज दिया गया था और उस कार्य में व्यय हुआ या नहीं ?

नोट—प्रश्न संख्या ५२ श्री गौरीशंकर राय ने पूछा ।

श्री रामस्वरूप यादव—१-११-५७ से ८-३-५९ तक १ लाख रुपया दिया और इस बीच में १३,००० रु० की अदायगी हो गई। उसमें ८६,००० रुपया बाकी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया किन शर्तों पर दिया गया था और किस्तों में रुपया उन शर्तों के मुताबिक है या नगरपालिका की कठिनाइयों के कारण सरकार को शर्तें बदलनी पड़ीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने पिछली बार भी लिखा था कि उनकी किस्त ३ वर्ष के लिये स्थगित कर दी जाय। सरकार ने वह मंजूर नहीं किया। इस वर्ष उन्होंने फिर लिखा है कि उनकी कठिनाई है और किस्त कुछ समय के लिये बढ़ा दी जाय।

श्री देवनारायण भारतीय—कुल मिलाकर कितना रुपया बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब कुल रुपया १२,०८,९४७ की धनराशि कर्जे के रूप में बाकी है।

श्री प्रतापसिंह—१ लाख रुपया जो सरकार से मांगा गया था वह वाटरवर्क्स के लिये मांगा था या किस कार्य के लिये मांगा था ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास जो कागजात हैं उनसे यह जाहिर होता है कि यह कर्जा वाटरवर्क्स के लिये ही मांगा गया था। अगर और किसी काम के लिये हो तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगवीरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस काम के लिये वह रुपया मांगा गया था उस काम में खर्च किया गया या नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिसके लिये जो रुपया होता है उसी में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

बदरीनाथ मार्ग में अलकनन्दा पर पुल निर्माण

*५३—**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बदरीनाथ मार्ग में जो बेला कूची पर अलकनन्दा का पुल बन रहा है वह अगली मई मास में मुकम्मल हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, मई के अन्त तक पुल को यातायात के लिये खोले जाने की आशा है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री बदरीनाथ मंदिर के पट ११ मई को खुल जायेंगे और यदि उससे पहले पुल तैयार नहीं होता है तो यात्रियों को कष्ट होगा ?

श्री महावीरसिंह—इसमें कोई शक नहीं कि बदरीनाथ मन्दिर के पट ११ मई को खुल रहे हैं। प्रयत्न पूरा हो रहा है कि जल्दी से जल्दी बन जाय, लेकिन अन्दाजा यह है कि मई के अन्तिम सप्ताह तक यह पुल बन के तैयार हो जायगा।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि टेम्पोरेरी तौर पर कुछ गाड़ियां उस पार उतार दी जायं और वह यात्रियों को पुल के उस पार से ले जाया करें ?

श्री महावीरसिंह—ट्रांसपोर्ट विभाग को जरूर लिखा गया है कि उस तरफ ट्रांसशिपमेंट कर दिया जाय, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर क्या निर्णय किया इसका हमको पता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल कब से बनाया जा रहा है ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

रायबरेली जिले में सड़कों को पक्का करना

*५४—**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)—क्या यह सच है कि रायबरेली जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की की जाने वाली सड़कों में से अभी कोई भी सड़क पूरी पक्की नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—रायबरेली जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित निर्माण कार्यों का विवरण सदस्य महोदया की मेज पर रखी सूची में दिया हुआ है।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ नम्बर सड़क जो बताई गई उस पर पहली पंचवर्षीय योजना में क्या यह काम नहीं शुरू हुआ ?

श्री महावीरसिंह—जवाब तो उसी में दिया हुआ है।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री महावीरसिंह—इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में पूरा करने का प्रोग्राम है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८० पर)

गजरौला-हसनपुर सड़क पर मनौरे के पुल का पुनर्निर्माण

*५५—**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में गजरौला-हसनपुर सड़क पर मनौरे का पुल कब टूटा था ?

श्री महावीरसिंह—सितम्बर, १९५७ में।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पुल अभी पूरा हुआ या नहीं ?

श्री महावीरसिंह—इस वर्ष बरसात आरम्भ होने के पहले ही तैयार हो जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पुल के सन् १९५८ में पूरा हो जाने की आशा थी तो यह ५८ में क्यों पूरा नहीं हो सका ?

श्री महावीरसिंह—निर्माण कार्य फरवरी, सन् १९५८ में आरम्भ कर दिया गया था।

श्री जगदीशप्रसाद—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पुल के ५८ में ही पूरा हो जाने की योजना थी तो ५८ में यह पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री महावीरसिंह—बहुत सी बातें आती हैं। टेंडर मांगे जाते हैं और फिर कुछ और सामान भी इकट्ठा करना होता है, उसमें देर लगती है।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस पुल का एक गोला टेढ़ा हो गया था ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पुल के टूटने पर जो दोबारा एस्टीमेट हुआ वह कितने का था ?

श्री महावीरसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

पलिया–हुसैनपुर सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*५६—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या अन्तरिम जिला परिषद, खीरी ने जनवरी, सन् १९५९ में सरकार से यह सिफारिश की है कि पलिया–हुसेनपुर रोड, तहसील निघासन का १६ मील का टुकड़ा इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्का कर दिया जाय ?

श्री महावीरसिंह—जी हां।

*५७—श्री जगन्नाथप्रसाद—यदि वह ठीक है तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया ?

श्री महावीरसिंह—यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रस्ताव कब तक स्वीकार कर लिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह—इस पर विचार हो रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका कोई एस्टीमेट बन चुका है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री महावीरसिंह—मन्जूर हो जाने के बाद ही एस्टीमेट डिटेल में बनता है। ऐसे छोटा-मोटा एस्टीमेट तो बताया जा सकता है।

श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या यह प्रस्ताव वर्षाकाल के पहले स्वीकार कर लिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह—मैंने कहा इस पर विचार हो रहा है।

गोंडा फारेस्ट डिवीजन के कुवाना क्षेत्र में ठेकेदारों को लकड़ी न मिलना

*५८—श्री रामअभिलाख (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि गोंडा फारेस्ट डिवीजन के अन्तर्गत कुवाना रेन्ज में कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने किस्त के मुताबिक रुपया तो अदा कर दिया है लेकिन अभी तक उनके जंगल से लकड़ी निकालने की इजाजत नहीं दी गई है ?

*५९—यदि हां तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कब से यह प्रयत्न किया जा रहा है और यह कब तक पूर्ण हो जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—थोड़ी सी इनफारमेशन आयी थी, वह पूरी नहीं थी। उसके बारे में डिवीजनल फारेस्ट आफीसर से जवाब मांगा है। जो सूचना अभी तक आयी है, उससे मालूम होता है कि एक ठेकेदार ऐसा है जिसकी जमानत तो जमा है, लेकिन उसने कुछ पेड़ नाजायज तौर से काट लिये थे। उसको लकड़ी निकालने से रोक दिया गया है। इंक्वायरी हो रही है। इस सिलसिले में बहुत सी तफसील मांगी गयी है और सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—क्या जब पूर्ण सूचना आ जायगी तो माननीय मंत्री जी उसकी एक प्रतिलिपि प्रश्नकर्त्ता के पास भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—नियमानुसार जो हुक्म होगा वह किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में यह नियम है कि जब उत्तर तैयार हो जाता है तब वह दे दिया जाता है।

नोट—प्रश्न संख्या ५८–५९ श्री गोविन्दसिंह बिष्ट ने पूछे।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने ऐसे दरख्त हैं, जो नाजायज तौर पर काटे गये हैं और उस सिलसिले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—अभी तो यह पता ही ठीक नहीं है कि कितने दरख्त काटे गये। रिपोर्ट यह थी कि कुछ दरख्त काटे गये इसलिये उसको लकड़ी ले जाने से रोक दिया गया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब जंगल से चोरी से लकड़ी नाजायज तौर पर काटी गयी तो मामला अदालत में क्यों नहीं भेजा गया, उसका फैसला अपने हाथ में ही क्यों ले लिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—हमारा इसके लिये एक कानून है, रूल्स हैं, उनके मातहत कार्यवाही हो रही है । जब जरूरी होता है तो अदालत भी भेजा जाता है ।

*६०—श्री गौरीशंकर राय, (जिला बलिया) तथा शिवप्रसाद नागर—[मुख्य मंत्री से संबंधित अठारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मौदहा में जल कल लगाने की योजना

*६१—श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ माह पूर्व मौदहा टाउन एरिया कमेटी ने मौदहा कसबे में वाटर वर्क्स चालू करने हेतु प्रस्ताव द्वारा कर्ज मांगा है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—टाउन एरिया कमेटी, मौदहा ने अभी तक कोई प्रार्थना पत्र वाटरवर्क्स योजना के संबंध में सरकार से ऋण लेने के लिये नहीं भेजा है ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौदहा टाउन एरिया में जलकल लगाने के लिये विभागीय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, उन्होंने ६ हजार रुपया जो प्रोजेक्ट फीस है, जमा कर दी है । उसके लिये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ।

बिलग्राम नगरपालिका को सड़कों के लिए अनुदान

*६२—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिलग्राम नगरपालिका, जिला हरदोई को १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में सरकार द्वारा सड़क बनाने के लिये कितना-कितना अनुदान मिला था ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका, बिलग्राम को १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

वर्ष				अनुदान
१९५७–५८	..	..	..	४,२०० रुपये
१९५८–५९	..	..	..	४,५०० रुपये

*६३—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सब अनुदान पूरा-पूरा नगरपालिका ने खर्च कर लिये और इंजीनियर ने प्रमाण-पत्र दे दिया कि ठीक ठीक इस धन का उपयोग किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका ने अभी तक इन अनुदानों में से कुछ भी धन उपयोग नहीं किया है और यह अनुदान पूर्णतया उसके पास सुरक्षित ह ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कभी नगरपालिका बिलग्राम से इस बात का जवाब मांगा गया कि वह इस दो, दो साल के अनुदान का आज तक उपयोग क्यों नहीं कर सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जवाब मांगने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पहला अनुदान १९५७–५८ का ३१ मार्च, १९५९ तक खर्च करने का उनको अधिकार था और यह १९५८–५९ का अनुदान उनको ३१ मार्च, १९६० तक खर्च करने का अधिकार है। तो यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकारी अनुदान द्वारा नगरपालिका बिलग्राम में जो सड़कें बनायी गयी हैं उनके खिलाफ नगरपालिका के सदस्यों ने जिलाधीश महोदय को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसमें काफी गोलमाल किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक इन दोनों अनुदानों का संबंध है, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर कोई शिकायत हो तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कष्ट करेंगे कि नगरपालिका बिलग्राम इन दोनों अनुदानों का उपयोग क्यों नहीं कर सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनकी अपनी दिक्कतें होंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब नगरपालिका ने १९५७–५८ का अनुदान नहीं खर्च किया था तो उसे १९५८–५९ में क्यों अनुदान दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९५७–५८ के अनुदान का उपयोग करने का अधिकार उनको ३१–३–५९ तक है और फिर सरकार की यह नीति है कि अगर वे निश्चित समय में रुपये का उपयोग न कर सके तो वह समय बढ़ा दिया जाता है। तो १९५८–५९ का अनुदान जो उनको मिलना चाहिये, जो उनका हक था, वह दिया गया।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिश का ध्यान रखते हुए कि जब तक पुराना अनुदान समाप्त न हो जाय, नया न दिया जाय, उसका पालन कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सिफारिश का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन पिछले अनुदान को खर्च करने का उनको ३१ मार्च, १९५९ तक हुक्म था, तो उसके न होने से उनका आगे का भी अधिकार छीन लिया जाय, यह कैसे कहा जा सकता है ?

श्री देवनारायण भारतीय—१९५७–५८ में जो अनुदान दिया गया था वह ३१–३–५९ तक व्यय हो जाना चाहिये था। यह समय बीत गया और वह उपयोग में नहीं आया, इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि उपयोग में नहीं लाया गया।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह उपयोग में नहीं लाया गया।

श्री रामस्वरूप यादव—आज तक की सूचना तो नहीं है, लेकिन अगर न भी उपयोग मे आया हो तो मैंने निवेदन किया कि सरकार की नीति है कि समय बढ़ा दिया जाता है और इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर)---इस नगरपालिका को क्या १९५९-६० में भी कुछ अनुदान दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

महाराजगंज के उत्तर में छोटी सरजू पर पुल की आवश्यकता

*६४---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला नियोजन समिति ने इस वर्ष कई महीने पूर्व सगड़ी तहसील में महाराजगंज कस्बे के उत्तर छोटी सरजू नदी पर पुल के निर्माणार्थ सरकार से अनुदान स्वीकृत करने के निमित्त कोई प्रस्ताव भेजा था ?

*६५---यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ?

श्री महावीरसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मुक्तिनाथराय---इस सूचना के एकत्र करने में देर क्यों हो रही है और वह कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह---सूचना सिंचाई विभाग से संबंध रखती है इसलिये देर हो रही है ।

गोंडा फारेस्ट डिवीजन में ठेकेदारों पर बकाया

*६६---**श्री रामअभिलाख** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा फारेस्ट डिवीजन के अन्तर्गत ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनके ऊपर पिछले सालों का रुपया बकाया पड़ा है ?

श्री सैयद अली जहीर---१९ ठेकेदार ऐसे हैं जिनके ऊपर पिछले सालों का रुपया बकाया पड़ा है ।

*६७---**श्री रामअभिलाख** (अनुपस्थित)---क्या सरकार जब तक उन ठेकेदारों का पुराना मतालबा न अदा हो जाये तब तक के लिये जंगल से उनके द्वारा लकड़ी की निकासी रोकने तथा पुराना मतालबा एक निश्चित समय तक न अदा होने पर उनके ठेके रद्द करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर---उपरोक्त ठेकेदारों में से केवल दो ठेकेदारों को इस साल लकड़ी का ठेका दिया गया है । इन दो ठेकेदारों पर जो बकाया रुपया पड़ा है उसे उनके माल की बिक्री द्वारा वसूल किया जा रहा है । रुपया के वसूली में रुकावट होने पर उनके द्वारा लकड़ी की निकासी तथा उनके ठेके रद्द करने पर विचार हो सकता है । बाकी पुराने ठेकेदारों से बकाया रुपया जिलाधीशों द्वारा वसूल किया जा रहा है ।

अल्पाय वर्ग गृह निर्माणार्थ ऋण

*६८---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) में कितना रुपया कम आय वाले व्यक्तियों को गृह निर्माण ऋण देने को था ? उसमें से कितना केन्द्रीय सरकार से मिला था ?

श्री रामस्वरूप यादव---कम आय वाले व्यक्तियों को स्वयं गृह निर्माण हेतु ऋण देने के लिये सन् १९५८-५९ में ७७,७९,८०० रु० का प्राविधान किया गया है । उक्त ऋण की समस्त धनराशि भारत सरकार से ही मिलती है । इसमें राज्य सरकार का कोई भाग नहीं होता है ।

*६९---**श्री अनन्तराम वर्मा**---अब तक कितना रुपया कम आय वाले व्यक्तियों को गृह ऋण में दिया गया और कितने रुपये शेष हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---अल्पाय वर्ग गृह निर्माण योजना के चालू होने की तिथि से अब तक, ३,०३,४१,१६८ रु० जनता को स्वयं मकान बनाने के लिये ऋण के रूप में दिया जा चुका है। शेष ५२,७७,२६२ रु० देना है।

श्री अनन्तराम वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष में कितना धन ऋण में दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वित्तीय वर्ष में कितना दिया गया, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार गृह-निर्माण के लिए रुपया प्रत्येक जिले में देने की व्यवस्था है अथवा यहां राजधानी में ?

श्री रामस्वरूप यादव---५ जो बड़े नगर हैं, कवाल टाउंस कहलाते हैं, उनके तो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को दे दिया गया है और यू० पी० कोआपरटिव बक को रुपया दिया गया है जिसने कि जिले में जो उनकी शाखाएं हैं उनके जरिये से बांटा है और राज्य सरकार के वित्त विभाग से सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम आय वालों को ऋण देने की योजना कब से सरकार ने लागू की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५५-५६ से।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम आय वालों की परिभाषा क्या है ? कितना रुपया मासिक पाने वाले कम आय में आते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिनकी आय ६,००० रुपया वार्षिक से कम हो।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि इतने मकान बनाने के लिए इतने रुपये की आवश्यकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इस सवाल को मैं नहीं समझ सका। लेकिन ऋण तो हर मकान के लिए ८,००० से ज्यादा नहीं दिया जा सकता और जिस हिसाब से उसके पास प्लाट होता है उसके हिसाब से वह दरख्वास्त दे सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कम आय वालों को ऋण देने की व्यवस्था है इसमें क्या उन क्षेत्रों में भी व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ? यदि हां, तो वहां के लिए कितना रुपया दिया जा सकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो नगरों में ही जो मकान बनाये जा रहे हैं उन्हीं से सम्बन्धित हैं।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ज्ञात है कि अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितने आगरिकों ने मकान बना लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता होगी।

शाहजहांपुर जिले में पंचायत मंत्रियों को सेवा मुक्त करना

*७०---**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ तथा १९५८ में शाहजहांपुर जिले के कितने पंचायत मंत्री सेवा-मुक्त किये गये और इसका क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव---शाहजहांपुर जिले में सन् १९५७ में कोई पंचायत मंत्री सेवा मुक्त नहीं किया गया और सन् १९५८ में १० पंचायत मंत्री सेवा मुक्त किये गये। इन पंचायत मंत्रियों को सेवा मुक्त करने के कारण उनकी कर्तव्यहीनता, अनुपयुक्तता तथा अनुशासन-हीनता थे।

*७१---**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उनमें से कुछ पंचायत मंत्री १९४९ से काम कर रहे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। एक पंचायत मंत्री १९४९ से काम कर रहा था।

*७२---**श्री देवनारायण भारतीय**---क्या सरकार उनकी पुनर्नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। ऐसा करने के लिये शासन के समक्ष अभी कोई कारण नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो १० पंचायतमंत्रियों को १९५८ में सेवा-मुक्त किया गया वह किस महीने में किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---अलग-अलग तिथि हैं। एक सज्जन, चन्द्रशेखर को १४ अप्रैल को, श्री श्यामाचरण को १ जुलाई को, श्री गजराज प्रसाद को १६-८-५८ को, पुत्तूलाल को १८-५-५८ को, श्री रामकुमार को २४-४-५८ को, राजाराम मिश्र को २६-९-५८ को और ज्वालाप्रसाद को १३-८-५८ को सेवा मुक्त किया गया।

श्री देवनारायण भारतीय---मेरा प्रश्न केवल इतना है कि क्या उस पंचायत मंत्री के खिलाफ सन् १९५८ से पहले जिला अधिकारियों के पास कोई शिकायत इस बारे में आई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को विदित है कि एक पंचायत मंत्री ने हाईकोर्ट में वहां के जिला अधिकारी की आज्ञा के विपरीत अपील की और हाईकोर्ट ने उसे वहाल करने की आज्ञा दी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि जो पंचायत मंत्री हाई कोर्ट की रिट में जीत गया उसको अभी तक नौकरी में नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि सूचना नहीं है।

परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के फारेस्टर्स

*७३---**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कुल कितने फारेस्टर्स हैं, उनमें कितने कन्फर्म्ड हैं और कितने अनकन्फर्म्ड हैं ? इनमें परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कितने हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदेश में ८३६ फारेस्टर्स हैं। इनमें से ३१५ स्थायी हैं और ५२१ अस्थायी हैं। इनमें परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ४९ है।

*७४---**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी**---क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे फारेस्टर भर्ती होने के एक साल बाद ट्रेनिंग पाकर लोग स्थायी कर दिये जायं ? इस साल कितने फारेस्टर्स ट्रेनिंग के लिये गये हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जो १० साल से ज्यादा दिनों से कार्य कर रहे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, सरकार ऐसी कोई योजना नहीं बना रही है। इस साल ५० फारेस्टर्स ट्रेनिंग के लिये गये हैं। उनमें से ५ फारेस्टर्स ऐसे हैं जो १० साल से ज्यादा दिनों से काम कर रहे थे।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल ६ परसेंट ही परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों लिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसमें तो बहुत सी वजहें हैं। कुछ तो प्रमोशन से होते हैं और कुछ जो लिये जाते हैं उनमें कुछ योग्यता की जरूरत होती है और सब बातें देख कर जिस तरह से जहां तक हो सकता है उतने रेक्रूट किये जाते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने ज्यादा लोगों को इतने ज्यादा दिनों तक अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मुस्तकिल जगहों का कैडर जो है उसमें जगहें बहुत कम हैं और काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर पंचवर्षीय योजना की वजह से इसलिये टेम्पोरेरी आदमी बहुत रख लिये गये हैं, लेकिन मैं विचार करूंगा कि कितने जरूरी हैं उतना कैडर बढ़ा दिया जाय और उतने मुस्तकिल कर दिये जायं।

बलुआ-पहाड़ियां सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*७५---**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला परिषद्, वाराणसी ने अपने १३ नवम्बर सन् १९५८ की बैठक में बलुआ-पहाड़ियां रोड वाया जाल्हूपुर से वाराणसी को पक्की करने के लिये सर्वसम्मति से सरकार से अनुरोध किया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

बस्ती जिले में पंचायत घर

*७६---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसीलवार कितने पंचायतघर बन चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हुये हैं। अधूरे पंचायतघरों को पूर्ण करवाने की सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---बस्ती जिले में पूर्ण बने हुये और अधूरे पड़े हुये पंचायतघरों की तहसीलवार सूचना संलग्न है। अधूरे पंचायतघरों को पूरा कराने के लिये लोहा और सीमेंट देने में प्राथमिकता दी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८१ पर।)

श्री राजाराम शर्मा---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पंचायतघर अपूर्ण हैं उनकी सिर्फ नींव पड़ी है या छत बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि पंचायतघर बनाने में जनता असमर्थ हो रही है कुछ अन्य सुविधायें देने पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---पंचायतघर बनवाना ग्राम सभाओं का काम है, सरकार के विचार का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी के पास बस्ती जिले से शिकायत आई है कि उन्हें समय से लोहे का कोटा न मिलने से पंचायतघर नहीं बन पा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---नहीं, लेकिन इस दिक्कत की जानकारी जिलाधिकारियों को है ही।

फरेंदा–बरडाड़ पवह सड़क को पुल सहित बनाने की प्रार्थना

*७७---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा केन सोसाइटी में पी० डब्लू० डी० को फरेंदा से बरडाड़ पवह (नाले) पर गत वर्ष के पहले से पुल बनाने तथा सड़क को पक्की करने के लिये रुपया दिया गया है? पुल अब तक न बनने का कारण क्या है?

श्री महावीर सिंह---प्रथम भाग---केन सोसाइटी अपने हिस्से का रुपया गन्ना आयुक्त के पास जमा करती है। इसकी सूचना इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं है।

द्वितीय भाग---सड़क तथा पुल के कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। सड़क पर कार्य प्रगति में है। पुल का विस्तृत आगणन बनाया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के पश्चात् कार्य आरम्भ होगा।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर अब तक कौन-कौन से कार्य हुये हैं?

श्री महावीरसिंह---सड़क बन रही है और उसके बहुत से स्टेजेज होते ह।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या यह सही है कि अभी तक उस सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ है?

श्री महावीरसिंह---कार्य प्रगति पर है।

श्री उग्रसेन---कितने मील तक सड़क बन गई है?

श्री महावीरसिंह---मैंने अर्ज किया कि बहुत सी स्टेजेज होती हैं। उसमें केवल मिट्टी कूटना ही नहीं होता है बल्कि टेंडर मांगना, सामान जमा करना इत्यादि काम भी होते हैं। इनको हम कार्य प्रगति में मानते हैं।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि उस सड़क पर जो कंकड़ वगैरह रखा गया था वह बरबाद हो रहा है?

श्री महावीरसिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या वह सड़क अभी अर्थ-फिलिंग की प्रगति पर है, या ब्रिक-सोलिंग की प्रगति पर है या किस प्रगति पर है?

श्री महावीरसिंह---इतनी ज्यादा डिटेल मेरे पास इस समय नहीं है।

हरदोई जिले में न्याय पंचायतों के विचाराधीन अभियोग

*७८---**श्री राजेन्द्रसिंह**---जिला हरदोई में कितनी ऐसी अदालती पंचायतें हैं जिनमें (१) दो वर्ष से वाद तथा अभियोग अनिर्णीत पड़े हैं? (२) एक वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं? और यह वाद तथा अभियोग कितने हैं और निर्णय में विलम्ब क्यों हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला हरदोई की उन न्याय पंचायतों की संख्या जिनमें २ वर्ष तथा १ वर्ष से वाद एवं अभियोग अनिर्णीत पड़े हैं क्रमशः २ एवं ७ हैं। २ वर्ष से तथा १ वर्ष से अनिर्णीत वाद एवं अभियोगों की संख्या क्रमशः १२ तथा २८ है। पंचों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप कोरम के पूर्ण न होने से अधिकांशतः निर्णय में विलम्ब हुआ है।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोरम को पूरा कराने के लिये पंचों को पारिश्रमिक देने पर वह विचार क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस पर विचार की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह---वे कौन सी अदालती पंचायतें हैं जहां सब से अधिक वाद व अभियोग पड़े हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---दो वर्ष के सिकरलौहरी में ९ मामले और १ वर्ष के सबसे ज्यादा झेवरा में ९ हैं।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या इसी एफीशियेंसी को देख कर उनकी सिविल जुरिस्डिक्शन बढ़ाकर ५०० रुपया की गई है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप ताना दे रहे हैं, प्रश्न नहीं है।

श्री मोती लाल अवस्थी---क्या इतने अधिक वाद और अभियोगों का होना इसलिये नहीं है कि ये पंचायत के लोग नामीनेटेड हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---चुने हुये लोगों में से नामीनेशन किया गया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---पंचों का कोरम पूरा कराने के लिये सरकार कौन-कौन से उपाय सोच रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार कुछ नहीं सोच रही है और न इस बात पर सोचने की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि कोरम पूरा नहीं होता है कोई आदेश जिलों में भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो पंचायत राज ऐक्ट के नियमों में है ही कि उन्हें जल्दी फैसला करना चाहिये।

मेट और बेलदारों की मजदूरी

*७९---**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय कितने मेट और बेलदार स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---

	मेट	बेलदार
स्थायी	१,४५०	७,८००
अस्थायी	२,२६०	८,५५०

*८०---**श्री पब्बरराम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेट, बेलदार और मजदूरों का वेतन-क्रम क्या है और उन्हें महंगाई क्या मिलती है ?

श्री गिरधारीलाल---स्थायी तथा अस्थायी मेट, बेलदार तथा मजदूरों को मासिक वेतन/दैनिक मजदूरी संलग्न सूची के अनुसार दिया जाता है। इनका कोई वेतन-क्रम नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२ पर)

अतारांकित प्रश्न

खीरी जिले में वन विभाग से थारुओं को सुविधायें तथा दुधुवा क्षेत्र के जंगल पर व्यय

१—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में जो दुधुवा रेंज में जंगल लगवाया गया है वह कितने एकड़ है, वहां कितने दरख्त लगे हैं और कितना रुपया खर्च हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला खीरी में दुधुवा रेंज में ७,४५० एकड़ में जंगल लगवाया गया है। इस क्षेत्र में करीब ७२ लाख दरख्त अवश्य लगाये गये होंगे और लगभग ६,७८,००० रुपये खर्च हुए हैं।

२—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अवध फारेस्ट, जिला खीरी में कितने गांव थारुओं के वन विभाग के अन्तर्गत बसे हैं और उन्हें क्या-क्या सहूलियतें सरकार की ओर से दी गई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—कुल ३६ थारू गांव हैं। उन्हें जो सहूलियतें दी गई हैं उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

अधिक प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, आज आधे से अधिक प्रश्नों को स्थगित कर दिया गया है १४ अप्रैल १९५९ तक के लिये। यह भी पता नहीं है कि उस दिन तक असेम्बली बैठेगी या नहीं। अगर नहीं बैठी तो जुलाई तक यह प्रश्न स्थगित हो जायंगे। हमारे प्रश्नों का एक तो ठीक उत्तर नहीं मिलता है और बहुत से स्थगित भी किये जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्नों के मामले में बहुत ढील बरती जा रही है।

श्री अध्यक्ष—एक बार स्थगित करने का अधिकार तो उनको है ही।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—इस सप्ताह के कार्यक्रम के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने आज बताने के लिये कहा था ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का जो भी कार्यक्रम होगा वह प्रायः सभी आज के एजेंडे में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका विधेयक में हम एक संशोधन अवश्य लाना चाहते हैं। उसके लिये हम आशा करते हैं कि वह विधान परिषद् से होकर आ जायगा।

श्री गौरीशंकर राय—यह सेशन कब तक चलेगा ? नान-आफीशियल दिनों के बारे में क्या है ?

एक सदस्य—जिला परिषद् बिल कब तक आ रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला परिषद् बिल अभी नहीं आ रहा है। इस वक्त २ तारीख तक यह उपवेशन होगा। फिर कब होगा, यह आज नहीं बतला सकता। नान-आफिशियल डेज तो हमारे ऊपर लोन ही हैं, उनको चुकायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बिल क्यों नहीं आ रहा है जिसके लिये उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि २ तारीख के बाद अप्रैल के महीने में अधिवेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में वह अभी नहीं बतला सकते हैं तो क्या यह बतला सकते हैं कि उसके बाद अधिवेशन कब होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं आज तो नहीं बतला सकता हूं, लेकिन सम्भव है कल या परसों तक बतला सकूं ।

श्री अध्यक्ष—तो अब कल ही इसके ऊपर चर्चा होगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुमायूं जमींदारी एबाशिलन बिल कब पेश होगा ? यह तो एजेंडे पर सन् १९५८ से ही बराबर चला आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—वह तो एजेंडे में रखा हुआ है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में ही जिला परिषद् बिल का उल्लेख किया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस अधिवेशन में तो उसे पेश नहीं किया जा सकता है । इससे मालूम होता है कि सरकार चुनाव को टालना चाहती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से जिला परिषद् बिल नहीं पेश किया जा रहा है और बराबर टाला जाता रहा है ? आखिर वह बिल तैयार क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री अध्यक्ष—कोई भी सरकारी काम जो कि सदन में आने के लिये सूचना दी जाती है तो उसके विषय में सरकार ही निर्णय कर सकती है कि वह किस वक्त लाया जाय । यह नियम है, आप देख लीजिये । यह सीधी सी बात है कि वह इस सप्ताह में तैयार नहीं हो सका, अगर वह तैयार होता तो सदन के सामने आ जाता ।

अब मैं दूसरा काम ले रहा हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी एक मिनट पहले ही मुझे सूचना मिली है कि विशेषाधिकार समिति के सामने हम कुछ सदस्यों को ६ अप्रैल को उपस्थित होना चाहिये । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना दी कि २ अप्रैल से सदन का अधिवेशन समाप्त हो जायगा और हम सब लोग चले जायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेषाधिकार समिति की बैठक ६ अप्रैल को होगी और हमें उसमें आना आवश्यक होगा ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है । कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोगों को मालूम नहीं था इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा की । तो वह कार्यक्रम बदला भी जा सकता है, उसमें क्या बात है । कल वे निर्णय ले लेंगे कि किस वक्त बैठेंगे । अभी तो यही निर्णय किया गया है कि २ अप्रैल तक बैठेंगे । अब कितने रोज के लिये बैठेंगे, यह उन्होंने नहीं बतलाया, इसे वे कल बतला देंगे । उसके बाद अगर ६ अप्रैल को लोग यहां पर नहीं होंगे तो सहूलियत देख कर कमेटी जो उचित समझेगी कार्यवाही कर सकती है और अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, स्थायी तौर पर कार्यक्रम की घोषणा हो जानी चाहिये कि कब से कब तक सेशन होगा । लोक सभा में, श्रीमन्, पूरे कार्यक्रम की घोषणा पहले से ही कर दी जाती है जब कि यहां एक हफ्ते का कार्यक्रम बतलाना भी मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष—सारी चीजें लोक सभा की थोड़े ही यहां चलती हैं । विधान सभा अपने कार्यक्रम के लिये स्वतंत्र है ।

अमृत बाजार पत्रिका की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो पत्रिका के सम्बन्ध में है जिसे मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं। इस विषय में नियम ५२ के अनुसार सूचना मांगी गयी है श्री गौरीशंकर राय द्वारा तो उसके लिये मैं मौका दूंगा कि सम्बन्धित मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पत्रिका के सम्बन्ध में मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव है। वह बड़ा ही अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जायगा।

सिधौली में लगान वसूली में अत्याचार के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा श्री अवधेश कुमार सिंह का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। इस विषय में जो उन्होंने मेरे पास कथन भेजा है और जो एक घटना के सम्बन्ध में चर्चा की है उसके लिये निश्चितता के सम्बन्ध में कोई सबूत वगैरह उन्होंने नहीं दिया है....

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, यह प्रस्ताव मेरा ही तो नहीं है? मैंने ही इस विषय में दिया है....

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आपका ही है। परन्तु घटना के सम्बन्ध में जो उन्होंने जिक्र किया है वह अवश्य, मैं समझता हूं कि, गम्भीर है इसलिये निश्चित न होने की वजह से मैं इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं सम्बन्धित मंत्री जी से कहूंगा कि इस घटना के सम्बन्ध में उनके पास कामरोको प्रस्ताव तो पहुंच ही गया होगा, तो वह अपनी जानकारी हासिल कर के सदन को शीघ्र सूचना देने की कृपा करें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अगर आप आज्ञा दें तो मैं बताऊं कि वहां पर बुरी तरह से आतंकित किया जाता है और जिस तरह से घोड़ों और जानवरों को बांधा जाता है उस तरह से लोगों को घास खाने पर मजबूर किया जाता है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष—इस समय मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं लेकिन जो घटना मैंने पढ़ी उसमें गम्भीर आरोप है। ऐसे आरोप के सम्बन्ध में सरकार का कर्त्तव्य है कि वह स्थानीय अफसरों से घटना की सूचना मंगा कर यहां दें....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—वह घटना तो बतायी जाय।

श्री अध्यक्ष—वह यह है कि वसूली में नायब तहसीलदार की तरफ से किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं और कहा गया है कि किसानों को बांधकर कहा गया है कि घास खाओ। वह एक अजीब सी चीज मालूम होती है लेकिन यह एक गम्भीर आरोप है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में जानकारी हासिल करके सदन को दे दी जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जान लिया जाय कि किसी ने घास खाई भी।

श्री अध्यक्ष—हम लोग उनका अनुकरण न करें तो अच्छा है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—मेरा निवेदन है कि वह शीघ्र ही वक्तव्य दे दें....

श्री अध्यक्ष—ठीक है वह शीघ्र ही देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत अमृत बाजार पत्रिका के हड़तालियों के जबरदस्ती हटाए जाने के विषय पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत एक श्री गौरीशंकर राय का प्रस्ताव है कि मैं विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं :

"इलाहाबाद नगर में अमृत बाजार पत्रिका के कार्यालय पर लगभग २ मास से शान्तिपूर्ण ढंग से धरना देने वालों पर जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी, २८ तथा २९/३० मार्च से पुलिस द्वारा हमला करना और उनके साथ जबर्दस्ती करना जबकि उनकी शान्तिपूर्ण चलने वाली हड़ताल आधिकारिक रूप से अवैधानिक नहीं घोषित की गई है।"

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी यदि आज सदन को सूचना दे सकते हों तो दे दें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, वहां जो हड़ताल चल रही थी उसके सम्बन्ध में तो इस सदन में चर्चा पहले हो चुकी है, उसके सम्बन्ध में मैं जिक्र नहीं करता। मैंने यहां निवेदन किया था कि दोनों पक्षों के कहने पर हमने इस बात का प्रयत्न किया कि किसी प्रकार आपस में समझौता हो जाय। बहुत सी बातों पर समझौता हुआ भी लेकिन दो एक बातें ऐसी थीं जिन पर दोनों पक्ष राजी न हो सके और उसके बाद हमने समझौते का प्रयत्न छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिपारिश की कि कानून के मुताबिक इस मसले को तय करने के लिये आप एक नेशनल ट्रिब्यूनल नियुक्त कर दें। उन्होंने नेशनल ट्रिब्यूनल नियुक्त कर दिया जो कि इस विवाद पर हर पहलू से गौर करने का अधिकार रखता है। इसके बाद स्वतः, बगैर किसी के कहे सुने, हड़ताल बन्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन हड़ताल बन्द नहीं हुई। इसके साथ ही जो अखबार निकल रहा है उसमें कोई चार सौ, सवा चार सौ आदमी काम करते हैं, जिसमें से लगभग साढ़े तीन सौ आदमी काम करने के इच्छुक थे। हड़ताल की वजह से दो महीने से वह बेकार बैठे हुये थे। प्राकृतिक नियम के अनुसार और हमारे संविधान के अनुसार हर मनुष्य को काम करने का अधिकार है और जो शख्स कि वैध रूप से उसके काम करने के अधिकार में बाधा डालता है वह अपराधी होता है। उन लोगों ने जिला अधिकारियों से कहा कि हम काम करने के लिये जाना चाहते हैं, लेकिन हमको जबर्दस्ती काम करने से रोका जा रहा है। जिला अधिकारियों ने हड़ताल करने वालों से कहा कि आप अपनी हड़ताल जारी रखें, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं उनको और उनके कुटुम्बियों को जबर्दस्ती भूखों मारने का अधिकार किसी को नहीं है, आप उनको काम पर जाने दें। वह लोग इस बात पर राजी नहीं हुए। ऐसी हालत में पुलिस ने जरूर यह किया, किसी को मारा पीटा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को हटा कर रास्ता निकाला था। जो लोग काम पर जाना चाहते थे उस रास्ते से गये। इतनी ही बात पुलिस ने की।

अब इस पर यह शिकायत है कि गवर्नमेंट उस हड़ताल को अवैध घोषित करे, और यह भी हमसे कहा जाता है कि इस हड़ताल को और तालाबन्दी को, स्ट्राइक और लाकआउट को अवैध घोषित करिये। यह सवाल उठता नहीं। इसलिये नहीं उठता कि जहां तक लाकआउट की बात है, जाब्ते में लाकआउट है नहीं। लाकआउट के लिये जो मालिक लोग होते हैं उनको कायदे के अनुसार सूचना देनी होती है, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। जब जाब्ते में लाकआउट है नहीं तो उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते। ऐसी हालत में नेशनल ट्रिब्यूनल में जाने के बाद हमको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह स्ट्राइक इल्लीगल है, वह खुद ही उनको बन्द कर देनी चाहिए। फिर भी, मुझको ऐसा मालूम हुआ है कि जिला के अधिकारी इस बात की सूचना हड़तालियों को दे देंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस नेशनल ट्रिब्यूनल में भेज देने के बाद अब आपकी हड़ताल गैरकानूनी है। इस संबंध में मुझे इतना ही निवेदन करना है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही नहीं है कि इस नेशनल ट्रिब्यूनल में इस केस को भेजने के बाद भी यह हड़ताल वैधानिक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह कानूनी सवाल है। इस पर इस वक्त राय देना अपने से मैं उचित नहीं समझता ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे फसाद की बिना हड़ताल है---उसका रूप कौन-सा रूप है, अवैध है या वैध, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है--- जो कानून के अन्दर सरकार को अधिकार प्राप्त है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा १०, उपधारा (३) के अन्तर्गत कि वह ऐसी हड़ताल को मना कर दे---अवैध घोषित करके नहीं---प्राहिबिट कर दे, ऐसा करने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम तो अब तक ऐसा समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसी बात पर जोर है कि हम कह दें तो इस पर भी सोचा जायेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नया अखबार निकल रहा है जिसमें काम करने के लिये जाने वालों की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि उनको रोका गया, उस नये अखबार को डिक्लेरेशन भी नहीं मिला, और ऐसे गैरकानूनी काम को करने के लिये वहां के अधिकारी और पुलिस क्यों मदद कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---आप फिर कानूनी सवाल उठा रहे हैं।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि अखबार का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है जो निकल रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा उसका डिक्लेरेशन हुआ कलकत्ते में जहां तक मुझे मालूम है अब चूंकि उसका हेड आफिस कलकत्ते में है और डिक्लेरेशन नहीं भी हुआ है तो वहीं उस पर मुकदमा चल सकता है हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि प्राविन्शियल ट्रेड डिसप्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक इल्लीगल लाक आउट के सिलसिले में जो कार्यवाही की जाती है वह यहां पर की गई या नहीं ? और अगर नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह जो प्रश्न उठा है वह लाक आउट के सम्बन्ध में नहीं है। वह सिर्फ इस सम्बन्ध में है कि शान्तिपूर्ण ढंग से वहां हड़ताल हो रही है उसके ऊपर जबर्दस्ती क्यों हुई है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि कल पत्रिका कार्यालय पर ५०० पुलिस के घेरे में उनके कर्मचारियों पर हायर्ड गुंडों और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी इत्तला तो नहीं है। लेकिन जो इत्तला है उससे मैं समझता हूं गुंडे वगैरह नहीं लाये गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने इस बात की जानकारी हासिल कर ली है कि कलकत्ते में डिक्लेरेशन दिया गया है या नहीं ? और अगर कलकत्ते में डिक्लेरेशन दिया गया है तो क्या कानून के मुताबिक इलाहाबाद में निकलने वाले अखबार के लिये कलकत्ते में डिक्लेरेशन दिया जाना काफी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रेस ला के बारे में माननीय पालीवाल जी को ज्यादा मुझसे जानकारी होगी। लेकिन किसी एक प्रदेश में डिक्लेरेशन हुआ है तो दूसरे प्रदेश में अखबार चल सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पत्रिका के मालिकों को सरकार की तरफ से लिखने की कोशिश करेंगे कि जब राज्य सरकार ने नेशनल ट्रिब्यूनल को मामला सुपुर्द कर दिया है तो इस प्रकार से नया अखबार निकाल कर उसकी मंशा को भंग न करें और अगर अखबार निकालेंगे तो पहले की स्थिति में निकलेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह सुझाव है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि नये अखबार में भी पुराना ही रजिस्ट्रेशन नम्बर पड़ता है और पुरानी टेलीग्राफिक अथारिटी पर चल रहा है जब कि कहा जाता है कि नया अखबार निकल रहा है ?

श्री अध्यक्ष---जब ट्रिब्यूनल में मामला दे दिया गया है तो यह सवाल नहीं उठता. . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कलकत्ते में डिक्लेरेशन हुआ । तो अखबार तो नया बतलाया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नम्बर पुराना ही चल रहा है । जब अमृत बाजार पुराना खत्म हो गया. . . .

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस कर रहे हैं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस हड़ताल में बल प्रयोग न करके इसे खत्म करने के लिये यू० पी० जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी के गुड आफिसेज को इस्तेमाल करने के लिये विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह लोग तो कई बार मेरे ही गुड आफिसेज को इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि जिन लोगों को उठाकर पुलिस ने बाहर फेंका है उनके कुछ चोटें लगी हैं और वे अस्पताल में दाखिल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक किसी ने मुझसे कहा नहीं । अस्पताल में हैं तो मुकदमा भी चल सकता है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार नये तरीके से अखबार निकालने के तरीके को कानूनी और जायज समझती है ?

श्री अध्यक्ष---कानूनी प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं ।

अब मैं इस पर प्रश्न समाप्त करता हूं ।

हाई स्कूल की परीक्षा में कठिन प्रश्न-पत्र के सम्बन्ध में नियम ५३-के अन्तर्गत सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैंने एक प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत दिया था कि पौने दो लाख विद्यार्थियों के कड़े पर्चे आने के कारण उनको बड़ी परेशानी है और उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है . . . .

श्री अध्यक्ष---यह विषय इस वक्त नहीं आ सकता । आप मेरे कमरे में बतायें उसके विषय में. . . . ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ५४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें ऐसे प्रस्तावों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में लिखा है :--

"यदि अध्यक्ष का, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वे आवश्यक समझें, समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिये, तो वे सूचना ग्रहण कर सकेंगे और सदन नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चार्थ लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे ।"

तो मैं यह चाहता था कि आप उस सम्बन्ध में पहले जानकारी हासिल कर लेते तो यह मालूम हो जाता कि आपका समाधान हो गया या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--मैं हासिल कर लूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस पर जल्दी ही विचार होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--मैं शीघ्र ही इस विषय में सूचना हासिल कर लूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--रामस्वरूप जी ने जो विषय रखा है वह आपने ड्राप नहीं किया, उसे आप ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--ड्राप करने का सवाल नहीं होता, बल्कि मैं थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करके फिर निर्णय दूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कल तक ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--जी हां ।

२४ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न १७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष--अब माननीय वित्त मंत्री अपने एक प्रश्नोत्तर का शोधन उपस्थित करेंगे ।

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--तारांकित प्रश्न संख्या १७ के सम्बन्ध में २४ फरवरी, १९५९ को श्री मोतीलाल अवस्थी के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था:--

"प्रश्न--क्या माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देते हुए कि शुद्ध घी की न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं अधिक होती है उसको बहुसूत्री बिक्रीकर से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?"

उत्तर--जी नहीं, इस वक्त तो ऐसा विचार नहीं है, इस वजह से कि हिन्दुस्तान के तमाम सूबों में इसी तरह से टैक्स लगा हुआ है ।

उक्त उत्तर कुछ त्रुटिपूर्ण था । सही उत्तर इस प्रकार है --"जी नहीं, इस वक्त तो ऐसा विचार नहीं है, इस वजह से कि हिन्दुस्तान के कई और सूबों में भी इसी तरह से टैक्स लगा हुआ है ।"

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--इसमें मुझे सप्लीमेंटरी करने की आज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--इस समय पूरक प्रश्न करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो मुझे क्वेश्चन करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन भेज सकते हैं ।

'नवजीवन' द्वारा गलत कार्यवाही छापने पर आपत्ति

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला देवरिया)--कल सोशलिस्ट दल की तरफ से माननीय श्रम मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था । मैंने देखा कि नवजीवन में जो कार्यवाही है वह जरा गलत छप गयी है, उसे ठीक करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--अखबारों के विषय में यहां सदन में समय न लेकर आप मेरे पास भेज दें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री रामेश्वर प्रसाद--मैं यह कहता हूं कि भविष्य में . . . . .

श्री अध्यक्ष--पहले मैं उसे देख लूं । आप उसे मेरे कमरे में दिखा दें । मैं इसे आपका नोटिस मान लूंगा, आप मुझे इसे मेरे कमरे में बतला दीजिये ।

श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--कल विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री बेचनराम जी का था उस पर श्री जरगाम हैदर साहब भाषण कर रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखें ।

***श्री सैयद जरग़ाम हैदर** (जिला बहराइच)--अध्यक्ष महोदय, कल अपनी तकरीर देते वक्त मैं यह कह रहा था कि जब हम इस सवाल पर विचार करें, तो हमें यह देखना पड़ता है कि इस सदन के जो सदस्य हैं, उनके क्या अधिकार हैं । नेता विरोधी दल ने कल इस बात पर जोर दिया था कि यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं और इसलिये जो तरीका एक फौजदारी के मुकदमें में मुल्जिम के खिलाफ सबूत फराहम करने का होता है, वही इसमें होना चाहिये । इसमें कोई शक नहीं है इस वास्ते कि हमारे लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने माना कि ये क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं और वर्मा जी ने भी इस बात को तसलीम किया । आपने यह कहा था कि हमने समन्स केस का प्रोसीजर एडाप्ट किया । समन्स केस का प्रोसीजर तब एडाप्ट हो सकता है जब फौजदारी के सम्बन्ध में कार्यवाही हो . . . . . .

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--मैंने यह कहा था. . . . .

श्री अध्यक्ष--आप बैठिये, वे ईल्ड नहीं कर रहे हैं ।

(श्री जरगाम हैदर के बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष--आप अब कहिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैंने इतनी बात कही थी कि इन प्रोसीडिंग्स में स्वयं कमेटी अपना प्रोसीजर बनाती है और कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई फौजदारी का प्रोसीजर कमेटी एडाप्ट करे ।

श्री सैयद जरग़ाम हैदर--जहां तक मुझे याद पड़ता है समन्स केस का जिक्र आपने जरूर किया था । बहरहाल, इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है । क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जो चार्जेज हैं अगर हम उन पर नजर डालते हैं तो मैं इस बात को इसरार के साथ कहना चाहता हूं कि प्रिविलेजज प्रोसीडिंग्स में जिस शख्स के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है उसकी हैसियत केवल एक क्रिमिनल केस के मुल्जिम की होती है और जब इस बिना पर कोई चार्ज लगाया जाय कि उस आदमी ने कोई भाषण इस सदन में दिया है तो उसकी नवैयत कमो बेश वैसी ही है जैसे किसी साधारण इन्सान के ऊपर किसी फौजदारी के मुकदमें में डिफेमेशन या सेडीशन का मुकदमा चलाया जाय या मैं और साफ अर्ज करूं कि इसकी मिसाल कम से कम ऐसी जरूर है कि जैसे एलेक्शन पेटीशन में

---

†३० मार्च, १९५९ की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करप्ट प्रैक्टिसेज का चार्ज होता है । जब किसी स्पीच के आधार पर किसी शख्स के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा हो तो यह जरूरी होता है कि वह पूरे के पूरे अल्फाज चार्ज में शामिल कर दिये जायं। अब अगर इस आधार पर हम देखते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि माननीय गेंदासिंह के ऊपर जो चार्ज है और जो रिपोर्ट के सफा ४ में लिखा हुआ है वह यह है कि "माल मंत्री ने १० तारीख से १७ तारीख तक ये सवाल अपने पास छिपा रखे।" मैं तो सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि ये अल्फाज माननीय गेंदासिंह के हर्गिज नहीं थे कि सवाल छिपाये रखे गये और इस सम्बन्ध में अगर आप देखना चाहते हैं तो जो माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का डिसेन्टिंग नोट है उसके सफा २१ पर उन्होंने इस बात को साफ तौर पर वाजे कर दिया है और यह कहा है कि माननीय गेंदासिंह ने जो बात कही वह यह थी कि "हमारे प्रश्न ११ फरवरी को राजस्व मंत्री के पास भेज दिये गये थे जहां से १४ फरवरी को स्वीकृत होकर वापस हुए", मेरी समझ में नहीं आता है कि विशेषाधिकार की वह कमेटी कि जिसमें जो उसके सभापति हैं वे एक वकील हैं, हमारे मंत्री जी जो उसमें शामिल थे वे भी अर्से तक वकालत कर चुके हैं, फिर उन्होंने किस तरह से अपनी तरफ से "छिपा रखे" के अल्फाज उसमें शामिल कर दिये ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कुछ मिसस्टेटमेंट आफ फैक्ट्स हो रहा है । माननीय सदस्य जो बहराइच से आते हैं वे शायद जो बातें प्रोसीडिंग्स में दी हुई हैं, जिनको सभी लोग ऐक्सेप्ट करते हैं उनको भी चैलेन्ज करते हैं । माननीय गेंदा सिंह जी ने साफ कहा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इन प्रश्नों को छिपाये रखा ।

श्री सैयद जरगाम हैदर---सफा २१ पर माननीय तिवारी जी का जो डिसेंटिंग नोट है उसमें उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि माननीय गेंदा सिंह ने यह बात हर्गिज नहीं कही और हमारी विशेषाधिकार कमेटी के प्रेसीडेंट अगर इसको चैलेन्ज करते हैं तो मैं चाहूंगा कि उस दिन की कार्यवाही में से माननीय गेंदा सिंह की स्पीच उठा कर देख ली जाय । यह तो एक विशेषाधिकार कमेटी है । जिसके फंकशन्स जुडिशल थे, जो उस वक्त वहां किसी पार्टी की तरफ से नहीं बैठी थी उसने एक मुस्तगीस की हैसियत से काम किया है और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं "इट इज फुल आफ स्पेशल प्लीडिंग्स फार दि प्रासीक्यूशन (It is full of special pleadings for the prosecution) ।"

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप ये शब्द वापस लें । आप सदन की जो एक समिति यहां पर मुकर्रर की गयी उसके ऊपर इस तरह से आक्षेप नहीं कर सकते । आप कृपा करके इन शब्दों को वापस लें ।

श्री सैयद जरगाम हैदर---अगर मैंने गलती की तो आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे माफी मांगने में कोई तकल्लुफ नहीं । और इस कमेटी में माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने जो बात जाहिर की है उससे भी यह पता चलता है कि वह लोग किस नजर से इस मामले को देख रहे थे । आचार्य जी का जो रेलेवेन्ट पार्ट है वह मैं सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं । विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही के सफा ३६ पर दर्ज है । श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा है कि "मैं यह समझता हूं कि यह चीजें गेंदासिंह जी के ब्रेन के बैक ग्राउंड पर हैं और जेनूइन हो सकती हैं और उनका नजरिया बिलकुल दूसरा हो सकता है और हम कांग्रेस वालों का बिलकुल दूसरा क्योंकि हम एक दूसरे रट में पड़े हुए हैं । लेकिन यह जो प्रेजेंट इंक्वायरी है इसका स्कोप केवल यह है कि ११ तारीख से १४ तारीख के बीच में क्या यह फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के यहां रही है ।" श्रीमन्, जब कमेटी के सामने मसला विचाराधीन था तो यह साफ जाहिर है कि उस वक्त पोलिटिकल कंसीडरेशन्स जरूर प्रिवेल कर रहे थे । इसलिए इस कमेटी की सारी कार्यवाही को हम मुश्तबह नजर से देखने के लिये मजबूर हो रहे हैं ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के बावजूद माननीय सदस्य ने कमेटी के ऊपर आरोप किये हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने कोई कथन दिया और जो शब्द उन्होंने कहे उनको उन्होंने रखा है। अब वह यह कह सकते हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा। यह उसी की टीका कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैंने जो शब्द कहे हैं उनको यदि सारी चीजों से निकालकर पढ़ा जाय तो दूसरी बात होगी।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उन्होंने कमेटी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, गेंदा सिंह जी के कथन के बाद उसमें ऐसी चीजें नहीं हैं जिनको मेरे मित्र कह रहे हैं कि कमेटी के सामने पोलिटिकल कंसीडरेशन्स का सवाल था।

श्री अध्यक्ष—(श्री जरगाम हैदर से) आप इस केस की मेरिट्स तक ही अपनी बहस को सीमित रखें। किसी की नीयत पर बातचीत न करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सैयद जरगाम हैदर—श्रीमन्, मैं किसी की नीयत की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जो छपा हुआ है उसी को पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, किसी की नीयत के ऊपर कोई बात न रखें।

श्री सैयद जरगाम हैदर—दूसरी चीज यह है कि इस कमेटी का जो फैसला है उसको हमें बड़े ताज्जुब की नजर से देखना पड़ता है। वह यह है कि जिस समय यह मसला प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया गया था तो उस वक्त एक ही सवाल सुपुर्द किया गया था और वह यह था कि आया माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बार बार यह बात कही कि १४ तारीख तक यह सवाल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के पास अवश्य पहुंच गये थे तो इसकी बिना पर कोई विशेषाधिकार की कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकती है या नहीं? इसके माने यह हैं कि इस कमेटी का स्कोप यहीं तक महदूद था और इसके बाहर जाने का कमेटी को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब इस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो हम देखते हैं कि इसके स्कोप को महदूद नहीं रखा गया है बल्कि इसकी फाइंडिंग्स इस तरह की हैं कि जिनमें कहा गया है कि गेंदा सिंह जी ने सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया। उस वक्त इस किस्म का कोई सवाल विचाराधीन नहीं था। इस वजह से कि कमेटी का स्कोप महदूद था और उसके अलावा कमेटी और किसी बात पर विचार नहीं कर सकती थी।

श्रीमन्, यह जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं इसके लिये मैं यह कहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी का स्टैंड करेक्ट था और उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। इससे जाहिर होता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट किसी नजरिये के ऊपर है और इसने अपने स्कोप से आगे बढ़कर इसकी इंक्वायरी की है। इस वजह से भी इस कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं समझी जा सकती है। फिर यह बात यकीनन साबित है कि इसमें गेंदासिंह जी की हैसियत एक्जूज्ड की थी इसलिये बर्डन आफ प्रूफ की जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिये थी जो उनके खिलाफ कार्यवाही करा रहे थे? माननीय लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि प्रोसीजर एडाप्ट करने का अधिकार कमेटी को था। २२ अप्रैल की कार्यवाही को देखते हैं तो नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव पर एक बात डिसाइड हुई कि इसकी इंक्वायरी का तरीका अदालती कार्यवाही का होगा। इसके अलावा और कुछ तय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक कमेटी जो इतने महत्वपूर्ण चीज को डिसाइड करने के लिये बनी जिसमें इतने बड़े बड़े जिम्मेदार माननीय सदस्य रहे उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया कि अदालत का प्रोसीजर क्या होगा। हम सब जानते हैं कि सिविल मैटर्स का प्रोसीजर बिलकुल अलग है, हम जानते हैं क्रिमिनल मैटर्स का प्रोसीजर

बिलकुल अलग है, समन्स का अलग है और वारन्ट का प्रोसीजर अलग है तथा सेशन्स ट्रायल का प्रोसीजर अलग है। केवल इतना लिख देना कि हम अदालत की कार्यवाही के तरीके से इसको करेंगे यह यकीनन एक बिलकुल वेग एक्सप्रेशन है प्रोसीजर का। इससे किसी तरीके से यह बात साफ नहीं होती है कि कोई वहां पर नया प्रोसीजर एडाप्ट किया गया। जब नया प्रोसीजर नहीं एडाप्ट किया गया तो जो रूल है ऑर्डिनरी जूरिसप्रूडेन्स का उसकी बिना पर फौजदारी के मुकदमें में, जिस तरह से होता है वही प्रोसीजर एडाप्ट किया गया है। उसमें एक्यूज्ड को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। जैसा कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इसमें बिलकुल अनोखा तरीका अख्तियार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—भाषण संक्षेप में होना चाहिये। आप उसी चीज को दोहराते हैं।

श्री सैयद जरगाम हैदर—अब इसके बाद मैं जरा मेरिट के ऊपर भी आना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी ने यह बात कही कि प्रश्न जो थे वे ११ तारीख को मालमंत्री के पास भेज दिए गये थे। उधर से यह कहा गया कि यह बात गलत है, माल मंत्री के पास प्रश्न ११ तारीख को नहीं भेजे गये। कमेटी का यह फर्ज था कि इस बात की वह पूरी-पूरी इन्क्वायरी करती। जो इंक्वायरी की गयी उससे यह बात बिलकुल नहीं साबित होती कि जो गेंदा सिंह जी ने आरोप लगाये थे वे बिलकुल बे बुनियाद थे। इस संबंध में जो बयानात वहां पर मुखतलिफ गवाहों के हुए हैं उनकी तरफ आप लोगों का कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगा। सफा ४७ जो है रिपोर्ट का उस पर डिस्पैचर का स्टेटमेंट है "११ तारीख को १० शार्ट नोटिस क्वैश्चन्स विभाग को भेजे गये हैं और १० पी० ए० टु मिनिस्टर्स को। माननीय गेंदा सिंह जी का यह कहना है कि हमारा सवाल भी ११ तारीख को माल मंत्री जी के पास भेजा गया था। वह दस सवाल एडमिटेड हैं, विटनेस से साबित है कि दस शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स मंत्रियों के पास भेजे गये थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि माननीय गेंदा सिंह जी का शार्ट नोटिस क्वेश्चन इन दस सवालों में शामिल है या नहीं? जब कार्यवाही हुई तो जो प्रेसीडेन्ट थे उस कमेटी के उन्होंने यह आदेश दिये कि "१० व ११ के सभी क्वेश्चन्स फ्लैग करके मंगा लीजिए"। ठीक उन्होंने कहा था कि अगर ११ तारीख के दसों सवाल पेश कर दिये जायं और उसमें अगर माननीय गेंदा सिंह के सवाल शामिल नहीं हैं तो गेंदा सिंह जी का सवाल उसमें नहीं था। लेकिन बावजूद प्रेसीडेन्ट के इस हुक्म के, इस आदेश के मुझे इतनी मोटी कार्यवाही की किताब में कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि वे दसों शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स कमेटी के सामने रखे गये जिससे यह मालूम होता कि उनमें माननीय गेंदा सिंह जी का सवाल शामिल था या नहीं? फिर दूसरा सवाल पैदा होता है। आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि ये सवाल रेफरेन्स के लिये लाइब्रेरी भेज दिये गये। मैं कहता हूं कि लाइब्रेरी के किसी शख्स का स्टेटमेंट क्यों नहीं रेकर्ड किया गया। लाइब्रेरी के किसी न किसी जिम्मेदार शख्स का बयान होना चाहिये था।

फिर जो दीन दयाल जी रेवेन्यू मिनिस्टर के पी० ए० हैं उनका बयान हुआ है। उन्होंने यह बयान दिया है कि जब यह कागज डिपार्टमेंट में आता है तो उसकी एंट्री मेरे यहां होती है और उन्होंने यह भी बयान किया है कि एक रजिस्टर है और हम दिखा देंगे। आपका यह कहना है कि आपके यहां यह सवाल प्राप्त नहीं हुआ। इधर से यह बात साबित होती है कि दस शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स भेजे गये थे। वह रजिस्टर क्यों नहीं पेश करते हैं जिससे यह साफ हो कि यह सवाल नहीं पहुंचे हैं। जब कि यह बयान है कि इस मामले में वह रजिस्टर देखकर बयान कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर उस कमेटी के सामने नहीं पेश किया गया हालांकि जो प्रेसीडेन्ट थे उन्होंने यह आदेश भी उनको दिये कि यह रजिस्टर आप देख कर के हम लोगों को सूचना दीजिए कि आपके यहां यह रजिस्टर में ११ तारीख के बाद दर्ज है या नहीं है। वह भी नहीं हुआ। उसके बाद श्रीमन् जो सेक्रेटरी ल लेजिस्लेटिव असेम्बली के, उनके बयान के लिये भी हमारे प्रेसीडेंट साहब ने आदेश दिया

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

कि उनका भी बयान इस सिलसिले में जरूर हो। लेकिन उनका बयान भी नहीं है। बावजूद इसके कि कमेटी निश्चय कर चुकी थी कि उनका बयान लिया जाना चाहिये था और यकीनन वह बड़े इम्पार्टेंट विटनेस थे, लेकिन उनका बयान नहीं लिया गया।

इन सब चीजों से हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आर्डिनरी ला जो है उसकी दफा ११४ की तरफ हम नजर डालें तो हमको यह मालूम होगा कि अगर कोई विटनेस किसी फैक्ट के ऊपर कोई नालेज रखे और उसको न पेश किया जाय या अगर कोई डाक्यूमेंट वह डिसक्लोजर कर सकता है और वह डाक्यूमेंट किसी आदमी की कस्टडी में है जो कि फराहम हो सकता है, लेकिन वह न पेश किया जाय तो उसका नेचुरल प्रिजम्पशन यह होगा कि जो आदमी पेश करना चाहता था, अगर वह गवाह पेश होता तो उसके खिलाफ होता। इसलिये उस रजिस्टर को न पेश करना, सेक्रेटरी का बयान रिकर्ड न होना, इन तमाम चीजों से साबित होता है कि यकीनन जो शुबहा माननीय गेंदा सिंह जी का था वह बिलकुल बेबुनियाद नहीं था। एक डिस्पैच रजिस्टर पेश किया गया। लेकिन वह भी बड़ा गोल मोल है। उसमें ४९ तक के सीरियल नम्बर हैं लेकिन उसके बाद जहां से यह सवाल शुरू होता है उसके बाद से कोई सीरियल नम्बर ही नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कि इस सदन के सामने मौजूद हैं और जिन पर कि हम एक जज की हैसियत से देखना चाहते हैं, मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन सारे वाकयात को देखिये और गौर कीजिए कि इनसे क्या नतीजा निकलता है।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस और जुडिशल फंक्शन्स बिलकुल अलग-अलग हैं। आम तौर पर जो लेजिस्लेचर है उसका कोई फंक्शन जुडिशल मैटर्स में नहीं होता है। लेजिस्लेचर का केवल फंक्शन इतना है कि वह कानून बना दे। जूडिशियरी का फंक्शन यह है कि वह उसका इंटरप्रीटेशन करे। लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न इस जनरल रूल में एक सालिटरी एक्सेप्शन है जिसमें हम कानून बनाते हैं और उसके साथ-साथ यह भी करते हैं कि किसी ने इस कानून को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, यानी यहां हमारा स्टेटस जो है, एक डबल कैपेसिटी हो जाती है, यहां हमारा लेजिस्लेटिव रोल होने के साथ-साथ जूडिशल रोल भी हो जाता है और इसलिये हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। श्रीमन्, इसी कारण से जो प्रोसीजर है इसमें वह भी आर्डिनरी ला के प्रोसीजर से बिलकुल अलग है। उसमें तो यह है कि जो एक्यूज्ड है वह अपने को डिफेंड करने के लिये अपनी मर्जी के वकील मुकर्रर कर सकता है। लेकिन इसमें यहां के लोगों से अलग कोई आदमी उसमें भाग नहीं ले सकता है। फिर उसमें यह है कि सब कुछ मुल्जिम की मौजूदगी में होगा। लेकिन इसमें यह है कि जब यह कार्यवाही शुरू होगी तो जिस शख्स के खिलाफ कार्यवाही हो रही है वह सदन के बाहर चला जायगा। यह इसलिये है कि जो लोग इस मामले को तय करेंगे वह किसी पार्टी के दृष्टिकोण से उसको तय नहीं करेंगे। वह लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कन्वेन्शन है और उसमें सब जगह पार्टी की बेसिस पर हुकूमत होती है। इसलिये मैं सभी सदस्यों से चाहे वह इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सब से यह कहना चाहता हूं कि आपको बहुत ही निष्पक्ष भाव से, इन्साफ के तरीके से, इसका फैसला करना है। मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह रिपोर्ट और यह प्रिन्टेड बुकलेट जो गेंदासिंह जी के खिलाफ कार्यवाही की है यह किसी जज के सामने रख दी जाय तो वह यही फैसला करेगा कि गेंदा सिंह जी बिलकुल बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ बिलकुल गलत आरोप लगाये जा रहे हैं।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी समझता हूं और यह सुझाव अर्ज करना चाहता हूं ताकि ऐसा न हो कि हम जब यह फैसला करें तो दुनिया इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने ठीक तरीके से फैसला नहीं किया है। मैं श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १७८ के आधार पर यह चाहूंगा कि यह मसला ऐडवोकेट जनरल को रेफर किया जाय। ऐडवोकेट जनरल बुलाये जायं और वह

इस मामले में अपनी राय दें। तीन प्रश्न साफ तौर से उनको रेफर कर दिये जायं। पहला प्रश्न यह रेफर किया जाय कि आर्टिकल १९४ कांस्टीट्यूशन का जो है जिसमें हमें फ्रीडम आफ स्पीच है, उस पर यकीनन रूल्स आफ प्रिविलेज के आधार पर कुछ रेस्ट्रिक्शन्स हैं। हमारे रूल्स के अन्दर आज तक उनको डिफाइन नहीं किया गया है। इसके लिये हम पार्लियामेंट के ऊपर डिपेन्ड करते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है वह एक रिटिन कांस्टीट्यूशन है। उसके अन्दर हमको कुछ अधिकार दिये गये हैं। उन अधिकारों की बिना पर ही हम यहां असेम्बली में आते हैं और अपनी-अपनी बातें कहते हैं। उनसे यह पूछा जाय कि १९४ कांस्टीट्यूशन के मातहत, जो यहां पर प्रिविलेज के मोशन आते हैं, उसमें हम लोगों को स्पीच का कहां तक अधिकार है।

दूसरी बात यह पूछी जाय कि यह मान लिया जाय कि गेंदा सिंह जी ने आरोप लगाये और वह अपने ऊपर प्रिविलेज का सवाल लाये तो यह सवाल कहां तक मेन्टेनेबिल है।

तीसरी बात जो इस कमेटी की रिपोर्ट में है उसके आधार पर हमको यह देखना है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो आरोप लगाये और जिनको वह साबित नहीं कर सके तो उसका कोई असर ब्रीच आफ प्रिविलेज की नीति पर पड़ता है और उसके आधार पर जो रिपोर्ट है उसमें क्या किसी आदमी को एक्यूज्ड की हैसियत से कंडेम कर सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब किसी सदन के सामने किसी प्रिविलेज के मोशन पर इस तरह से डिबेट हो और जब किसी असेम्बली में कांस्टीट्यूशनल फंक्शन को छोड़कर जुडिशियल फंक्शन को इस तरह से अख्तियार किया गया हो।

श्री अध्यक्ष--आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं।

श्री सैयद जरगाम हैदर--यही नहीं कि आप यहां पर कोई इंसाफ कर दें बल्कि यह भी होना चाहिये कि दुनिया के देखने वाले इस उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ जनता के प्रतिनिधि जो फैसला करते हैं, उस फैसले के लिये जनता का विश्वास प्राप्त हो और जिसके बारे में जनता यह समझे कि सही फैसला हुआ है। अगर आप आज इस तरह का फैसला नहीं करेंगे, माननीय गेंदासिंह जी को निर्दोष साबित नहीं करेंगे, उनको कंडेम करते हैं तो जनता के अन्दर एक शुबहा पैदा होगा और यह कहा जायगा कि यह फैसला ठीक नहीं है। इसलिये मैं, जनाबवाला से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इससे इस सदन का वकार बढ़ेगा ? हमको इस तरह के कन्वेंशन यहां पर कायम करने चाहिये जिनको देखकर दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग हमारे साथ चल सकें।

मैं आखिर में सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हमको इंसाफ से काम लेने की जरूरत है। इसी इंसाफ के मुताल्लिक जो कुछ मुझे अर्ज करना था, जो त्रुटि मुझे नजर आई इस रिपोर्ट के अन्दर, उसकी कमजोरी के मुताल्लिक वह सब मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब हमको इस बात का फैसला कर देना है कि....

श्री अध्यक्ष--आप फिर रिपीट कर रहे हैं।

श्री सैयद जरगाम हैदर--मैं केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमको यह फैसला करना है कि माननीय गेंदासिंह जी ने इस सदन का सदस्य होने के नाते जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उनकी बिना पर ही माननीय सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये इस प्रिविलेज के सवाल को यहां पर उठाया है। हमको यही फैसला करना है कि वह कहां तक, किसी तरह से मुजरिम हैं या नहीं। अगर बगैर किसी माकूल वजह के और बगैर इस बात को देखे हुए.....

श्री अध्यक्ष--आप फिर रिपीट कर रहे हैं। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से इस प्रिविलेज मोशन के संबंध में जो बहस हो रही है, मेरा ऐसा खयाल है कि जो कोई भी शख्स इन बातों से दिलचस्पी रखता होगा कि हमारे देश में और विशेषरूप से हमारे प्रदेश में लोकतांत्रिक पद्धतियां कायम हों और मजबूती के साथ उनके अनुसार काम हो, हर ऐसे व्यक्ति को हमारी कार्यवाही की रिपोर्ट को पढ़कर और सुनकर अफसोस होगा।

इस सदन ने एक कमेटी बैठायी विशेषाधिकार के किसी सवाल की जांच करने के लिये। आश्चर्य की बात है कि कल जब वह रिपोर्ट पेश हुई तो हमारे सामने यह प्रस्ताव आया कि इस रिपोर्ट पर विचार न किया जाय। यह सदन अपनी नियुक्त की हुई किसी कमेटी के काम को इतनी हल्की निगाह से देखें, यह देख सकता है, यह शायद और जगह संभव नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट पर गौर किया जाय और उसमें जो सिफारिशें हैं, वे स्वीकार न की जायं। यह तो हो सकता है, लेकिन शायद पार्लियामेंटरी इतिहास में बहुत कम ऐसी मिसालें मिलेंगी, अगर कोई मिल जाय तो, कि सदन अपनी नियुक्त की हुई कमेटी की बात सुनने को भी तैयार न हो और यह कहे कि इस पर गौर न किया जाय या यह कहे कि इस सवाल को एक दूसरी कमेटी के सामने रख दिया जाय। यह भी एक प्रस्ताव कल हमारे सामने आया था, आश्चर्य की बात है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उसी कमेटी के सामने।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं। बगल में एक दूसरे सदस्य बैठे हैं, उन्होंने कहा था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैंने कहा था कि उसी कमेटी को फिर से रेफर कर दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तो मेरी गलती होगी। शायद इसकी भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि उस पर विचार किया जाय या नहीं। इस पर डिवीजन चैलेंज किया गया। हमने यह मिसाल पेश की दुनिया के सामने और यह एक ऐसी चीज है कि जो लोकतंत्रीय शैलियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिये दुखद बात है।

बहुत बहुत सी बातें हुईं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत-सी ऐसी बातें कही गयीं कि जिसे अंग्रेजी में इश्यू को साइड ट्रैक करना कहते हैं, वैसी थीं। उस बहस का असर यह होता है कि जो असल सवाल है उस पर परदा पड़ जाता है और ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जो आनुषंगिक होते हैं, जो असल सवाल से काफी दूर होते हैं। मिसाल के लिये अपना प्रस्ताव पेश करते समय माननीय पालीवाल जी ने यह कहा कि इस प्रिविलेज कमेटी के सामने दो सवाल थे। एक तो विशेषाधिकार का सवाल था और दूसरा यह सवाल था कि प्रश्नों के उत्तर देर से आते हैं। तो अगर उत्तर देर में मिलते हैं या देर होती है श्रीमन् के दफ्तर में या मिनिस्टरों के यहां तो उसके लिये कमेटी क्या करेगी। अपने यहां के लिये श्रीमन् स्वयं देख सकते हैं और मिनिस्टरों के यहां जो देर होती है उसके लिये आपको काफी अधिकार है। आप उनको पुलअप कर सकते हैं। विशेषाधिकार समिति उसमें क्या करेगी? लेकिन यह ठीक है कि अगर वह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो यह चीज टल जाती।

इसी तरीके पर माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया उनमें एक चीज पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि सवाल यह है कि ७ रोज तक यह कागज कहां रहे। वह सवाल कहां रहे, मेरा कहना यह है कि यह बात बिलकुल प्रासंगिक नहीं है, बिलकुल इर्रेलिवेंट है। सात दिन नहीं ७० दिन के लिये होते तो भी इस प्रिविलेज कमेटी के सवाल के सिलसिले में यहां उसका कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा यह सवाल और भी खत्म हो जाता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तरह से। वह इस तरह से कि जिस दिन बहस हुई थी आपने स्वयं कहा था कि मेरे दफ्तर की गलती है। मेरे दफ्तर में रह गये। अब कल माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि मिनिस्टरों के दफ्तर की बाबत हम को कोई विश्वास, भरोसा नहीं है। मिनिस्टर गलत हैं तो दफ्तर भी गलत होंगे। जाहिर बात है। लेकिन श्रीमन् के दफ्तर की बाबत, उसके एफीशियेंट, निष्पक्ष होने पर, उसकी ईमानदारी और भलाई पर उन्हें भरोसा है। जैसा उन्होंने कहा, ठीक कहा। उसकी बाबत कभी सवाल नहीं उठा। स्पीकर के ऊपर अविश्वास का सवाल उठा लेकिन उसके दफ्तर के ऊपर अविश्वास का सवाल नहीं उठा। आप बधाई के पात्र हैं इसके लिये। बहरहाल, यह आपका दफ्तर है। आप स्वयं कहते हैं और उसे मानना भी चाहिये कि आपके दफ्तर में भले ही एफीशियेंट लोग हों, ईमानदार हों, निष्पक्ष हों, लेकिन जहांतक मैं जानता हूं वह मनुष्य हैं और कभी न कभी अच्छे से अच्छे मनुष्य से किसी न किसी मामले में गलती हो जाती है। आपने स्वयं कहा कि मेरे दफ्तर की गलती से एक हफ्ता लग गया। अब इसके बाद क्या और किसी जांच की जरूरत है? सात दिन की देर हुई हो या ७० दिन की, जब आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमारे दफ्तर की गलती है तो कमेटी क्या जांच करती सिवाय इसके कि आपको झूठा समझती और आपके बयान के बाद भी फिर जांच करने जाती। प्रिविलेज कमेटी के हाथ बंध गये जब आपने उसको स्वीकार कर लिया। अगर कोई मुजरिम है तो आप हैं या आपका दफ्तर मुजरिम है। तो इस सवाल के उठाने के कोई माने नहीं होते कि कागज कहां रहे। जब तक कोई इस बात को न उठावे कि आप गलतबयानी करते हैं तब तक इस सवाल के अन्दर जाने का प्रिविलेज कमेटी को कोई अधिकार नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब इस बात की बार-बार चर्चा होती है कि यह जो प्रिविलेज कमेटी की कार्यवाही होती है, उसके सामने, वह न दीवानी किस्म की है न फौजदारी किस्म की है। है शायद किसी हद तक, लेकिन जो माननीय सदस्य श्री जरगाम हैदर अभी बोल रहे थे, जैसा उन्होंने कहा कि न यह कार्यवाही फौजदारी किस्म की है और न दीवानी, यह सही है। दीवानी और फौजदारी अदालत के लिये कुछ कायदे कानून होते हैं, लेकिन वह यहां पूरे तौर से लागू नहीं होते। कई कारणों से हमारे यहां की कार्यवाही भिन्न है और यहां की जो अदालत है वह चाहे सदन हो या उसके द्वारा नियुक्त की हुई कोई कमेटी, वह अपना प्रोसीजर और कायदा खुद तय करती है। अदालत अपना प्रोसीजर खुद नहीं तय कर सकती। वह बंधी हुई होती है, हम नहीं। जो न्याय के मौलिक सिद्धांत हैं उन पर मैं नहीं जाता, लेकिन उन टेक्निकैलिटीज में हम बंधे हुए नहीं हैं जैसी कि वे अदालतें बंधी हुई हैं। उनके लिये अपील की जा सकती है। इसलिये प्रिविलेज के सवाल पर विचार करते समय दो-तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये। एक बात तो सदन ध्यान में रखता है कि प्रिविलेज का सवाल कभी पार्टी का सवाल नहीं होता और न पार्टी का सवाल होना चाहिये। आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वे कल विरोधी पक्ष में हो सकते हैं और आज के विरोधीपक्ष के सदस्य कल गवर्नमेंट में हो सकते हैं। जो आज मिनिस्टर है वह कल साधारण सदस्य हो सकता है और जो साधारण सदस्य है वह कल मिनिस्टर हो सकता है। आज जिस किस्म का अवमान एक का किया जा सकता है ठीक उसी तरह का अवमान कल दूसरे का किया जा सकता है। तो एक का अवमान, हर एक का अवमान है और सारे सदन का अवमान है। इसलिये जो सदस्य हैं वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि चूंकि हमको बोलने की पूरी आजादी है इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम स्वयं ही इस आजादी का दुरुपयोग कर लें। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि फ्रीडम आफ स्पीच मिली है, लेकिन इतना याद रखना चाहिये कि 'लिबर्टी इज नाट ए लाइसेंस' (liberty is not a licence) यह बड़ा भारी सिद्धांत है। आजादी है, लेकिन निरंकुश आजादी हो जाय, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई रोकथाम करने वाला नहीं है तो हम स्वयं अपने ऊपर रोकथाम करने वाले हैं। एक मामूली-सी बात है। कोई आदमी अदालत में जाता है, सही या गलत जजों की बाबत

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कुछ फैसले होते हैं, लेकिन हम यहां उन पर गौर नहीं करते। कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हम उन पर गौर नहीं कर सकते, लेकिन हमने यह एक लगाम लगा रखी है। कितने ही मामले हैं कि जिनमें हमने अपने ऊपर अंकुश लगा रखा है। तो सदन को देखना पड़ता है कि जो स्वाधीनता हमको है उसका हम स्वयं दुरुपयोग न कर लें जो कि देश और समाज के लिये बुरा साबित हो। तो प्रिविलेज का सवाल पार्टी का सवाल छोड़ कर देखना पड़ता है। दूसरी तरफ नरमी की बात भी होती है। वह यह कि चाहे कुछ भी हो, हम जेल भेज सकते हैं। लेकिन साधारण तौर से इतनी ही बात रहती है कि वह आदमी इतना ही मुंह से कह दे कि मुझसे गलती हो गयी और जो शरीफ आदमी गलती करता है वह कह देता है कि मुझ से गलती हो गयी। ऐसा कौन है जो दावा कर सकता है कि मैं गलती नहीं करता। जोश में, आवेश में, गलत बात निकल ही जाती है, गलत सूचना निकल जाती है। वह कह सकते थे कि हमने एक आदमी का भरोसा किया कि जो वह सूचना दे रहा है वह सही है और उसके आधार पर हमने वह बात कही, लेकिन वह ठीक नहीं है। जैसे ही यह बात उनको मालूम हुई वैसे ही कह देना चाहिये था कि गलती हुई और बात खत्म हो गयी। शरीफों के बीच में, सदन के बीच में, और कोई दंड की आवश्यकता तो पड़नी ही नहीं चाहिये। यह प्रिविलेज के सवालों में चीज होती है जो दीवानी और फौजदारी की अदालतों में नहीं होती, इसलिये इस फर्क को ध्यान में रखना चाहिये।

त्रिलोकी सिंह जी ने सवाल उठाया कि कमेटी ने किस आधार पर कहा कि आप उस आदमी का नाम बताइये कि जिसने गलत सूचना दी, और उसके बारे में कांस्टीट्यूशन का भी जिक्र किया कि कांस्टीट्यूशन में है कि किसी आदमी से अपने विरुद्ध किसी किस्म का इकबाल नहीं कराया जा सकता। बिलकुल ठीक है। कांस्टीट्यूशन तो अब बना है, यह सिद्धांत तो और देशों में भी बहुत दिनों से चल रहा है कि जो अक्यूज्ड है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह अपने खिलाफ कोई बात कहे। लेकिन कमेटी ने ऐसी कौन-सी बात की? माननीय गेंदासिंह जी को कहां मजबूर किया? कमेटी ने तो इस मामले में उनसे पूछ कर कि आपको किसने ऐसी खबर दी, उनकी मर्यादा को और बढ़ाया, आप खयाल करें।

आप कहते हैं कि कोई चीज हमारे यहां रुकी रही, माल मंत्री जी का उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन बावजूद इसके माननीय गेंदासिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वह कागज माल मंत्री के पास पहले पहुंच गया। इसी सदन में कहते हैं कि इसको आप जरूर भेजिये प्रिविलेज कमेटी के पास क्योंकि इसमें बड़े-बड़े रहस्यों का उद्घाटन होगा। लेकिन कोई बात तो ऐसी समझ में नहीं आयी। बात सिर्फ ११–१४ तारीख की है, तो रहस्य का जो उद्घाटन होगा उसके इतने ही माने हो सकते हैं कि या तो असली कागज हटा कर दूसरा कागज रख दिया गया या तारीख बदली गयी, उसमें जाल-साजी की गयी—और कोई बात नहीं हो सकती। ११–१४ तारीख की बहस है और एक प्रकार का आरोप आपके दफ्तर के ऊपर आता है और अगर इसका प्रमाण मिलता तो भेद खुल जाता कि इस तरह से एक कागज हटा कर दूसरा रखा गया या जालसाजी की गयी। वह बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ा काम होता जो कि आइंदा के लिए भी बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसी कोई चीज साबित नहीं हो सकी। ऐसी हालत में, मैं समझता हूं कि प्रिविलेज कमेटी ने उनकी मर्यादा को बहुत बढ़ाया, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया। क्योंकि कमेटी ने समझा कि माननीय गेंदासिंह जी जो ऐसी बात कहते हैं, यद्यपि वह उसको सिद्ध नहीं कर सकते, तो सम्भव है कि अपनी जानकारी पर न कहते हों और किसी गलत व्यक्ति ने गलत या सही उनको खबर दे दी हो कि वहां पर ऐसा मालूम होता है कि कागज उड़ा दिया गया है या जालसाजी कर दी गयी है, उस सूचना का उन्होंने विश्वास किया तो किस आदमी ने ऐसी गलत सूचना दी और किसने कहा कि जालसाजी है या धोखेबाजी है इसको वह बतावें। लेकिन वह बताते नहीं। त्रिलोकीसिंह जी जो नाराज हुए, यह मेरी समझ में नहीं आता बल्कि कमेटी को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि

उसने जल्दी इस बात का विश्वास करना पसन्द नहीं किया कि बगैर प्रमाण के गेंदासिंह जी ऐसी बात कहते और उनसे कमेटी ने इसीलिए पूछा, लेकिन वह नहीं बतलाते, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा जिसकी तरफ कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने ध्यान दिलाया, बल्कि बार-बार उन्होंने इशारा किया कि बारे सबूत (बर्डेन आफ प्रूफ), गेंदासिंह जी पर था। मेरी समझ में नहीं आया कि किसके ऊपर आखिर था। जिक्र हुआ देहरादून के एक माननीय सदस्य, श्री शान्ति प्रपन्न जी का। मान लीजिये शान्ति प्रपन्न न होते। इस किस्म की बात-चीत जो कि सारे सदन के सामने हुई थी, प्रिविलेज के जो नियम हैं, उनके अनुसार इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने जाने की जरूरत नहीं हो सकती थी। सारी बातें सदन के सामने हुई थीं, सदन स्वयं इसको ले सकता था और इसको अगर सदन ले लेता तो क्या सारा सदन मुलजिम हो जाता? अजीब बात है, सदन मुलजिम नहीं होता। ठीक वही बात देहरादून के माननीय सदस्य ने की। उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया कि ऐसी बात हुई है, इसलिये मुलजिम श्री गेंदासिंह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर मैं भूलता नहीं हूं, अभी श्री जरगाम हैदर ने अपनी स्पीच में इस बात का इस्तेमाल किया कि श्री गेंदासिंह मुलजिम की हैसियत में थे। उन्होंने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। एक आदमी कहता है दूसरों की बाबत, इलजाम लगाता है कि इस तरह की धोखेबाजी की। मैं छोड़ देता हूं कि असेम्बली प्रोसीडिंग्ज में क्या लिखा है बहरहाल जिस तारीख को माननीय गेंदासिंह कहते हैं उसको माल मंत्री कबूल नहीं करते, किसी दूसरी तारीख को कबूल करते हैं। गेंदासिंह जी इलजाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं तो फिर बर्डेन आफ प्रूफ किस पर होगा। अगर एक आदमी कहता है कि सम्पूर्णानन्द ने खून किया तो मुझको जो अक्यूज करता है उसी पर बर्डेन आफ प्रूफ होगा, दूसरे पर नहीं हो सकता। माल मंत्री ने कोई बात नहीं कही, देहरादून के सदस्य ने कोई बात नहीं कही, सिर्फ सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया। अगर किसी पेपर में या किसी पब्लिक मीटिंग में कोई बात होती तो देहरादून के मेम्बर पर यह बार आ सकता था कि आया गेंदासिंह ने यह बात कही या नहीं, लेकिन जो बात सदन के सामने हुई जिसे सदन ने अपने कानों से सुना उसके लिये देहरादून के सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ मुलजिम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी (बर्डेन आफ प्रूफ) का पूरा वार है। इसलिये गेंदासिंह जी को साबित करना चाहिये कि माल मंत्री ने कागज दबा रखा या क्या किया लेकिन इसको वे साबित नहीं कर सके। ऐसी हालत में छोटी मोटी टेक्निकैलिटीज की बातों में कि प्रोसीजर में यह हुआ या यह होना चाहिये था, नहीं जाना चाहिये। मुख्य सवाल है कि अवमान हुआ या नहीं हुआ? जानबूझ कर बेकार किसी के बारे में कोई ऐसी बात कही गयी जो साबित नहीं की जा सकी, अगर ऐसा हुआ तो ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और मेरी समझ में कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिये। आखिर कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने खुद कहा कि इस वक्त भी अगर गेंदासिंह जी खेद प्रकट कर दें तो हम इस मामले को ड्राप कर देंगे। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? कोई इन्सान है उससे गलती हो गयी, किसी गलत इत्तला पर कोई बात कह गया तो उस मामले को खत्म किया जाय, लेकिन उन्होंने उसे मानना स्वीकार नहीं किया। फिर कमेटी ने यह कहा है कि उनकी भर्त्सना की जाय, सदन यह निश्चय करे कि उन्होंने जो काम किया वह गलत काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे नर्म कोई और सिफारिश कमेटी कर नहीं सकती थी। इसलिये प्रिविलेज कमेटी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर काफी बहस हो चुकी है और अब एक कटुता का वातावरण पैदा हो रहा है, इसलिये माननीय गेंदासिंह जी को बुला लिया जाय ताकि वह जो कुछ कहना चाहें कहें और उसके बाद इसे खत्म किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अभी और भी लोग बोलने वाले हैं और आज दिन भर के लिये यह है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने प्रश्न उपस्थित करने के लिये प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं कि नियमों में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि इस पर बहस संक्षेप में हो और अब इस पर काफी लोग बोल चुके हैं, इसलिये मैं इस प्रश्न को रख देता हूं और सदन की राय के ऊपर छोड़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—उनको बुलाने के सम्बन्ध में कल माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा था कि उनको बुलाना उचित न होगा, जब तक इस पर बहस चल रही है, लेकिन इस समय दो चीजें हमारे सामने हैं। एक तो यह कि क्या सदन यह चाहता है कि उनको यह मौका दिया जाय और उनको 'फर्दर एक्सप्लेनेशन' देने के लिये बुलाया जाय, यानी अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने के लिये उनको बुलाया जाय। अगर इस निर्णय पर सदन आता है तो उनको मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं समझता हूं, इसमें यह मुनासिब होगा कि आपकी तरफ से उनसे पुछवा लिया जाय कि अब चूंकि बहस समाप्त हो गयी है इसलिये अगर वह कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं पेश्तर इसके कि प्रस्तावक महोदय अपनी बात कहें अथवा उसमें मैंने जो तरमीम पेश की है उस विवाद का जवाब मैं दूं। यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि अगर वह आना चाहें और कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री अध्यक्ष—श्री सुरथबहादुरशाह, कृपया उनसे जाकर पूछ लें कि क्या वे आना चाहते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा हो कि हाउस ५ मिनट के लिये एडजर्न कर दिया जाय। हाउस ससपेंशन में नहीं रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अभी सदन की कार्यवाही ही हो रही है। यह सदन की कार्यवाही का ही एक अंग है। इसलिये वह जारी है।

(श्री गेंदा सिंह के सदन में आ जाने के बाद)

श्री अध्यक्ष—अभी जो विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर सदन में विवाद हुआ उस समय माननीय गेंदासिंह जी, आप मौजूद नहीं थे। अब वह समाप्ति पर है। अब इसके पश्चात् जो संशोधन माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने उपस्थित किया है, वह बोलेंगे और उसके बाद जो प्रस्तावक हैं वे बोलेंगे। तो एक मौका सदन आपको यह देना चाहता है कि अगर आप कोई विशेष स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। दूसरे यह है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं तथा आप सदन में बैठे रहना चाहते हैं तो आप बैठे रह सकते हैं। दोनों के लिये सदन की इच्छा है कि आपकी मर्जी के ऊपर वह छोड़ दिया जाय। तो आप कोई विशेष स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जी हां। मान्यवर, जिस इरादे से मैंने प्रश्न किया था उसी इरादे से मैंने आपसे यह प्रार्थना भी की थी कि विशेषाधिकार समिति को यह मामला भेज दिया जाय। प्रश्न करने के माने थे कि जो लाखों किसानों पर जुल्म हो रहे थे उससे उनको बचाऊं और उस तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊं तथा सरकार की जानकारी में, अगर वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात न हो, तो उसे उनकी जानकारी हो सके। उसमें हम नाकामयाब रहे। नाकामयाब जिन कारणों से रहे उन कारणों में हम ने यह जरूर दिखा दिया कि अगर नियमों के अनुसार हमें यह सुविधा प्राप्त हुई होती, जिस सुविधा की हम आशा रखते हैं, जनता की सेवा करने के लिये, हमको यह अवसर दे रखा है कि हम जिन लोगों के जरिये इस सदन में आते हैं उनकी सेवा अपने उचित अधिकार का उपयोग कर के हम करें और उस उचित अधिकार का उपयोग करने के लिये आपने कुछ नियम यहां बना रखे हैं। बनाये हुए नियमों के अनुसार हम यहां बैठ कर बातचीत करते हैं, नियमों के ही अनुसार मंत्री लोग बनाये गये हैं, मान्यवर आप भी नियमों के अनुसार ही यहां अध्यक्ष हैं, अगर यह नियम न हों तो ऐसे उदाहरण भी सदन में आये हैं कि जब किसी माननीय सदस्य को जानवर की तरह टांग पकड़ कर सदन से निकाला गया है, निकाला गया और निकाला जाना पड़ा है। मैं समझता हूं कि जहां एक तरफ इतने सीमित अधिकार सदन के हैं, उनके होते हुए कुछ अधिकार हम को भी आप ने दे रखे हैं। हम अपने अधिकारों को आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। वह जो भी हमें मिले हैं उनका उचित ढंग से हम उपयोग करेंगे। यदि नियमों में इस बात की गुंजायश है कि ३ दिन का नोटिस दे कर प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं तो उनको छीनने का हक मैं समझता हूं कि केवल आप को है, दूसरा कोई यह हक नहीं रखता। फिर अगर छीन सकती है तो मेजारिटी पार्टी छीन सकती है। अगर मेजारिटी पार्टी चाहती है कि ३ दिन का समय पर्याप्त नहीं है तो उसके लिये एक मिनट का काम है कि वह उस नियम में तब्दीली कर दे। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि वह आपसे प्रार्थना करके उसे सस्पेंड करा दें, लेकिन वह न बदलें और आप ससपेंड न करें तो हमारे लिए कौन-सा रास्ता रह जाता है? किस रास्ते से कोई माननीय सदस्य चले? श्रीमन्, मैं आपसे यह कहने के लिये क्षमा चाहूंगा कि जब तक वह नियम नहीं बदला जायगा तब तक किसी माननीय सदस्य के डर से या बहुमत के डर से उन नियमों को मनवाने के लिये हम....

श्री अध्यक्ष—आप जरा बैठें, आपको स्पष्टीकरण का मौका दिया गया, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया उसका स्पष्टीकरण आप नहीं दे रहे हैं। आप के ऊपर यह आरोप लगाया गया है जिसको भेजा गया था कमेटी में कि आपने विधान सभा सचिवालय के ऊपर यह कह करके कि मैं भंडाफोड़ करने वाला हुं, यह शंका पैदा कर दी कि उसने कोई जाल किया है या कोई काग ा बदला है या इस सचिवालय ने केवल नहीं बल्कि माल विभाग के सचिवालय में किसी ने इस प्रकार का जाल किया है जिसका आप भंडाभोड़ करने वाले थे। वह चार्ज आपने सदन में किया था और बार बार कहा था कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय। मैंने कहा था कि नहीं मैं किसी को विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाने दूंगा, लेकिन जब आपने बार-बार कहा तब उस के ऊपर मैंने यह कहा था कि आप के शब्दों से गम्भीर आक्षेप होता है। उस समय के मेरे शब्द जो हैं उनके कुछ वाक्य आपको पढ़ कर सुनाये देता हूं--"लेकिन इसके बावजूद कल उन्होंने (गेंदासिंह जी ने) फिर खड़े होकर यह कहा कि अगर यह प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला दे दिया जाय तो बहुत कुछ भंडाफोड़ या रहस्य का उद्घाटन होगा तो मैंने समझा कि इसका मतलब उनके कहने का यह है कि इसमें या तो किसी ने फोर्जरी की या किसी ने आंकड़े बदले, चाहे वह व्यक्ति हमारे दफ्तर का हो, चाहे माल मंत्री के दफ्तर का हो, किसी ने ऐसी बात को किया है। जब यह शंका पैदा हुई तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, जब आप ही इस प्रकार की बात कहते हैं तो लाचारी है। मैंने तो समझा था कि मामला खत्म हो गया और मैं इसको खत्म करना चाहता भी था।" फिर अन्त में जाकर मैंने यह कहा था, "तो मैं इस मामले को इस वास्ते नियम ६७ के अनुसार विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं कि वह इस मामले को इन्वेस्टीगेट करे। जितने चार्ज अभी सदन में, और कल माननीय गेंदासिंह जी ने लगाये हैं उनके बारे में, और अपनी रिपोर्ट विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में प्रस्तुत करें।"

तो यहां पर अभी जो बहस हुई उसमें जो आरोप आपके ऊपर लगाया, उसका आप से सदन स्पष्टीकरण चाहता है कि विधान सभा के सचिवालय के ऊपर आपने यह चार्ज लगाया

[श्री अध्यक्ष]

कि उसने फोर्जरी की। यह बहुत गंभीर चार्ज है। या माननीय माल मंत्री के सचिवालय के ऊपर चार्ज लगाया कि उसने फोर्जरी की। सदन में बहस इस बात की हुई कि यह भाषण स्वातंत्र्य के बाहर की चीज है कि किसी पर फोजेरी करने का आक्षेप करना और विशेषकर विधान सभा के सचिवालय के ऊपर करना, इस तरह की बहस यहां हुई है। इस दृष्टि-कोण को सामने रख कर आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि आपने ऐसा चार्ज लगाया या नहीं लगाया, या क्या बात है, और आप का क्या उद्देश्य था।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, कमेटी ने काफी छानबीन की और मैं समझता हूं कि मुझको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि फोर्जरी हुई या नहीं। डाक्यूमेंट्स बदले गये या नहीं, यह मैं समझता हूं कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कहने की। कमेटी की प्रोसीडिंग्स सारे सदन के सामने है। उसमें से कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय चरणसिंह जी को और जो हमारे एसेम्बली के डिस्पैचर हैं, इन दोनों आदमियों को आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय चरणसिंह जी ने प्रोसीडिंग के पेज १० पर यह कहा---"जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं मेम्बर हूं इस हाउस का और बतौर मेम्बर हाउस के मेरे ऊपर चार्ज यह है कि ११ तारीख से १७ तारीख तक वे सवालात मेरे यहां रहे और मैंने उनको छिपा कर रखा तथा उनका जवाब मैंने २१ को दिया। अब अध्यक्ष महोदय, फाइल क्या कहती है, जिसको माननीय गेंदासिंह देख चुके हैं। फाइल कहती है कि आपके दफ्तर से मेरे यहां सवालात १७ तारीख को गये हैं। आपके यहां से जो कागज मेरे यहां गया है उस पर नम्बर पड़ा है---११२। यह शायद आपके यहां के रजिस्टर का नम्बर होगा। बहुत साफ तारीख लिखी है दिनांक १७-२-५८।" यह है माननीय चरणसिंह जी का बयान। यह वह बयान है जो उन्होंने इस सदन में आपके सम्मुख दिया था। यह पेज १० पर है। अब हमारे डिस्पैचर श्री सईदउद्दीन हैदर साहब यह कहते हैं। पहले कार्यकारी सभापति का प्रश्न है, "माननीय गेंदासिंह जी के जो यह प्रश्न हैं उनको आपने किस तारीख को डिस्पैच किया था?" "श्री हैदर---वह २ जगह भेजे गये थे, ९९२ भेजा गया था स्केयरसिटी विभाग को, जो वहां १८ तारीख को रिसीव किया गया और ९९२ (१), पी० ए० टु मिनिस्टर, रेवेन्यू को १७ को भेजा गया और उसी दिन वहां रिसीव कर लिया गया।"

अब श्रीमन्, मैं तो बहुत हैरान हूं कि वह ११२ नम्बर का कागज कौन है। वहां से तो ९९२ नम्बर का गया और चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं, ११२ नम्बर का आया। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ, न कमेटी ने कोई छान-बीन की। अगर की है तो वह बता दे, मैं करेक्शन करने तो तैयार हूं। उसका जो कुछ भी मतलब हो श्रीमन्, वह सदन लगावे। मान्यवर, श्री हैदर साहब इतना ही नहीं कहते। वह यह कह रहे हैं कि "जो डिस्पैच रजिस्टर है न उस पर पन्नों का नम्बर है और न सीरियल नम्बर है।" यह डिस्पैच रजिस्टर है असेम्बली का श्रीमन्, जहां से सारे सवालात भेजे जाते हैं मिनिस्टर साहबान के पास। फिर मैंने उस रजिस्टर को अपनी तरफ खींचा और मैंने उसमें से देख करके यह कहा कि भाई पहले तो कुछ नम्बर पड़े हुए हैं, हैदर साहब। तो वह फरमाते हैं "शुरू के पन्नों पर जो ४९ तक सीरियल दे रखा है वह तो चपरासी के समझाने के लिये दे रखे हैं वरना कठिन हो जाता है।" पहले इसी पन्ने पर वह कह रहे हैं कि रजिस्टर में हर तारीख पर शार्ट नोटिस क्वेश्चन पर सीरियल नम्बर नहीं दते और किसी भी पीयन बुक पर बाकायदा कोई भी नम्बर नहीं है। अब इस डिस्पैच रजिस्टर को जो कुछ भी समझा जाय। माननीय माल मंत्री जी स्वतः इस बात को कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि यह प्रश्न किस तारीख को वहां आय। मैंने बारबार उनसे जानने की चेष्टा की कि आप यह कह सकते हैं कि ११ से १४ तक आपके यहां यह प्रश्न नहीं रहे हैं। इसको स्पष्ट कहने के लिये वह तैयार नहीं हैं। उनके पी० ए० से पूछा गया। उनका बयान और उनके पी० ए० का बयान,

दोनों को देखा जाय। वह यह कहते हैं हमारे पास तो २० को यह आया। २० के पहले हमारे पास नहीं आया, लेकिन २० के पहले, जब मैंने प्वाइंटेडली इस तरफ उनका ध्यान दिलाया तो उन्होंने यह कहा कि 'हो सकता है जनवरी, १९५७ में भी यह रहा हो हमारे दफ्तर में, लेकिन हमारे सामने नहीं रहा।' कुछ नाराज होकर जवाब जरूर दिया उन्होंने। लेकिन जवाब यह है कि हो सकता है हमारे दफ्तर में जनवरी, १९५७ में भी रहा हो। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल जी को यह कहा गया कि "आपके यहां कोई रजिस्टर वगैरह मेन्टेन होता है, ऐसे सवालात का जो असेम्बली से आते हैं ?" उन्होंने कहा "कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं।" बड़ा वेग जवाब था। इसमें अध्यक्ष महोदय, किसी के लिये जानना कठिन था। लेकिन यह जरूर उनसे कहा गया "अच्छा कुछ लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं, वही रजिस्टर आप दिखा दीजिये।" लेकिन यह मेहरबानी उन्होंने नहीं की। मैं नहीं जानता, कमेटी के अधिकारी लोग यह बतायेंगे, दीनदयालु जी ने सभापति से पूछ कर नोट किया फाइल नम्बर। फाइल नम्बर नोट करने के बाद उन्होंने कहा हम जरूर दाखिल करेंगे। यह कमेटी के सामने मैं समझता हूं, मेरा विश्वास है, अभी तक नहीं आया है।

मैं उस तरफ आता हूं ११ से १४ तक यह सवालात कहां रहे ? इसका ठीक पता लगाने का काम जो आपने हमको भी दे रखा है और कमेटी को दे रखा है। उस कमेटी की प्रोसीडिंग देखने के बाद मैं कहां पहुंचा वह निवेदन कर रहा हूं। ११ से १४ तक सवाल कहां रहे, इसको बतलाने की कोशिश नहीं की गयी। कहा जाता है कि रिफरेंस में थे। रिफरेंस में जो साहब थे वह भी कभी चपरासी थे इस वक्त रिफरेंस का काम उनके सुपुर्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल कर लिया है। मैंने उनसे पूछा कि रिफरेंस में क्या करना होता है। उन्होंने कहा कि मेम्बर साहबान जिन कानूनों का हवाला देते हैं उनकी छान-बीन करना हमारा काम है कि कहीं मेम्बरों ने कानून में गलती तो नहीं की। तो उन्होंने छान-बीन की लाइब्रेरी से रेवेन्यू मैनुअल को लेकर १० से १४ तक उन्होंने छान-बीन की, लेकिन लाइब्रेरी का कोई शख्स इस मामले में कमेटी के सामने आ सका ? मैं शुबहे से खाली इस बात को नहीं समझता हूं कि क्यों नहीं लाइब्रेरी का आदमी पेश किया गया। क्यों नहीं जब यह तय कर दिया गया था कि सेक्रेटरी साहब का बयान जरूर होगा, असेम्बली के सेक्रेटरी साहब का बयान कार्यकारी सभापति ने तय कर दिया था कि इस मामले में जरूर होगा। लेकिन श्रीमन्, किसी सेक्रेटरी को यह उचित नहीं समझा गया कि उनको ऐग्जामिन किया जाय। बावजूद इसके कि मित्तल साहब और श्री रूपचन्द्र जी, यह दोनों आदमी कमेटी में शामिल हैं। दोनों आदमी मेरे ऊपर इल्जाम लगाने में .....

श्री अध्यक्ष--यह आप विषय पर बहस की शुरूआत नहीं कर रहे हैं। जरगाम हैदर साहब व दूसरे साहब ये सब बातें सदन के सामने ला चुके। सिर्फ यह है कि आपको स्पष्टीकरण देना हो तो दे दीजिये, उसी के लिये आपको तकलीफ दी गयी। क्योंकि अगर आपको बहस में भाग लेना होता तो शुरू से बैठते। नियम में यह है "किन्तु सदन उसे कार्यवाही सुनने की अनुमति दे सकेगा तथा अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये या क्षमा याचना के लिये उसे पुनः बुला सकेंगे।" तो अतिरिक्त स्पष्टीकरण आपको देना है और जैसा मैंने बतलाया ये चार्ज है उस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं।

श्री गेंदासिंह--मेरी बदकिस्मती है कि मैंने पूरी बातें नहीं सुनीं। कोई बात दोबारा हो गयी हो, लेकिन अब आप जो आज्ञा दे रहे हैं उस पर ही अमल करूंगा।

आखिर में मैं यह बात कह दूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर उसको ले लेता है तो उसकी मदद हम तो नहीं कर सकते। हम पूरी गवर्नमेंट को चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमसे वह उम्मीद करती है कि हम रूल्स को आब्जर्व करें, हम इस सदन की मर्यादा कायम करें, तो सबसे पहले वे अगुआ हैं, बुजुर्ग व बड़े भाई हैं। उनको आगे-आगे चलना चाहिये और अगर वे अगुआ बनेंगे तो फिर वे हमको भी गलती करते

[श्री गेदासिंह]

हुए नहीं पायेंगे, लेकिन अगर वे इस बात पर बजिद हैं कि ३ दिन में शार्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब आगे नहीं दे पायेंगे, १२ दिन में तारांकित प्रश्न का जवाब नहीं दे पायेंगे तो यह उचित या न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। रूल्स बहुत साफ हैं। कभी भी रूल्स के मानी यह नहीं है कि जिस तारीख से मिनिस्टर साहब के यहां प्रश्न जायं उस दिन से १२ दिन गिने जायं। अगर ये रूल्स काम लायक नहीं थे और उनपर अमल नहीं हो सकता तो अभी रूल्स अमेंड हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नियमों के सम्बन्ध में अमेंडमेंट आया है ?

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न सामने है नहीं। यह तो मानी हुई बात है कि रूल्स का सभी को पालन करना ही चाहिये।

श्री गेंदासिंह—मैं आखिरी बात कहता हूं, फिर दोहराता हूं कि मैं पहले ही उसी वक्त कह चुका हूं इस सदन में कि अध्यक्ष महोदय की तरफ हमारा कतई इशारा नहीं है, न हम कभी सोच सकते हैं कि आपकी तरफ से कोई इस तरह की बात हुई है। बाकी रही मिनिस्ट्री की बात तो मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि चरणसिंह जी, जहां तक यह समझते हैं कि मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से चार्ज किया है तो चरणसिंह जी मिनिस्टर थे और रेवेन्यू मिनिस्टर से मैं समझता हूं कि जमीन व किसान का इतना गहरा सम्बन्ध है कि हम उनको किसी वक्त बख्श नहीं सकते। इसलिये काफी गहरा सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि जहां वे एक तरफ चरणसिंह जी हैं वहां दूसरी तरफ रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा रेवेन्यू मैनुअल देखो, रेवेन्यू मैनुअल देखो और हमने कहा कि उसके मुताबिक कार्यवाही हुई तो बतला दीजिये। जब कार्यवाही नहीं हुई तो हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं होता कि हम आपके सामने आयें।

आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। कमेटी ने जो कुछ निश्चय किया उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस सदन की इस मामले में भी मर्यादा रखना चाहता हूं कि बहुमत अगर यह समझता है कि यह बात सही है तो मैं उस बहुमत के निश्चय को मानने को तैयार हूं एक शर्त पर, वह शर्त यह कि बहुमत आखिर गवर्नमेंट का है, उस बहुमत का एक अगुआ खड़ा हो कर इस बात को कह दे कि नियमों का पालन कल से होगा, अगर इन नियमों का पालन कल से होगा तो जो कुछ आप हुक्म देंगे वह हुक्म मैं मानने को तैयार हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अनुगृहीत हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस वादविवाद में जो बात मैंने अर्ज की थी उसका हवाला दिया है। मेरी बदकिस्मती यह है और मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं और हो सकता है कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी इस प्रकार का एहसास हो, जैसा मुझको है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में जो नियम हैं, संसदीय जो प्रथाएं हैं, उनका ज्ञान जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है। सारी मुसीबत इसी से पैदा होती है। यूनाइटेड किंगडम, जिनके विशेषाधिकार हमारे विशेषाधिकार हैं वहां विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जब किसी विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द हुआ है तो सर्वप्रथम क्या कार्यवाही होती है ? जहां ५०० साल से अधिक ये प्रिविलेजेज हैं वहां पहली कार्यवाही यह होती है कि जो क्लर्क आफ दि हाउस होता है यानी यहां का सेक्रेटरी लेजिस्लेचर है उसको दावत दी जाती है कि वह आकर बताये कि इस सिलसिले में क्या कानून है और उस कानून को कैसे लागू किया जाय। जहां ८०० साल पुरानी प्रथा है वहां अगर आज भी कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठता है तो क्लर्क आफ दि हाउस आ कर ला को बताता है, लेकिन इस प्रदेश में इस प्रिविलेज कमेटी ने इस बात की जरूरत शुरू में नहीं समझी। अगर उसने ऐसा किया होता तो मुझे इसके कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जो अपनी राह से कमेटी भटकी, वह न भटकती।

मुझे दुख हुआ नेता सदन के मुख से यह बात सुन कर कि बारे सबूत उनकी राय में भी गेंदासिंह जी पर था। ब्रीच आफ प्रिविलेज किस के खिलाफ है ? अपराध यहां किस ने किया था ? अपराध, मान्यवर, आपकी आज्ञा के अनुसार प्राइमाफेसी गेंदासिंह जी ने किया था.....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। मैं इस बात को इसलिये स्पष्ट करता हूं कि नियम ६७ स्पष्ट है। मैंने चार्ज लगाने नहीं दिया गेंदासिंह जी के ऊपर क्योंकि गेंदासिंह जी की बात अगर सही सिद्ध होती है तो मैं अपने दफ्तर को चार्ज करता, उसको सजा देता, बल्कि इस हाउस का भी अधिकार हो जाता कि उसको सदन के अवमान के लिये सजा दे। तो फैक्ट फाइंडिंग के बाद अगर यह सिद्ध होता कि मेरे दफ्तर में कोई इंटरपोलेशन हुआ है, कोई फोर्जरी हुई है तो गेंदासिंह जी एक्यूजर रहते और हमारा दफ्तर एक्यूज्ड रहता और उसके ऊपर कार्यवाही होती विशेषाधिकार की। चूंकि मुझे पता नहीं लग रहा था कि जो बात गेंदासिंह जी उस दिन कह रहे थे, वह सही है या नहीं इसलिये नियम ६७ में मैंने उस प्रश्न को लिया और उसी नियम के अन्तर्गत समिति को हिदायत दी कि वह इन्क्वायरी करे कि चार्ज दफ्तर के ऊपर सिद्ध होता है या नहीं। अगर सिद्ध होता है तो दफ्तर के ऊपर चार्ज लगाया जाय। अगर गेंदासिंह जी चार्ज नहीं साबित कर सकते हैं और उन्होंने गैरजिम्मेदारी से बात को कह दिया हो तो उनके ऊपर चार्ज लग सकता है यानी दोधारी तलवार थी वह।

श्री त्रिलोकीसिंह--मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं, किन्तु इतना नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पुराने नियम ६७ का ज्ञान था और है और मैं भी उसी पर आ रहा था। कमेटी ने इस बिना पर प्रोसीड किया, उसकी सारी कार्यवाही से मुझे यह मालूम हुआ कि कमेटी ने गेंदासिंह जी से यह कहा कि वह बयान दें। सर्वप्रथम उसकी पहले दिन की जो कार्यवाही हुई, वह यह थी। मान्यवर, बयान किससे मांगा जाता है ? कमेटी का यह कर्त्तव्य था कि जो प्रश्न मान्यवर ने उसके सुपुर्द किया था उस पर बैठ कर विचार करती कि इस प्रश्न का क्या रूप है, इसमें क्या चीज बनती है। उसके बाद कानून को उसमें लागू करती। कमेटी की रिपोर्ट देखने से यह नहीं मालूम होता कि शुरू में उन्होंने इस बात का तनिक भी ध्यान रखा हो कि कानून किस तौर पर इस मामले पर लागू किया जाय, इस अपराध का स्वरूप क्या है, सर्वप्रथम गेंदासिंह जी बयान दें। इसके अलावा द्वितीय में यह लिखा कि सारे सबूत उन्हीं पर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने नियमों और आज के नियमों के अन्तर्गत यदि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाय, वह हाउस के सामने या किसी कमेटी में हो या हाउस के बाहर हो तो किसी भी माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह इसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाये और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उसके पेश करने का प्रयत्न करे।

श्रीमन्, यहां सिर्फ एक चार्ज था जिस समय यह मामला कमेटी के सुपुर्द किया गया था। अब जो रिपोर्ट आयी है इसको अगर देखा जाय तो कमेटी ने अनेकों चार्ज लगा दिये हैं। जैसे "विलफुली सप्रेसिंग दि ट्रुथ", "रिफयूजिंग टू आन्सर क्वेश्चन्स" और "कन्टूमेशस एण्ड डिसरैस्पेक्टफुल" एण्ड सो आन। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेश चार्जेज लगाये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कमेटी को कोई नयी चीज मालूम हुई थी तो उसे सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहिये था और फाइंडिंग देने के कब्ल यह कहती कि यह भी प्रश्न आये हैं जिन पर कमेटी को विचार करना चाहिये, लेकिन कमेटी ने अपनी सीमा के बाहर जाकर उन पर निर्णय दे दिया।

माननीय नेता सदन ने कहा कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मुश्किल से मिलेगी कि इस सदन की कमेटी की रिपोर्ट आयी हो और सदन उस पर प्रस्ताव करे कि यह उसी कमेटी को फिर से भेज दी जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें क्या बात है ? रोज सदन में पुनःनिर्दिष्ट

[श्री त्रिलोकीसिंह]

या रिफर बैक टू कमेटी का प्रस्ताव आता है। यह नियम पहले भी था और अब भी है। पता नहीं उनका खयाल कहां था? संसार के जितने पार्लियामेंट हैं उनका तथा इस सदन का भी ऐसा नियम है और रोज इस तरह के प्रस्ताव आते हैं। मुझे दुख है कि इस प्रकार की बात उनके मुख से सुनने को मिली। कोई नयी बात नहीं कही गई थी कि इस मामला को पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय। कमेटी के ऊपर कोई अविश्वास नहीं था। क्योंकि मान्यवर, मुझे मालूम है कि प्रिविलेज कमेटी माननीय अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और सदन उसका चुनाव नहीं करता है। मैं यह भी भूल नहीं करूंगा कि माननीय अध्यक्ष किसी कमेटी को नामीनेट करें और उसके बारे में मैं कहूं कि मेरा विश्वास नहीं है। इसमें किसी के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल होने का सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि सदन के प्रिविलेज क्या हैं। कांस्टीटयूशन कहता है कि वे ही होंगे जो हाउस आफ कामन्स के हों। कोई नया प्रिविलेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें हम नया प्रिविलेज क्रिएट करने जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि कोई ऐसे कथन ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है, इसकी मिसाल पार्लियामेंट की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था कि १० से १४ तक माननीय माल मंत्री जी के यहां सवाल पड़े रहे। माननीय माल मंत्री ने, यह सफा ९ पर है, तीन बार इस चीज को दुहराया कि १० से १७ तारीख तक माननीय गेंदासिंह के अनुसार उनके पास रहे। १० से १७ तारीख तक यह सवालात मिनिस्टर साहब के यहां रहे, यह बिलकुल गलत बात थी। मैंने उसी दिन चैलेन्ज किया। रिपोर्ट के पेज १४ पर रिप्रोड्यूस्ड है। इसमें है ११ तारीख से १४ के बीच में वहां पड़े रहे। १० से १७ के लिए माननीय गेंदासिंह जी ने नहीं कहा और माननीय मालमंत्री जी ने, १० से १७ तीन बार कहा और दुहराया। मैं माननीय सदस्यों से बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, पूछना नहीं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ। जब मैंने कहा गलत है। यह बात कितने दिनों की है, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बात गलत थी। मैं अपनी जगह पर कायम हूं और वे अपनी जगह पर कायम हैं। और इस में तीन बार कहने से क्या यह लिया जा सकता है कि उन्होंने जान बूझ कर कहा। अगर इस चीज को निकाल दिया जाय कि गेंदासिंह जी ने जानबूझ कर कहा, जिसकी एवीडेन्स कोई रेकर्ड पर नहीं है महज उनका बार-बार कहना तो क्या यह भी तसव्वुर किया जा सकता है कि माननीय चरण सिंह जी ने भी जानबूझ कर कहा। मैं कहता हूं नहीं भ्रम में थे, उनको यही इत्तिला थी, वे अपनी बात पर डटे रहे। बात गलत थी, लेकिन मैंने कहा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता है और अगर हम बनाने का प्रयत्न करते हैं तो कांस्टीट्यूशन, उसके बीच में जब तक कि इस हेतु नया कानून न बन जाय, बाधक है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह बार-बार कहने से कोई मोटिव, कोई नीयत नहीं मानी जा सकती है।

एक बात मुझे, मान्यवर, और अर्ज करनी है कि जिस समय आजमगढ़ जिला के सदस्य ने यह प्रश्न इस सदन में उपस्थित किया था और मान्यवर की आज्ञा चाही थी, उसके पहले गेंदासिंह जी ने फाइल देखी थी या किसी ने उनको फाइल दिखायी थी? बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि फाइल देखने के बाद भी गलत बयान किया गया। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं और सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इस फैक्ट को नहीं इगनोर किया जा सकता है कि जिस दिन उन्होंने इस सदन में यह कथन किया था जब माननीय पद्माकर लाल जी ने उठाने की चेष्टा की थी। मान्यवर की आज्ञा से उसके पहले किस अधिकारी ने उन्हें फाइल दिखलाई थी कि जिससे उन्हें आंखों देखी सूचना होती। किसी अपराधी को इन्सिन्यूएशन पर दंडित करना अनुचित है। मैंने शुरू में कहा था और फिर दोहराना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन की इस सलाह को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सात दिन की रिलीवैन्सी क्या थी? अगर तीन चार दिन में उत्तर आ गये होते तो यह झगड़ा पैदा ही न हुआ होता। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि यदि यह नियम के अनुसार चार दिन के अन्दर इन प्रश्नों के जवाब आ गये होते तो यह झंझट उठती ही नहीं। यह झंझट तो

इसलिए उठा कि दस दिन के बाद उत्तर मिले । यह एक मेम्बर का फर्ज है, यह उसका प्रिविलेज है, हक है कि वह इस बात को जाने और जानने के लिये चेष्टा करे कि इस प्रकार की देरी का कौन जिम्मेदार है और यदि देर ऐसी हो कि जिस पर किसी का काबू न हो तब कोई शिकायत का मौका नहीं हो सकता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय समाज सुरक्षा मन्त्री ने कन्ट्यूमेशस शब्द के सिलसिले में दो कोश पेश किये अंग्रेजी भाषा के लेकिन उन कोशों को पेश किया कि जिनको अदालत नहीं स्वीकार करेगी । वारटन्स ला लैक्सीकन जिसकी किताब सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी में भी है, लीगल रिमेम्बरेंसर की लाइब्रेरी में भी है और विधान मण्डल लाइब्रेरी में भी है, उसको देखने का कष्ट उन्होंने नहीं गवारा किया । फिर दुख है कि जब माने पढ़ने लगे तब पूरे शब्द नहीं पढ़े । आधे माने पढ़े और बाकी छोड़ दिया । कनट्यूमेशस के मानी है "ए रिफ्यूजल टु अपीयर इन कोर्ट हूवेन लीगली समन्ड," यह पेज २१८ पर है और डिसओबीडियंस टु दी रूल्स ऐंड आर्डर्स आफ ए कोर्ट । तो गेंदासिंह जी ने इनकी किस आज्ञा का उल्लंघन किया जिस से उनके रवैये को कन्ट्यूमेशस करार दे दिया । अब अगर यह कह दें कि रिफ्यूजल टु आन्सर ए क्वेश्चन कि बताओ किसने सूचना दी, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर कितनी सजा होगी । रिफ्यूजल टु आन्सर ए क्वेश्चन, वन चार्ज, विलफुल सप्रेशन आफ दी ट्रूथ, सेकेंड चार्ज, ऐंड कन्ट्यूमेशस ऐंड डिसरेस्पेकटफुल विहेवियर, थर्ड चार्ज, एक ही मामले में तीन-तीन चार्ज । मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता, संसार के नियम, कायदे कानून इसकी इजाजत नहीं देते हैं । एक कार्य कि उत्तर देने से इन्कार किया, यही काफी था, इसी पर सजा दी जा सकती थी, लेकिन एक ही भूल अथवा काम पर तीन-तीन चार्जेज लगा देना, जाहिर है कि जो मैंने पहले अर्ज किया था कि वह इस बात से अनभिज्ञ थे, या उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, अगर अनभिज्ञ नहीं थे और इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि कौन सी जिम्मेदारी है इस रिपोर्ट को लिखते और उस पर अपने हस्ताक्षर करते समय वे अदा कर रहे हैं ।

एक यह भी इसमें बात है कि इस पर किसी मेम्बर के हस्ताक्षर नहीं हैं । कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सदर साहब ने सबकी तरफ से दस्तखत कर दिये । मालूम नहीं कि यह कहां की प्रथा है कि सदर साहब सबकी तरफ से दस्तखत कर दें और यह अधिकार उनको कैसे प्राप्त हो गया और मैं, मान्यवर, इस सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी कमेटी के बहुत लायक सदस्य लखनऊ मध्य के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक नामी गरामी वकील हैं उन्होंने बहुत ही जोर के साथ इस कमेटी के सामने यहां तक रखा कि अगर किसी की दो आंखें हों और कोई उसे काना कहे और मैं उस पर इसरार करूं तो क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा ? उन्होंने यह भी कहा कि पंखे चल रहे हैं, रोशनी है, लेकिन कोई मेम्बर कहे कि नहीं अंधियारा है तो क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज होगा ? उनके ऐसे रुख के अख्तियार करने के बाद भी मुझे दुख है कि कमेटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि उस सिलसिले में जो रायजनी की गयी है अगर उसको देखा जाय तो मालूम यह होता है कि जितने सदस्य कमेटी के मौजूद थे उन्होंने उनकी इस राय से इत्तफाक किया । फिर भी ऐसी रिपोर्ट कि कोई ऐसी चीज की गयी, यह बात सही नहीं है ।

मैं एक निवेदन आपकी आज्ञा से और करना चाहता हूं । कल मुझसे छूट गयी थी वह बात अर्ज करने से और जवाब में साधारणतया उसको नहीं कहना चाहिये । लेकिन आपकी इजाजत से जिस न्यूजीलैन्ड के केस के बारे में हवाला दिया गया है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । कल मैंने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं अर्ज किया था और मालूम नहीं क्यों और भी किसी माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ फरमाया नहीं । वह पेज ४ पर है—

"If a statement has been made in the House which a member considers effects his character as a member and as a late Minister, he is entitled to bring forward a resolution on the subject as a matter of privilege."

[श्री त्रिलोकीसिंह]

यह कहा जाता है। हिन्दी में अगर इसका अनुवाद कर दिया जाय तो सीधे माने यह हैं कि अगर कोई ऐसा बयान हाउस में किया गया है जिसको कोई मेम्बर यह समझता है कि उसके चरित्र पर हमला है बहैसियत मेम्बर के अलावा किसी दूसरी हैसियत से नहीं—या ऐसा आदमी जोकि भूतपूर्व मंत्री रहा हो, तो यह मुस्तहक है कि ऐसा लाये कि एक विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। मैं यह अर्ज क[illegible] माननीय चरण सिंह जी ने यह प्रयत्न किया था और शिकायत की थी और मान्यवर ने उस[illegible] स्वीकार नहीं किया था। मैं यह भी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि खुद सदन का नियम है और मान्यवर ने इस प्रथा को अपनाया है कि अगर कोई ऐसे शब्द सदन के सामने कहे जायं तो मान्यवर को यह अधिकार है कि उस पर तुरन्त कार्यवाही करें। वाद-विवाद के सिलसिले में स्वयं मान्यवर यह करते हैं। लांछन लगाने पर आप ने कहा कि शब्द वापस लो और वे शब्द वापस लिये गये। अगर उसके बाद भी कुछ कहा जाय तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३८० पर दिया हुआ है। हमारे रूल्स भी ऐसे हैं कि यदि कोई डिफेमेटरी वर्ड्स कहे जायं तो अध्यक्ष रूल आउट कर दें। कुछ दिन पूर्व मथुरा जिले के एक माननीय सदस्य के सिलसिले में शिकायत की गयी थी और उस पर मान्यवर ने यह निर्णय दिया था कि सदन के नियमों और पुरानी प्रथा के अनुसार अध्यक्ष ने जिस प्रकार चाहा किया उस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठ सकता।

गेंदा सिंह जी के जो आफेंसिव वर्ड्स हैं वह इस सदन के बाहर नहीं कहे गये, इसी सदन के अन्दर कहे गये और अगर मान्यवर ने रूल आउट नहीं किया और एक्सपंज नहीं करवाया, उनसे नहीं कहा कि वह उनको वापस लें—सदन के नियमों के अनुसार जो अधिकार आपको प्राप्त थे—तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को जिनको कि मान्यवर ने नियमों के अनुसार इस काबिल समझा कि इस कार्यवाही के जुज बने रहें और उनको वापस लेने की आज्ञा नहीं दी तो उन पर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह बहुत पुरानी प्रथा है और जहांतक इस सदन के विशेषाधिकारों का सवाल है, मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी करना चाहता हूं कि यह प्रश्न न इस ओर का है, न उस ओर का है, यह प्रश्न है सदन का और इसकी मान मर्यादा का मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ, विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई और यदि हम इस रिपोर्ट को अडाप्ट करते हैं जो कि प्रिविलेज कमेटी ने दी है तो एक नयी प्रथा कायम करेंगे, एक नयी चीज बनायेंगे जो कि मेरा जहां तक वास्ता है इस समय तक का, यह संदेह है कि इस सदन को अधिकार नहीं है। वैसे सदन को अधिकार है कि जो चाहे करे। इन शब्दों के साथ मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो तरमीम मने पेश की है कि किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है उसे यह आदरणीय सदन स्वीकार करने की कृपा करे।

*श्री बेचनराम गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का बड़ा अनुगृहीत हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया। कल पालीवाल जी ने कुछ बातें माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य के बारे में कहीं, वही बातें मैं आज विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब वे वाद-विवाद कर रहे थे तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई कुशल वकील एक कमजोर केस को पुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आशा थी कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी पार्टी और दल से ऊपर उठ करके इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न किसी एक पार्टी का नहीं है बल्कि सारे सदन का प्रश्न है, सदन की मर्यादा रखना हम सब का कर्त्तव्य है। कल जैसा कि मदन मोहन जी वर्मा ने कहा कि अगर ऐसी बातों को सदन में कहने के लिये इजाजत दे दी जाय तो फिर यह सदन नहीं रह जायगा। अगर एक तरफ के सदस्य दूसरी तरफ के सदस्यों के लिये इस तरह की बातें कहेंगे तो फिर इस सदन की मर्यादा समाप्त हो जायगी। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने एक प्रोसीजर की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का केस क्रिमिनल केस होता है, लेकिन इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं अपनाया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, मैंने शब्द "केस" नहीं कहा था, मैंने "प्रोसीडिंग्स" कहा था। दोनों में फर्क है।

श्री बेचनराम गुप्त—ठीक है। उनका कहना यह था कि जो प्रोसीजर अपनाया गया विशेषाधिकार समिति में वह बिलकुल गलत है और वह प्रोसीडिंग्स वैध कर दी जायं। मैं नम्रतापूर्वक उनके सामने रूल ८० पेश करना चाहता हूं:—

"80. *Regulation of Procedure*—The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connexion with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee or in the House."

मैं, श्रीमन्, नम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि श्रीमान ने कुछ आदेश दिये थे उनको मैं पढ़ देना चाहता हूं और साथ ही साथ श्रीमान ने जो आब्जर्वेशन दिये थे उनको भी पढ़ देना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाहर समिति नहीं गई है, उन्हीं पर समिति ने अपना फैसला दिया है जिनकी तरफ आपने संकेत किया था। वह इस प्रकार से है :—

"मैंने अपनी जानकारी हासिल करने के पहले कहा था कि ऐसी-ऐसी घटना है, उस पर श्री गेंदासिंह जी का विश्वास नहीं था। मैं जबरजस्ती किसी को घोटकर तथ्य को पिला नहीं सकता हूं कि वह तथ्य को मान लें। वह यह कह सकता है कि आपकी जानकारी गलत है। अभी इसके ऊपर इन्क्वायरी और करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। इसलिये मैंने उस वाकये के ऊपर इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इसके बावजूद कल उन्होंने फिर खड़े होकर यह कहा कि अगर यह प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला दे दिया जाय तो बहुत कुछ भंडाफोड़ या रहस्य का उद्घाटन होगा तो मैंने समझा कि इसका मतलब उनके कहने का यह है कि इसमें या तो किसी ने फोरजरी की या किसी ने आंकड़े बदले; चाहे वह व्यक्ति हमारे दफ्तर का हो, चाहे माल मंत्री के दफ्तर का हो, किसी ने ऐसी बात तो किया है।"

फिर श्रीमान ने आगे यह कहा है :—

"उन्होंने—'उन्होंने' का सम्बन्ध गेंदा सिंह जी से है—यह कहा कि उनकी जानकारी यह है कि दफ्तर में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी रहस्यता के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उनके संकेत से यह नतीजा जरूर निकलता है कि मेरे दफ्तर में या माल मंत्री के दफ्तर में यह गड़बड़ कुछ न कुछ जरूर हुई। यह दफ्तर के कर्मचारियों पर आक्षेप था। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज १२६ पर यह वाक्य दिया है—

"Both Houses will treat as breaches of their privileges, not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may tend to deter them from doing their duty in the future."

यदि यह चार्ज असत्य उनके ऊपर लाया गया और असत्य साबित होता है तो उसमें अवश्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है। उक्त आक्षेप की अभी जांच नहीं हुई है। बहुत मुमकिन है कि कर्मचारी अपनी डियूटी ठीक तौर पर न कर सके हों और उन्होंने देर की हो, परन्तु यदि ऐसा आक्षेप यहां पर किया जाय तो उनका कोई प्रोटेक्शन यहां पर नहीं होता है। उसके साथ-साथ माल मंत्री के दफ्तर पर भी यह बात लागू होती है। अगर उनके ऊपर कोई आक्षेप होता है या इस तरह से जैसा कि "रहस्योद्घाटन" इत्यादि शब्द उनके दफ्तर के सम्बन्ध में कहे गये, उससे उन पर लांछन अवश्य लगता है, और यदि उन शब्दों को वापस ले लिया जाता है तो वह चीज खत्म हो जाती है। यानी लांछन जिन्होंने लगाया है वे यदि अफसोस जाहिर कर देते हैं तो फिर कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज की प्रोसीडिंग्स का प्रश्न नहीं रहता।" आगे आपने कमेटी को यह हिदायत दी कि यदि माननीय गेंदा सिंह जी यह सिद्ध करने में समर्थ हो सकें कि इसमें गड़बड़ी हुई है और रहस्य खुल जाता है तो कमेटी निर्णय करेगी कि किसने विशेषाधिकार

[श्री बेचनराम गुप्त]

की अवहेलना की और दन्ड भी देने की बात बतावेगी। किन्तु यदि यह बात गलत पाई गई तो माननीय गेंदा सिंह जी के बारे में वह लिखेगी कि उन्होंने जो यहां बारबार कहा है उससे सदन का अवमान हुआ है या नहीं हुआ है और यदि हुआ है तो क्या दन्ड देना उचित होगा। सदन उस रिपोर्ट पर विचार करेगा। तो, जो श्रीमन् ने आदेश दिया था उसी का पालन समिति ने किया है और उसकी परिधि के बाहर नहीं गई।

जहां तक प्रोसीज्योर का सवाल है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी यह बात दी हुई है, चैप्टर चार, सफा ६० पर है' 'Another collective right of the House is to settle its own code of procedure" यह बहुत फंडामेंटल सवाल है कि सदन अपना प्रोसीज्योर निर्धारित करता है। कोई भी केस माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने नहीं दिखाया है जिसमें बिलकुल सिमिलर प्रोसीज्योर फालो किया गया हो। हर कमेटी अपना प्रोसीज्योर नियत कर लेती है या माननीय अध्यक्ष जैसी हिदायत देते हैं वैसा कमेटी करती है।

यह भी कहा गया कि अपोजीशन को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का अधिकार होता है। यह बात नारायणदत्त जी ने भी कमेटी के सामने कही थी। माननीय सदस्य बहराइच ने कहा कि ऐसी फ्रीडम आफ स्पीच उनको है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि तथ्यों को उलट-पुलटने का हक उनको है। समिति ने इसे स्वीकार किया है। मगर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, उसकी एक परिधि होती है और उसके आगे जाने पर सजा दी जाती है। Restraint on speech in Parliament के बारे में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़ता हूं: "Speech and action in Parliament may thus be said to be unquestioned and free. But this freedom from external influence or interference does not involve any unrestrained licence of speech within the walls of the House." फिर आगे कहते हैं कि "The cases in which members have been called to account and punished for offensive words spoken before the House are too numerous to mention."

इस प्रकार फ्रीडम आफ स्पीच की एक परिधि होती है और उसके बाहर में जाने पर सजा दी जाती है।

माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि समिति ने नये चार्जेज गेंदा सिंह जी के सामने पेश किये। कोई नया चार्ज समिति ने उन पर नहीं लगाया है। वह अलग की प्रोसीडिंग्स हैं। जब माननीय गेंदासिंह जी से पूछा गया कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने उनको यह इत्तला दी कि ये प्रश्न ११ तारीख को माननीय माल मंत्री के पास भेजे गये थे तो उन्होंने उत्तर देने से इंकार किया। इस के बारे में कई नजीरें हैं, मैं उनको उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। साफ बात है कि जिस समय गेंदा सिंह जी कमेटी के सामने इवीडेंस दे रहे थे तो उनकी हैसियत एक विटनैस की थी। उनके खिलाफ कोई नया चार्ज नहीं था।

जो कुछ भी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है वह ब्रीच आफ प्रिविलेज की परिधि में आता है। वह श्रीमान के आफिस पर और चरण सिंह जी के ऊपर आक्षेप है। सदन की मर्यादा रखना माननीय सदस्यों का काम है और मैं उन्हीं के ऊपर इस प्रश्न को छोड़े देता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मेरे पूछने का उद्देश्य यह है कि इस प्रस्ताव का निर्णय यहां कानून-कायदे और अधिकारों की रस्सा-कशी के बीच में न हो बल्कि सद्भावना से हो चाहे

जो कुछ भी वह हो, प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इधर के लोगों को इस बात की शिकायत है कि प्रश्नों के उत्तर दिये जाने में एवायडेबिल डिले होती है, दो बातों में से एक बात करने की कृपा करेंगे कि या तो हम लोगों को आश्वासित कर दें कि हमारी शिकायत गलत है या यह कि एवायडेबिल डिले भविष्य में नहीं होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस सवाल की रेलेवेंसी को मैं नहीं समझा। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि हमारे यहां इनआर्डिनेट डिले होती है। हम नियमों का पूरा पालन करने की कोशिश करते हैं और करेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)—अगर, अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो एक सेंटेंस मैं भी अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, अब वह उचित नहीं होगा।

मैं, अब इस प्रश्न पर राय लेने के पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। विशेषाधिकार समिति ने समझा है कि गेंदासिंह जी ने समिति की कार्यवाही के दौरान में कोई नयी विशेषाधिकार की अवहेलना की है, उस पर राय इस समय नहीं ली जायगी और न ली जा सकती है। पार्लियामेंटरी पद्धति यह है कि यदि कमेटी यह देखे कि कोई गवाह या और शख्स नयी ब्रीच आफ प्रिविलेज करता है दौरान कार्यवाही समिति के सामने तो वह अध्यक्ष को रिपोर्ट कर सकती है। इसी तरह से यह समझा जायगा कि अध्यक्ष के पास प्रतिवेदन द्वारा ये बातें आईं और अब अध्यक्ष कह सकते हैं कि चाहे तो उन्हें सदन के सामने विचारार्थ कभी रखें और फिर विशेषाधिकार समिति के पास इन्हें भेज दें, या अध्यक्ष यह कह दें कि वह उसकी इजाजत नहीं देते हैं। इसलिये राय उस विषय पर अभी नहीं ली जायगी।

राय केवल उस विषय पर होगी जो विषय कि विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया था और उस विषय पर जो प्रतिवेदन है उसी पर राय ली जायगी।

दूसरी चीज यह है कि पहले मैं संशोधन पर राय लिये लेता हूं और संशोधन पर राय लिये जाने के बाद अगर वह गिर जायगा तब मूल प्रस्ताव पर राय ली जायगी। संशोधन इस प्रकार है—

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर यह सदन किसी कार्यवाही के करने की आवश्यकता नहीं समझता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री ब्रजनारायण तिवारी द्वारा विभाजन की मांग पर हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५६,
विपक्ष में—१०५।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। उस पर मैं दो हिस्से में राय लूंगा इसमें एक उल्लेख दंड का भी है, क्योंकि यह साधारण प्रथा रही है और कई जगह यह अनुभव सिद्ध भी है कि जिस वक्त सदन यह तय कर देता है कि विशेषाधिकार की अवलेहना हुई है तो कभी कभी जिन सदस्य के विरुद्ध यह कार्यवाही होती है वे उस निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं और अपना खेद प्रदर्शित कर देते हैं और कभी यह भी कह देते हैं कि हालांकि मैं निर्णय से सहमत नहीं हूं परन्तु उसे शिरोधार्य करके खेद प्रकट करता हूं; एक तो यह चीज होती है। दूसरे यह है कि कभी कभी यह सुझाव आ जाते हैं कि यदि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तब भी सदन कोई अधिक कार्यवाही करना उचित नहीं समझता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैंने यह सुझाव दिया था।

श्री अध्यक्ष—जिस वक्त मौका आवेगा तो आप फिर सुझाव दे सकते हैं। अगर वे स्वयं खेद प्रदर्शित करते हैं और सदन के निर्णय को मान लेते हैं तब तो दूसरी चीज है। तो दो प्रकार की चीज इसमें दिखाई देती है इसलिये मैं एक मौका फिर से देने के वास्ते इसे दो हिस्से में बांटे देता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री गेंदासिंह के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २४ से २६ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि हम अपने अधिकार से बाहर जा रहे हैं इसलिये इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर लिखित विभाजन की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि लिखित विभाजन होना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रार्थना का समर्थन करता हूं इस आशय से कि मैं यह चाहता हूं कि इस बात का उल्लेख प्रोसीडिंग्स में हो जाय कि जो इस प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ वह किस प्रकार से हुआ और उनके नाम भी कार्यवाही में आ जायं।

श्री अध्यक्ष—किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

तो ठीक है।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री गेंदासिंह के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २४ से २६ तक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित रूप से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०६

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अहमद बख्श, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गज्जूराम, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री

छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री

विपक्ष में—६२

अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
उग्रसेन, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)

गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
नन्दराम, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामदीन, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबहादुर, श्री
शोभनाथ, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सुरथबहादुरशाह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री अध्यक्ष—अब मैं दूसरा भाग ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित दंड दिया जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, इसमें यह तरमीम पेश करना चाहता हूं कि अब इस पर किसी मजीद कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अब इस प्रश्न पर किसी मजीद कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित दंड दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इसके ऊपर जो कार्यवाही है वह कल की जायगी और आगे का कार्यक्रम अब प्रारम्भ होगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधनों में प्रस्तावित संशोधन पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६६—आर—एस/१—क—१०४५—५५, दिनांक ३० अक्तूबर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों में श्री गौरीशंकर राय, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार जारी होगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६६—आर—एस/१—क—१०४५—५५, दिनांक ३० अक्तूबर, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों में, नियमावली की परिशिष्ट १ में जो संशोधन किया गया है, उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :—

"५—नियमावली की परिशिष्ट १ में—

(१) क्रम संख्या ३१ के सामने स्तम्भ ३,४ एवं ६ में प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

२	३	४	६
तहसील बलिया के बसन्तपुर एहतमाली तेहसुरहा, आराजी इंगलिश बसन्तपुर तथा गलहया गांव ।	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत	१५ अप्रैल

श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा, जो इसमें संशोधन सरकार की तरफ से प्रस्तावित है उसके अनुसार क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके पहले आपकी आज्ञा से मैं सदन की सेवा में इस सुरहाताल और इन गांवों के संबंध में जो परिस्थिति है उसको निवेदन करना चाहता हूं। सुरहाताल बहुत बड़ा ताल है और एक नाला उसे गंगा नदी से मिलाता है। साल के आधे दिन गंगा नदी का पानी इस ताल में जाता है और बाकी आधे दिन सुरहा का पानी गंगा नदी में आता है। जब बरसात में उस तालाब में धान बोया जाता है उस समय गंगा की बाढ़ का पानी सुरहाताल में जाता है और उसी पानी से उस धान की सिंचाई होती है। जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, धान का मौसम भी समाप्त हो जाता है और फिर उस बड़े ताल का पानी धीरे-धीरे गंगा नदी में चला आता है और उस जमीन में रबी की बोआई होती है।

(इस समय २ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मैं कह रहा था कि इस ताल के साथ मेरी समझ से मंत्री जी इस नीयत से यह संशोधन कर रहे हैं कि चूंकि यहां धान ही की पैदावार होती है इसलिये साल में एक ही मर्तबा मालगुजारी ली जाय। पहले ऐसा नियम था कि ५० प्रतिशत १५ नवम्बर तक और बाकी १५ अप्रैल तक मालगुजारी ली जाती थी। लेकिन अब संशोधन यह किया गया है कि सब एक ही बार मालगुजारी ली जाय। मेरा कहना यह है कि मंत्री जी का यह अन्दाजा कि यहां चूंकि धान की ही फसल ज्यादा होती है इसलिये एक ही बार मालगुजारी ली जाय इसके बारे में मैं अपनी राय दोहराना चाहता हूं। पिछले ८,१० साल में २ साल ऐसे रहे हैं जब धान पूरी तरह से आया है वरना वहां का धान बिल्कुल संयोग पर निर्भर करने लगा है। इस वर्ष का

[श्री गौरीशंकर राय]

रिफरेंस दूं तो कोई अनुचित नहीं होगा। मैंने माल मंत्री जी को इस बात की सूचना दी कि वहां के जिलाधीश द्वारा उस कटहर नाले को बन्द कर देने के कारण ६०० एकड़ जमीन नहीं बोयी जा सकी है। एक और बात है; इसमें बहुत सारी जमीन ऐसी है जो ताल के बीच में है, वह हर साल नहीं निकला करती है। किसी किसी साल जब ताल में पानी बहुत कम होता है उस साल निकलती है। यहां किसानों के लिये बदकिस्मती से बाल पंचट की कोई व्यवस्था नहीं है। रबी, खरीफ न बोयी जाय लेकिन कभी भी इस ताल की मालगुजारी की छूट नहीं हुई है। इस साल जो मालगुजारी ली गई है, ५०० एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर रबी और खरीफ की फसल नहीं हुई लेकिन मालगुजारी ली गई है। तो ऐसी हालत में जिस वर्ष धान नहीं होता है और वह धान जैसा मैंने बतलाया पिछले १० साल में पूरे तौर से १ साल का आध तौर से धान हुआ है वरना धान मारा गया तो किसानों को. . . . .

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः जारी हुई ।)

श्री गौरीशंकर राय---तो मैं कह रहा था कि जिन गांवों की चर्चा इस संशोधन में आयी है वे गांव एक तरह से बेचिरागी गांव हैं। उनके आस-पास के बसने वाले दूसरे गांव हैं, उन्हीं लोगों के जरिये यह जमीन जोती जाती है। उन लोगों की जमीन कुछ उस ताल के बाहर है जिसमें रबी बोयी जाती है। उसी जमीन की बिना पर वह इस विश्वास में किसी साल सुरहा की जमीन ऊपर चली आयेगी हर साल मालगुजारी दिया करते हैं। उन लोगों ने कई बार रिप्रेजेंटेशन किया सरकार को कि उनके उस ताल में एक बाल पंचट की व्यवस्था की जाय, लेकिन यह निवेदन सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

दूसरी बदकिस्मती के संबंध में, जो इस मामले के साथ सम्बद्ध हो गयी है, कुछ नहीं बतलाऊंगा तो मेरी समझ में मामला स्पष्ट नहीं होगा। उस सुरहाताल से एक सुरहा नहर निकली हुई है पानी निकालने के लिये ताकि वक्त से वह पानी निकल जाय और सुरहा जमीन की सिंचाई हो सके। अगर यह कैनाल पानी बाहर ले जायगी तो पानी के बाहर निकल जाने से बुवाई के लिये जमीन खाली हो जायगी। दूसरी तरफ कटहर नाला है जो गंगा नहर से सुरहा जमीन को मिलाता है, उस पर एक रेगुलेटर बनाया गया। लेकिन सरकार ने जैसा सोचा था वह वैसा नहीं बना। रेगुलेटर का अर्थ हमने यह समझा था कि जब पानी अधिक होगा तो निकाल दिया जायगा और जब पानी कम होगा तो गंगा से ले लिया जायगा, लेकिन वह रेगुलेटर गलत बन गया और एक तरफ खुलता है। पिछली दफा मैंने इस संबंध में प्रश्न भी पूछे थे। पुराने सिंचाई मंत्री जी ने उसके एक अंश को कटवाया और सिंचाई विभाग ने यह महसूस किया कि ४,५ खानों में १,२ खाने ऐसे होने चाहिये जो दोनों तरफ से पानी ले दे सकें। सुरहा नहर में पानी ले जाने की जो व्यवस्था है उसके लिये सरकार ने यह सोचा है कि कटहर नाले को बांध दिया जाय ताकि सुरहा कैनाल को फीड किया जा सके। लेकिन इसमें एक अन्तर विरोध है। सन् ५० में गवर्नर महोदय ने एक राजाज्ञा निकाली है कि कटहर नाले को रबी की बुवाई के वक्त फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कोई बांध नहीं सकता। उस राजाज्ञा में यह है कि इस नाले को बन्द करने का तो प्रश्न है ही नहीं, अगर कोई एक लकड़ी भी गाड़ दे धारा में तो उस लकड़ी के गाड़ने की सूचना जिला मैजिस्टेट को दी जाय या किसी अधिकारी को दी जाय जो तुरन्त उस लकड़ी को उखाड़ दे ताकि पानी की गति में अन्तर न पड़े। मछली मारने वालों ने एक साल लकड़ियां गाड़ दी थीं जिससे पानी की गति पर असर पड़ा तो जिलाधीश ने उस मछली निकालने के जाल को फौरन निकाल दिया। लेकिन इस साल उसमें दीवार खड़ी कर दी गयी है और उसे बांध दिया गया है जिससे यह दुर्गति हुई है और जिसके कारण धान तो दूर रहा रबी तक की बुआई नहीं हो सकी है।

सुरहा कैनाल की यह भी बदकिस्मती है कि जहां से पानी लिया जाता है जो उद्गम स्थान है सुरहा ताल का उसके निचले से निचले स्थान से पानी नहीं लिया जाता है। बार-बार अधिकारियों से कहा गया कि ऐसी व्यवस्था कीजिये कि निचले से निचले स्थान से पानी लिया जा सके ताकि ताल का अधिक से अधिक पानी निकल सके और बुवाई हो सके। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस ताल की जमीन पर धान तो क्या, रबी की बुआई तक बन्द हो गयी। ऐसी हालत में मालगुजारी के लिये दूसरे खेत का सहारा लेना पड़ता है। जब दूसरे खेत का सहारा मालगुजारी देने के लिये किसानों को लेना पड़ता है तो वह खेत भी उसकी जायदाद का एक हिस्सा है और उसके सहारे पर जब एक बार सेंट परसेंट मालगुजारी किसान को देनी हो तब उसे बड़ी परेशानी होती है। तो यह संशोधन बड़ा सीधा सा है। जैसा पहले था कि दोनों फसलों में लगान लेते थे वैसे ही अगर लिया जाय तो उनको सुविधा होगी। अगर उसी धान के सहारे उनको मालगुजारी देनी या न देनी होती तो मैं मंत्री जी से मानने के लिये नहीं कहता, लेकिन जो परिस्थिति मैंने बयान की उसमें उनको बड़ी मजबूरी होगी और खासतौर से तबतक जबतक बालपंचट की व्यवस्था न कर दी जाय, जबतक ऐसी व्यवस्था न कर दी जाय कि जो जमीन डूबी हुई है उसकी मालगुजारी न ली जाय, रबी और खरीफ दोनों में से जो न बोई जाय उसकी मालगुजारी न ली जाय। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बड़ा सीधा है और मंत्री जी को उसे मानने में कोई एतराज नहीं होगा।

*राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय गौरीशंकर राय जी ने सुरहा ताल, रेगुलेटर और शायद मछलियों के जाल की भी कही वह बिल्कुल बेसुर की थी, उसके कहने का कोई ताल्लुक नहीं था। वे बेशक मुझसे इस सिलसिले में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस मजमून से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वह बात अलग है। देखना यह है कि मालगुजारी दो किस्तों में ली जाय या एक किस्त में ली जाय। इन चार गांवों में पहले मालगुजारी दो ही किस्तों में ली जाती थी, ८ आने खरीफ में और ८ आने रबी में; खरीफ की १५ नवम्बर को और रबी की १५ अप्रैल को। लेकिन ४ जून, १९५७ को कलेक्टर ने बोर्ड को लिख दिया और उसी की बुनियाद पर २३ जुलाई, १९५७ को बोर्ड ने लिख दिया कि दरअसल इन चार गांवों में रबी की फसल नहीं के बराबर होती है और रबी में अगर ८ आने की वसूली होती है तो वहां के लोगों को तकलीफ होगी। जो उन्होंने आंकड़े दिये, मुझे नहीं मालूम कि गौरी शंकर राय जी ने उन्हें देखा या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने एक स्टेटमेंट भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन चार गांवों में बसन्तपुर हैतमाल का कुल रकबा कृषि योग्य १२१६ एकड़ है जिसमें ११७० एकड़ में खरीफ होती है और केवल ४८ एकड़ में रबी होती है। तेहसुरा गांव का कुल रकबा ५०४ एकड़ है जिसमें से कुल में खरीफ बोई जाती है, रबी बिल्कुल नहीं। तीसरा गांव है इंगलिश बसन्तपुर जिसका कुल रकबा है ४१ एकड़ जिसमें से ३६ एकड़ में खरीफ बोई जाती है और ६ एकड़ में रबी बोई जाती है। ३६ और ६,४२ होते हैं, इसके माने १ एकड़ डबल क्राप्ड हुआ। चौथा गांव है गलहिया जिसका कुल रकबा २५७ एकड़ है जिसमें से २५२ एकड़ में खरीफ होती है और ३८ एकड़ में रबी बोई जाती है। जिसका मतलब यह है कि ३३ एकड़ डबल क्राप्ड है वैसे खाली रबी कुल ५ एकड़ में बोई जाती है।

तो लोगों की आसानी के लिये ही हमने इसको रिवाइज कर दिया। अब इस स्टेटमेंट में यह दिया तो है नहीं कि किस साल के आंकड़े हैं, लेकिन गालिबन ५६-५७ के ही होंगे। अब अगर सिर्फ एक साल में, ५७-५८ में कोई फर्क पड़ गया हो, रबी ज्यादा बोई गई हो तो ऐसे एकदम तो नहीं बदलना चाहिये, वह मुनासिब नहीं होगा। बाकी, हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? खर्चा हमारा कुछ होता नहीं, कलेक्शन स्टाफ हमारा बदस्तूर है ही। ये चार गांव कोई बड़ा भारी इलाका नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को विशेष इंतजाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

करना पड़े। यह तो गांव वालों की सहूलियत पर ही कलेक्टर ने रिपोर्ट की है और मैंने उसको मंजूर कर लिया है। अगर गांव वालों को सहूलियत है कि वे दो दफा में दे दें तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री गौरीशंकर राय—जैसा मैंने बतलाया, १९५८ में उसकी शक्ल बदली नहीं। शायद मंत्री जी दूसरी तरफ बात कर रहे थे इसलिये इसका सीक्वेंस समझने में उनको दिक्कत हुई। मैं समझता हूं कि पहले ३, ४ साल इसमें बहुत अच्छा धान हुआ, लेकिन दस साल से एक दो बार ही अच्छा धान हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि काश्तकार को हर साल इसकी मालगुजारी ऊपर की जमीन से देनी पड़ती है। सिंचाई विभाग की बात मैंने इसलिये बताई थी कि वह जमीन पानी में डूबी रहती है और इसकी भी उनको मालगुजारी देनी पड़ती है। मैं मानता हूं कि यहां पर रबी की फसल बहुत कम बोई जाती है जैसा कि आपने जिक्र किया। लेकिन उसे मालगुजारी अपने ऊपर के खेत से देनी पड़ती है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वह इन गांवों को लाचिरागी बताते हैं और यहां रबी की फसल नहीं बोई जाती है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उनको कैसे रबी की मालगुजारी देनी पड़ती है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैं बता रहा हूं कि सुरहा ताल के अलग-अलग मौजे हैं। सुरहा किसी मौजे का नाम नहीं है बल्कि एक मैदान का नाम है। मैं कह रहा था कि बसन्तपुर एहतमाली बेचिरागी मौजा है। लेकिन उसमें उनके खेत हैं और उसका एक हिस्सा ऊपर उस समय मिलता है जबकि सूखा होता है अन्यथा वह जमीन पानी में डूबी रहती है उसकी भी आप मालगुजारी लेते हैं। इसमें साल पंचट नहीं होता है, इसकी मालगुजारी देने के लिये काश्तकार को ऊपर के खेत की शरण लेनी पड़ती है। मैंने किसानों की कैसी-लिटी की वजह से बात की थी; मुझे पता नहीं कि जिलाधीश ने क्यों ऐसी रिपोर्ट की। लोगों को इसमें सुविधा होती है कि वह दो बार में दे दें। इस ताल के रोकने से भी असर पड़ता है और रबी नहीं बोई गई है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं उनकी बात समझ पाया हूं उनका मतलब यह है कि यह गांव लाचिरागी हैं और इनकी काश्त करने वाले और जगह रहते हैं। इससे मालगुजारी इन जगहों की देते हैं। यह चार गांव हैं इनमें किसी में फसल अच्छी होती है और किसी में अच्छी नहीं होती। जैसा मैंने अर्ज किया और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह इतनी जानकारी न फरमाते और मुझसे बातचीत कर लेते और यदि वह मुझसे बात करेंगे तो मैं इसकी तहकीकात करा लूंगा। लेकिन अगर मैं संशोधन स्वीकार कर लूंगा तो शायद गलती हो जाय।

श्री बजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि साल में एक बार लगान वसूल करने के लिये जो वह परिवर्तन करने जा रहे हैं तो क्या वह प्रदेश में सब जगह लागू होगा? क्या वह यह संशोधन करने की कृपा करेंगे कि जो एक बार वसूली हो वह ३० जून के बाद हो?

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रश्न का संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वह जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री चरणसिंह—आपने जवाब दे ही दिया मेरी तरफ से।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि श्री गौरीशंकर राय के संशोधन वापस होने के बाद इस मामले की जांच कराने की उचित कार्य-वाही वह करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो उन्होंने कहा है कि जांच कराने के बाद उचित हुआ तो संशोधन वह कर देंगे।

श्री गौरीशंकर राय---मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---किसी को एतराज तो नहीं है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

लोक सेवा आयोग की १९५५-५६ की वार्षिक रिपोर्ट पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष---तो अब नवां आइटम लिया जा रहा है। लोक सेवा आयोग की १९५५-५६ की वार्षिक रिपोर्ट पर विवाद।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की १९५५-५६ की वार्षिक रिपोर्ट सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। मान्यवर प्रदेश के प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि उसमें प्रगुणता हो और प्रगुणता के साथ साथ चरित्र भी हो। प्रगुणता यानी एफीशिएंसी। जब प्रशासन में एफीशिएन्सी होगी और चरित्र होगा तभी वह ठीक ठीक चलता है। यदि इस बात की कमी हो तो प्रशासन ठीक ठीक नहीं चलता और प्रशासन से जनता को कष्ट उठाना पड़ता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है कि वह समय-समय पर उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त व्यक्तियों को चुनकर नियुक्त करने की सरकार से सिफारिश करे, लेकिन मुझे दुःख है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिफारिशें सरकार को की जाती हैं उनके ऊपर सरकार अमल नहीं करती और इसके कारण लोक सेवा आयोग का जो कार्य है और उसमें जो परिश्रम और मेहनत होती है उसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मान्यवर, यह १९५५-५६ की रिपोर्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको ३० अक्तूबर, १९५७ को तैयार कर दिया था, लेकिन यह हमारे सामने सन् १९५९ में फरवरी महीने में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। तो मैं यह नहीं समझ पाया कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ३० अक्तूबर, १९५७ को यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तो ज्यादा से ज्यादा उसके छपने या उसके प्रकाशन में एक महीना का वक्त लग सकता था और उस समय के बाद इस रिपोर्ट को हम सब लोगों के सम्मुख उसी समय विचारार्थ प्रस्तुत हो जाना चाहिये था, लेकिन इसमें इतनी डिले की गई यह मेरी समझ में नहीं आई। मान्यवर, इस रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो इसमें जगह-जगह पर ऐसे.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--- श्रीमन्, शायद सदन में कोरम नहीं है। दो दफा हो गया। अगर ऐसा ही है तो इसको टाल दिया जाय किसी और समय के लिये ताकि इस पर ठीक से विवाद हो सके और माननीय सदस्य अच्छी तरह से भाग ले सकें।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री उपाध्यक्ष---यह सही है कि यह दूसरी बार है जब कि सदन में कोरम नहीं है। मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वह कोरम की तरफ ध्यान देगी।

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भगवती सिंह विशारद---मान्यवर, अगर इस रिपोर्ट को देखा जाय तो पता चलेगा कि इसमें जगह-जगह पर लोक सेवा आयोग की सिफारिशों की उपेक्षाएं की गई हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में माननीय सहकारिता मन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से २०० सुपरवाइजर्स का चुनाव कराया गया नियुक्ति के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनमें से १२० को तो रखा और बाकी को अपनी तरफ से चुन के रख लिया और कहा यह कि चूंकि डिपार्टमेंट से प्रोमोशन करना था इसलिये बाकी

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

आदमियों को नहीं रखा गया। तो जब आवश्यकता केवल १२० आदमियों की थी और डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी थी कि इतने आदमी डिपार्टमेंट से लिये जायेंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन से उतने ही आदमियों के लिये सिफारिश मंगवानी चाहिए थी, लेकिन वहां से २०० आदमियों की सिफारिश मंगाई गई जिनमें से केवल १२० को लिया गया। तो इस तरह से सिफारिशें मंगवा ली जाती हैं और जो अभ्यर्थी होते हैं उनको उचित स्थान पर और उचित समय पर सर्विस नहीं दी जाती है। इसी रिपोर्ट में कई ऐसे स्थान हैं और कई ऐसे सन्दर्भ हैं जिनमें लोक सेवा आयोग ने स्वयं इस बात की शिकायत की है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ ७ पर दसवें खंड में लोक सेवा आयोग ने कहा है कि——

"गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ पर पैरा ५ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कुछ और लिखा-पढ़ी के पश्चात् आयोग राजकीय सीमेंट कारखाना, चुर्क के मुख्य अभियन्ता तथा सहायक प्रबन्धक के पद को पश्चात्दर्शी प्रभाव के साथ १ सितम्बर, १९५४ से वर्गीकरण करने (अपग्रेड) तथा उसके पदधारी को १,५००—५०—१,८०० रुपये के उच्चतर वेतन-क्रम की स्वीकृति से सहमत हुये, क्योंकि यह वेतन-क्रम उसको पहले ही दिया जा चुका था। पर आयोग ने शासन को बतलाया कि उनकी राय पर उचित समय पर विचार करने का निश्चय करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करने के पहले ही उन पर आयोग से परामर्श करना चाहिए न कि बाद में।"

तो मान्यवर, इस तरफ देखें कि जिस समय आयोग से किसी बात की सिफारिश या परामर्श लेना चाहिए वह परामर्श नहीं लिया जाता। काम सम्पादित कर दिया जाता है। किसी कर्मचारी को किसी पदाधिकारी को किसी स्थान पर नियुक्त करना होता है तो नियुक्त कर दिया जाता है, उसका वेतन-क्रम भी बढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद यह सारा प्रश्न लोक सेवा आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कार्यवाही की है वह उसका समर्थन कर दे। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोक सेवा आयोग उसका समर्थन करने के लिये विवश हो जाता है। उसके सामने और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि उससे पहले ही सरकार उस कार्यवाही को सम्पादित किये रहती है। इसी प्रकार मान्यवर पृष्ठ ६ पर कहा गया है——

"जुलाई, १९५५ में सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश ने दो विज्ञापन निकाले एक २००—४०० रु० के वेतन-क्रम में जिला सूचना अधिकारी के १० अस्थायी पदों के लिये तथा दूसरा २५० रुपये के स्थिर वेतन पर क्षेत्रीय सूचना अधिकारी के दो अस्थायी (राजपत्रित) पदों के लिये, इस अभिसंविदा पर कि बाद में सावधि वेतन-क्रम (टाइम-स्केल) स्वीकृत कर दिया जायगा। चूंकि यह पद महत्त्वपूर्ण मालूम पड़े, इसलिये शासन से पूछा गया कि इन पदों का नियुक्ति-प्राधिकारी राज्यपाल है अथवा नियुक्ति का अधिकार सूचना संचालक को प्रत्यायुक्त कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि यदि पद आयोग के पर्यवेक्षण में न भी हों तो भी उनके पर्यवेक्षण में ला दिये जाने चाहिये और उनके लिये चुनाव आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। अगस्त, १९५५ में शासन ने आयोग को सूचित किया कि वे मामले पर सक्रिय विचार कर रहे हैं और अल्पकाल में ही उत्तर देंगे, किन्तु कई अनुस्मारक भेजने पर भी वर्ष के अन्त तक कोई अन्तिम उत्तर न आया।"

तो सरकार केवल अवैधानिक कार्य ही नहीं करती, बल्कि लोक सेवा आयोग से जो जांच-पड़ताल और स्पष्टीकरण मांगा जाता है उसकी भी उपेक्षा करती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ वह जानना चाहें अपने प्रयोजन के लिये वह सूचना उनको तत्काल उपलब्ध करायी जाय, लेकिन सरकार अल्प काल में उत्तर देने का वायदा कर के साल भर तक कोई उत्तर नहीं देती।

इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार एक जगह एक समय पर एक सिद्धांत को उचित बताती है और दूसरी जगह पर दूसरे समय उसी सिद्धांत को अनुचित। मिसाल के लिये १० प्रधान अध्यापिकाओं की नियुक्ति का मामला था जिनमें से सरकार ने दो अपनी ओर से नियुक्त कर दीं। लोक सेवा आयोग ने इस पर एतराज किया कि उनकी चरित्र पुस्तिका में कुछ ऐसी शिकायत हैं कि जिसकी बिना पर उनको इस पद पर नहीं रहना चाहिये, लेकिन शासन ने यह सुझाव दिया कि चूंकि यह ज्येष्ठ हैं और ज्येष्ठता भी योग्यता है इसलिये इनकी नियुक्ति कर देनी चाहिये, लेकिन दूसरे स्थान पर जब ऐसे अवसर आये तो सरकार ने दूसरे व्यक्तियों को ज्येष्ठता की योग्यता का विचार न कर के नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से एक स्थान पर एक सिद्धांत को मानना और दूसरे स्थान पर उसी को छोड़ देना शासन में भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती पनपाता है और सरकार के इन कामों से शासन में कमी आती है। मैं इस रिपोर्ट के सिलसिले में इतना ही निवेदन करूंगा कि लोकसेवा आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको पूर्ण मान्यता प्रदान की जाय।

मान्यवर, यह प्रथा है कि यदि किसी स्थान के लिये व्यक्तियों की आवश्यकता है तो लोक सेवा आयोग को यह लिख कर भेज दिया जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश में उसके साथ ही किस क्वालीफिकेशन के आदमी की जरूरत है यह भी लिख कर भेज दिया जाता है। यह देखना लोक सेवा आयोग का काम होना चाहिये कि किस योग्यता के व्यक्ति की किस पद पर आवश्यकता है। इस. . . . .

श्री उग्रसेन—व्यवस्था का प्रश्न। फिर कोरम नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब कोरम नहीं है तो नियमानुकूल हाउस एडजर्न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—कोरम है। आप मुझको गिनना भूल तो नहीं जाते।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोक सेवा आयोग के पास सरकार को यह लिख कर भेजना चाहिये कि हम को किस स्थान के लिये कितने आदमियों की आवश्यकता है। यह लोक सेवा आयोग का काम होना चाहिये कि वह आदमी चुने और उनकी नियुक्ति करायें, लेकिन यहां से कितने आदमी और किस-किस क्वालिफिकेशन के आदमी होने चाहियें, यह भी लिख कर भेज दिया जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि लोक सेवा आयोग को कई बार विज्ञापन निकालने पड़ते हैं और इसमें कभी ऐसा भी होता है कि कम योग्यता के व्यक्ति की नियुक्ति करनी पड़ती है और कभी उपयुक्त योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते। तो मैं निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिये और उसे ठीक ढंग से प्रतिष्ठित करने के लिये सरकार लोकसेवा आयोग की मान्यताओं को सही स्थान पर प्रतिष्ठित करे और अगर वह ऐसा नहीं करती तो जिस तरह से सर्विसेज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कुनबापरस्ती बढ़ रही है वह अपनी चरम सीमा पर हैं। यह बुराइयां इस सरकार को ही वरन प्रदेश को भी ले डूबेगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि लोकसेवा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार सदैव सचेष्ट रहे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विशारद जी इस बात को कह रहे थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों को सरकार को मानना चाहिये। प्रजातंत्र की रक्षा इससे होगी। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, किन्तु मैं तो जहां तक रिपोर्ट को देख पाया हूं उससे यह समझता हूं कि पिछले साल की और इस साल की रिपोर्ट में एक विशेष अन्तर है और वह इसी सिद्धांत की रक्षा के लिये है जिसे विशारद जी कह रहे थे। पिछले साल की रिपोर्ट के साथ एक सूची ऐसी थी जिसमें यह था कि इतने मामलों में सरकार ने आयोग की सिफारिशों को नहीं माना और उसके साथ-साथ सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण कर दिया गया था कि हमने इस सिफारिश को इस वजह से नहीं

[श्री जगदीशप्रसाद]

माना, और इस सिफारिश को इस वजह से नहीं माना। इस बार न तो वह सूची है और न इसलिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ी अतः यह प्रगति की और उन अधिकारों की रक्षा है। आयोग ने लिखा है कि दो मामलों को छोड़ कर शेष सब मामलों में सरकार ने उसकी बात को मान लिया। केवल दो मामलों म आयोग की सिफारिश को नहीं माना गया और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काम कम नहीं था काम भी कम न हो और असहमति कम हो यह प्रजातंत्र की रक्षा की ओर प्रगति है। यह दो मामले क्या थे। एक तो ८३ मद का है जिसमें आयोग ने स्वयं लिखा है कि चूंकि संस्तुत अभ्यर्थी के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं और यह भी कि सैनिक शिक्षा की योजना का पुनस्संगठन होने वाला था, कोई भी नियुक्ति नहीं की गयी और पद को स्थगित कर दिया गया। आयोग ने स्वयं सरकार की उस निश्चय को मान लिया।

दूसरा मामला मद ३६ का है जिसमें सूचना विभाग में सहायक संचालकों की आवश्यकता थी और जब आयोग ने अभ्यर्थियों को बुला लिया तो सरकार ने यह लिख दिया कि २ नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा कर दी जायं और एक वहां से आये। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसा कभी-कभी हो जाता है, लेकिन इस प्रकार की बात को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिवेदन में देखता हूं कि अपील्स और अनुशासन की कार्यवाहियां जितनी की गयी हैं, उनके बारे में रिपोर्ट में यह है कि आयोग को सरकार के रवैये से संतुष्टि है। अपील व अनुशासन की कार्यवाहियों के ६१ मामलों में उन्होंने अपना फैसला दिया और उनमें से ५६ मामले सरकार ने बिलकुल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मान लिये। केवल ५ में अभी तक उसने फैसला नहीं लिये हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। मैं समझता हूं कि वह ५ मामले भी ऐसे होंगे कि जिनमें या तो हम उनकी राय को मान लें या फिर उनको लिख और वह सरकार की उस बात को मान लें। बहरहाल मैं यह जरूर कहूंगा कि यह रिपोर्ट ऐसी है जिससे हमें यह दिखाई देता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट में बहुत कोआपरेशन है, बहुत सहयोग है। उन्होंने सिफारिशें कीं और इन्होंने माना और अगर नहीं माना तो उसके लिये इनके पास दलील थी। उसको उन्होंने पेश किया और वह कमीशन ने मान ली।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक वस्तु कला के आर्किटेक्ट का मसला है। आर्किटेक्ट की जरूरत थी। आयोग ने सिफारिश की कि इस क्वालिफिकेशन का आदमी नहीं मिलेगा और वह नहीं मिल रहा था। आयोग ने कहा कि किसी व्यक्ति को जो आपकी किसी संस्था से निकला हुआ हो, शिक्षित हो, उसको कहीं ट्रेनिंग के लिये भेज दो, वह एक अच्छी सिफारिश थी। विभाग ने यह किया कि उस पद के ग्रेड को बढ़ा दिया और ५०० से १,२०० कर दिया। यह तरीका ठीक नहीं है। अगर हम ग्रेड बढ़ाने पर तुले हुये हैं तो आदमी कहीं न कहीं से मिल ही जायगा, उसी पद का ग्रेड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग की सिफारिश के अनुसार किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा सकती थी।

एक मामला और इसी रिपोर्ट में है। श्रमायुक्त के अधीन जूनियर वेज इंस्पेक्टर्स की जरूरत थी। उसमें जो योग्यता विभाग ने निर्धारित की थी, आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि उस योग्यता के व्यक्ति नहीं मिलेंगे और सरकार को उन्होंने लिखा। सरकार ने उस सिफारिश को मान लिया कि नहीं मिलेंगे। उस योग्यता को हटा दिया और फिर कमीशन ने जो सिफारिश की कि इन लोगों को नियुक्त किया जाय उस पर विभाग ने यह किया कि कुछ लोगों को जिनको कि कमीशन ने बुलाया नहीं था, क्योंकि वह योग्य नहीं थे और उसमें काम कर रहे थे उन्हीं को फिर वहां रख दिया और कह दिया कि उन्हीं को रखा जाय, क्योंकि उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। यह भी प्रथा अच्छी नहीं है। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिये जब हम प्रगति कर रहे हैं तो इन छोटी-छोटी चीजों को दूर करना चाहिए।

एक विशेष बात जिसकी तरफ माननीय भगवतीसिंह जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया वह है ज्येष्ठता और योग्यता की। यह प्रश्न बहुत दिनों से चला आ रहा है कि उन्नति किस आधार पर दी जाय— योग्यता के आधार पर या ज्येष्ठता के आधार पर। इस पर सरकार ने कुछ फैसला किया, कुछ नियम बनाये, वह सब जगह एक से होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि जहां हमको ज्येष्ठता सूट करे वहां ज्येष्ठता रख दी और जहां योग्यता सूट करे वहां योग्यता को आधार मान लिया। इस रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में आयोग ने चर्चा की है। एक जगह उन्हें जरूरत इस बात की थी कि ज्येष्ठता से लें तो उन्होंने लिख दिया कि, "इस सम्बन्ध में शासन ने यह भी कहा कि यह स्वीकार करते हुए कि पदोन्नति के लिये कसौटी केवल योग्यता होनी चाहिये, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्येष्ठता स्वयं योग्यता है।" यानी वहां जरूरत थी कि योग्यता होनी चाहिये तो वहां कह दिया गया कि उसकी जो सीनियारिटी है वह एक एफिश्येंसी है, इसलिये उसको ले लिया। एक दूसरी जगह जैसा कि विशारद जी जिक्र कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि, "इस सम्बन्ध में शासन ने कहा, क्योंकि अब पदोन्नति के लिए एक मात्र कसौटी योग्यता (मेरिट) निर्धारित की गयी है, चुनाव का आधार योग्यता होना चाहिए न कि स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर के रूप में अथवा किसी जिला या क्षेत्र विशेष में सेवा करने की अवधि"। मैं आप के द्वारा सरकार के सामने रखूंगा कि ऐसे मामलों को तफसील में देखें। हमारे विभाग के कर्मचारी तो अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को पदोन्नति दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने कुछ नियम बनाये हैं उनका पालन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेष शिकायत इस रिपोर्ट में है सरकार की, वह यह है जिसकी तरफ अभी माननीय भगवतीसिंह विशारद ने ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे हर काम में देर होती है। मैं दो तीन मिसाल आपको बतलाऊंगा जिससे मालूम होता है कि जब सरकारी विभागों में इतनी देर होती है, जब पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ यह हो सकता है तो साधारण जनता के साथ क्या होगा? वही बतला रहे थे कि उन्हें सूचना अधिकारियों को नियुक्त करना था, एक २०० से ४०० के ग्रेड में और एक २५० के ग्रेड में और आयोग ने इस सम्बन्ध में १९५४-५५ में कुछ लिखा था, लेकिन उनके पास आजतक उत्तर नहीं पहुंचा। आज तक आयोग के पास उसका उत्तर नहीं पहुंचा। एक दूसरी मिसाल और है। सरकार ने कुछ नियमों में आयोग की राय पूछी, सरकार उसमें कुछ संशोधन करना चाहती थी। उस राय को आयोग ने सन् १९४७ और १९४९ में दे दी, लेकिन फिर उसके ऊपर जो आज्ञा हुई वह सन् १९५५ में हुई। ४७ और ४९ से १९५५ में वह आज्ञा हुई, यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर देखे कि यह क्यों हुआ और आगे ऐसा न हो। एक और मामले में आयोग को यह लिखना पड़ा कि हमारे पत्रों के प्रति विभाग का व्यवहार उपेक्षा का है। क्यों उपेक्षा से काम लिया गया, इसको देखा जाय। यदि ३–३ वर्ष में पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पत्रों के जवाब आयें और फिर भी इस प्रकार के जवाब आयें जिससे उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो मैं सरकार के सामने नम्र निवेदन करूंगा कि वह इस पर सोचे कि अगर ऐसा होगा तो फिर साधारण जनता को कितनी परेशानी होगी। जैसा कि भगवतीसिंह जी कह रहे थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन प्रजातंत्र के अधिकारों की सुरक्षा करता है, मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पर गौर करे। वैसे जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है कि कितने मामलों में सरकार ने कमीशन की राय मानी उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने उनकी राय को मानने का प्रयत्न किया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो पब्लिक सर्विस कमीशन की सन् १९५५–५६ की रिपोर्ट पेश है उसके सम्बन्ध में जगदीश जी ने जो अपने सुझाव दिये उसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है सदन से कि इस रिपोर्ट के अलावा भी सन् १९५४–५५ की या और जो दूसरी रिपोर्टें इस सदन में आयी हैं, उन सभी से हमेशा यह भाषित होता रहा है कि शासन ने आयोग की सिफारिशों पर अधिकांश मामलों में ध्यान नहीं दिया और उनकी उपेक्षा की जिससे संविधान के अन्तर्गत जो सेवा

[श्री उग्रसेन]

आयोग कायम करने का सुझाव था, उसकी जो मंशा थी वह ठीक-ठीक पूरी नहीं की जा रही है। आज आयोग के सामने बड़ी परेशानी है। इस रिपोर्ट में जो कुछ दिया हुआ है उसकी ओर माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया। मैं भी दो एक विषयों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य शांति स्थापित करें।

श्री उग्रसेन—मैं दो एक विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा यह साबित करने के लिये कि शासन ने आयोग के सुझावों की अवहेलना की है या अनायास ही आयोग के कार्यों में शासन के मुख्तलिफ विभागों ने हस्तक्षेप किया है। इस प्रकार के दो-एक उदाहरण पेश करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। पृष्ठ ६ पर लिखा है कि नवम्बर, १९५५ में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने अपने कार्यालय के हेतु कुछ अस्थायी पद के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुये एक विज्ञापन निकाला। जब आयोग को मालूम हुआ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने ऐसे आवेदन-पत्र निकाले हैं तो उन्होंने इस पर आब्जेक्शन किया और उसका विरोध किया जिस पर यह कह दिया गया कि यह ऐसे पद नहीं हैं जिनका नियमित चुनाव कराने के लिये आयोग से राय ली जाय। सभी विभागों में जो बड़े-बड़े पद हैं वह आयोग के पर्यवेक्षण में हैं, मगर पता नहीं जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने विज्ञापित किया और आयोग ने एतराज किया तो विभाग ने कह दिया कि यह तो मंत्रिवर्गीय पद हैं और आयोग के पर्यवेक्षण में नहीं हैं। यही नहीं, हमारे पब्लिक सेक्टर में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री एक बड़ा उद्योग है। वहां पर डायरेक्टर का सब से बड़ा पद है। उसके बारे में इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी दो एक लाइन पढ़ना चाहता हूं रिपोर्ट में लिखा हुआ है—

> "गतवर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ पर पैरा ५ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कुछ और लिखा पढ़ी के पश्चात् आयोग राजकीय सीमेन्ट कारखाना, चुर्क के मुख्य अभियन्ता तथा सहायक प्रबन्धक के पद को पश्चातदर्शी प्रभाव के साथ १ सितम्बर, १९५४ से वर्गीकरण करने तथा उसके पदधारी को १,५००—५०—१,८०० रुपये के उच्चतर वेतन-क्रम की स्वीकृति से सहमत हुए, क्योंकि यह वेतनक्रम उसको पहले ही दिया जा चुका था। पर आयोग ने शासन को बतलाया कि उनकी राय पर उचित समय पर विचार करने का निश्चय करने के लिये ऐसे प्रस्तावों को कार्यरूप में में परिणत करने के पहले ही उन पर आयोग से परामर्श करना चाहिये न कि बाद में।"

अंग्रेजी की यह कहावत है कि "टु पुट दि कार्ट बिफोर दि हार्स" उल्टी गंगा बहाना। ग्रेड तो पहले से ही बना दिया गया और बाद में आयोग को लिखा गया कि उनकी राय लेना चाहते हैं। एक तरफ से आयोग को मजबूर किया। यह चीज विधान के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है और इस प्रकार से सरकार अपने निर्णयों को आयोग के ऊपर लादना चाहती है। इससे प्रदेश की जनता में बहुत क्षोभ व्याप्त है।

अभी बजट के समय जब जेल अनुदान पर बहस चल रही थी तो मैंने उस समय भी यह कहा था कि जेल डिपो पर ८० रुपया पाने वाले एक सेल्समैन को, जब उसके रिश्तेदार एक आई० जी० प्रिजन्स हो कर आये तो जब कि वह निकाला जाने वाला था, उसकी सर्विसेज को रेग्युलेराइज कर दिया गया। जो आदमी केवल दो-तीन सौ की ग्रेड में था, उसकी एप्लीकेशन को कमीशन को फारवर्ड किया गया और कमीशन को उसके जो खास योग्यताएं थीं उनको लिखा गया और उसको ५००—१,२०० के ग्रेड में असिस्टेन्ट डायरेक्टर जेल्स इंडस्ट्री बना दिया गया। इस तरह की बहुत सी बातें रिपोर्ट के अन्दर हैं। कहा गया कि टेकनीकल उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मेरा यह चार्ज है कि विभागीय अफसर इस तरह का विज्ञापन जल्दी में निकालते हैं कि ज्यादा लोग उसमें न आने पावें और लोक

सेवा आयोग से किसी खास आदमी को चुनवा दिया जाय। जिन सिद्धान्तों के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी है इस प्रकार से उनकी हत्या की जाती है। यह जनतंत्र के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात मैं विज्ञापन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सन् १९५३–५४ में भी और इस वर्ष भी लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि इस विभाग की ओर से जो विज्ञापन किये जाते हैं वे देर से किये जाते हैं। लोक सेवा आयोग ने इस चीज का घोर विरोध किया है और कहा है कि देर से विज्ञापन होने के कारण जिन लोगों को उससे लाभ पहुंचना चाहिये, उन लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाता है। जिन लोगों को आना चाहिये वे लोग नहीं आ पाते हैं। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि उनका यह सूचना विभाग किस लिये है। लाखों रुपया प्रदेश के राजस्व का उस पर खर्च किया जाता है फिर भी वह विज्ञापन देर में क्यों निकालता है।

श्री उप ध्यक्ष—आप उस हिस्से का उल्लेख कर दिया करें जिसके बारे में आप कह रहे हैं, नहीं तो मन्त्री जी जवाब कहां से देंगे।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सूचना विभाग के बारे में इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या २० पर दिया हुआ है "कृत्यों के परिसीमन सम्बन्धी विनियम"। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का क्षेत्र कहां तक है इसके सम्बन्ध में इस में दिया हुआ है कि इस वर्ष आयोग इससे सहमत हुए कि निम्नलिखित पद उनके पर्यवलोकन में न रहे :

१—सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश का पद।

इसका मतलब यह है कि इस वर्ष यानी १९५५–५६ में आयोग से शासन की लिखा पढ़ी हुई कि क्या आयोग इस बात से सहमत है कि संचालक उत्तर प्रदेश का पद उसके पर्यवलोकन से बाहर रहे। तो मैं पूंछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि सन् १९५५–५६ तक यह पद बाहर क्यों रहा। इसका मतलब तो साफ मालूम है कि पहले शासन ने बिना आयोग की संस्तुति के सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश की नियुक्ति की, और जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार जब सदन में यह सवाल उठाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि बिना लोक सेवा आयोग की सिफारिश के किसी की नियुक्ति हो तो सन् १९५५–५६ में आयोग से लिखा पढ़ी करके उसकी सहमति प्राप्त कर ली गयी और सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश के पद को रेगुरेलाइज कर लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ।

श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। इसके लिये जहां तक मेरी जानकारी है अक्सर जो लोग रिटायर्ड आफिसर होते हैं या सेक्रेटेरियट में होते हैं उन्हीं को वहां भेजा जाता है। तो सर्विस से रिटायर्ड आफिसर जो होते हैं उनके सामने भी बहुत सी कठिनाइयां आ जाती हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के चुनाव के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करे—हो सके तो इस पर एक कमेटी बैठावे और बड़े बड़े सर्विस विशारद लोगों को आयोग की सदस्यता के लिये चुने तो मैं समझता हूं कि स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकते हैं। जिस तरह से जूडिशियरी और शासन का सम्बन्ध होता है उसी तरह से आयोग के सदस्यों और शासन में एक ऐसी कड़ी सी होनी चाहिये कि उनके ऊपर शासन का या किसी तरह का दबाव न पड़ सके। मैंने देखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग चुन कर जाते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है वे मजबूर होते हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कभी-कभी शासन के खिलाफ भी होते हैं इसी तरह से उनको भी इस तरह का अधिकार रहे कि वे शासन का बिना खयाल किये हुए अपना निर्णय दें। केवल इतना ही अधिकार उनको न रहे कि वे जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दें उस पर सदन में विचार किया जाय, बल्कि उनको यह भी अधिकार दिया जाय कि यदि उनके आदेशों का कहीं भी किसी स्थिति में पालन न किया जाय तो उस पर कोई विशेष कार्यवाही सरकार के या विभागीय आफिसर के विरुद्ध भी हो सके। अगर इस तरह की व्यवस्था माननीय मंत्री जी

[श्री उग्रसेन]

कर सकें तो मैं समझता हूं कि जिस मंशा को लेकर लोक सेवा आयोग को बनाया गया है उस मंशा की पूर्ति हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा प्रस्तुत लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जब इस रिपोर्ट को पढ़ता हूं तो मुझे काफी सन्तोष है कि आज सरकार और आयोग के बीच में जो सम्बन्ध है वह दिन प्रति दिन अच्छा होता जा रहा है। हमको याद है और सदन को भी अच्छी भांति याद होगा .....

श्री उपाध्यक्ष—आप इसका समर्थन कर रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट का या सरकारी टिप्पणी का ?

श्री रामेश्वर प्रसाद—जो सरकार की ओर से टिप्पणी है उसका समर्थन कर रहा हूं और रिपोर्ट का स्वागत कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि सरकार और कमीशन के बीच के जो सम्बन्ध हैं वे दिन प्रति दिन अच्छे होते जा रहे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि अभी पिछले साल इसी सदन में इसके पहले की रिपोर्ट पर भी हमने विचार किया था और हमने देखा था कि उसमें जो बातें थीं उससे ज्यादा अच्छे सम्बन्ध इस रिपोर्ट के अन्दर सरकार और कमीशन के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। भाई भगवतीसिंह विशारद ने अभी कहा था कि कमीशन की राय को सरकार को मानना चाहिये और उसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि जनतन्त्र की रक्षा के लिये और कुनबापरस्ती से बचने के लिये यह आवश्यक है। मैंने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक एक-एक पन्ना देखकर बड़े गौर से पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं भी मैंने यह शिकायत नहीं पाई कि कहीं भी कमीशन ने कहा हो कि सरकार की तरफ से किसी पद की नियुक्ति में कुनबापरस्ती इस्तेमाल की गई है। मैं नहीं समझता कि इस कमीशन के रिपोर्ट के सिलसिले में विशारद जी ने यह बात कैसे कह दी ? वैसे कहने का तो उनको अधिकार है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसी बात कहीं है नहीं।

साथ ही साथ जहां तक जनतन्त्र की रक्षा का सवाल है कुछ साथियों ने तो यहां तक कह दिया, जैसे श्री उग्रसेन जी ने कि सरकार और कमीशन के सम्बन्ध बहुत बुरे हैं, शोचनीय दशा हो रही है और कमीशन के सामने परेशानी पैदा है। वह यह कहते हैं और अगर कमीशन की इस रिपोर्ट को देखा जाय और कमीशन की भावनाओं को जरा समझने की कोशिश की जाय तो बात दूसरी है और साफ है। आखिर में उपसंहार में जो कमीशन ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है वह बिलकुल स्पष्ट हैं उनको पढ़ लिया जाय तो साबित हो जायगा और सही नक्शा भी सामने आ जायगा कि सरकार और कमीशन के सम्बन्ध कितने अच्छे, मीठे और सही तरीके पर चल रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से उसका कुछ भाग पढ़ना चाहता हूं कि "आयोग को यह देखकर बड़ा सन्तोष है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन के विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा प्रदत्त परामर्श भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं कि जो मामले उनकी नोटिस में लाये गये, उन पर उन्होंने शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की"। मैं समझता हूं कि इस पैरा के पढ़ने के बाद कोई भी माननीय सदस्य जिन्होंने इसे देखने का कष्ट किया होगा वह यह नहीं कह सकते कि सरकार और कमीशन के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और उन्हें यह कहने का अवसर न आता कि सम्बन्ध बुरे हो रहे हैं, स्थिति शोचनीय हो रही है। मैं नहीं समझता कि किस आधार पर ऐसा कहा जाता है, वह बात दूसरी है कि कुछ न कुछ कहा ही जाय। तो यह निश्चित बात है कि सरकार और कमीशन के सम्बन्ध अच्छे हैं और यह मेरी बात नहीं है बल्कि जिन व्यक्तियों के बीच की यह बात है उन्होंने अपने एप्रीसियेशन में यह लिखा है और यही इसका सबूत है। दोनों के सम्बन्ध अच्छे रहे।

साथ ही साथ जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है इसको पढ़ा जाय और देखा जाय तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब भी कमीशन ने सरकार को किसी नियुक्ति के बारे में लिखा या ध्यान दिलाया है तो सरकार ने तुरन्त उस पर कार्यवाही की है। मैं तो इस माने में अपने मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा ही करूंगा कि जब भी कमीशन ने किसी पद की नियुक्ति के बारे में उनका ध्यान दिलाया, तुरन्त ही उसमें उन्होंने कार्यवाही की।

आप देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में कमीशन ने मुख्य मंत्री जी को लिखा कि जो अस्थायी नियुक्तियां हों उनके बारे में जब भी नियुक्ति की जाय किसी व्यक्ति की तो उसकी सूचना, उसकी एक प्रतिलिपि कमीशन को भेज दी जाय ताकि कमीशन उसकी छान-बीन कर सके कि वह नियुक्ति उचित है अथवा नहीं। यह देखकर ताज्जुब होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने फौरन कार्यवाही की और वह इसी बात से साबित होता है कि जुलाई, १९५५ में कमीशन ने इसी इश्यू को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा और अगर सन् १९५५ में एक ही महीने के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने एक आदेश इस प्रकार का सब विभागों को प्रसारित कर दिया कि जो भी नियुक्ति हो उसकी तुरन्त सूचना कमीशन को दे दी जाय जो भी टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट हो। इसी बात से जाहिर है कि कभी भी मुख्य मंत्री जी की अथवा इस सरकार की यह मंशा नहीं रही कि कोई भी नियुक्ति चुपके से कर ली जाय, बैक डोर से कर ली जाय, किसी मोटिव से कर ली जाय या कमीशन से छिपा कर ली जाय। यह भी तथ्य है कि लगभग १६० मामलों की इस तरह के एप्वाइंटमेंट्स की सूचना कमीशन को पहुंच गई। तो मैं इन बातों की तहत में आपसे कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि यह सरकार और विशेषकर हमारे मुख्य मंत्री इस बात का सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि नियुक्तियों के बारे में स्तर को ऊंचा रक्खा जाय, नियुक्तियों को निष्पक्ष रक्खा जाय और सदैव कमीशन की भावनाओं को मानते हुए कार्य किया जाय। अब इन बातों के बाद उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की किसी भी बात के कहने की कोई गुंजायश नहीं रह जाती है कि कमीशन की बात को इस सरकार ने ठुकराया, नहीं माना या नियुक्तियों में कोई पक्षपात किया, या उनका कोई बुरा मोटिव रहा हो।

साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन का काम काफी बढ़ता जा रहा है। जनतंत्र में तमाम विकास के काम बढ़ रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, कमीशन का काम भी बढ़ता जा रहा है। मैं विशेष रूप से कमीशन का आभारी हूं और आपके द्वारा चाहता हूं कि मेरा यह आभार कमीशन तक पहुंच जाय कि उन्होंने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन को ध्यान में रक्खा। इस बात की बराबर कोशिश की कि जो रिजर्वेशन का समय है उसके अन्दर ही रिजर्वेशन पूरा हो जाय। इस रिपोर्ट को देखा जाय कमीशन ने बराबर इस बात की कोशिश की कि हरिजनों के बीच से रिजर्वेशन को पूरा करने के लिये उचित अभ्यर्थी मिल जायं और अगर नहीं मिले विज्ञापन करने पर तो दोबारा विज्ञापन किया गया, और अगर फिर भी नहीं मिले तो कमीशन ने यहां तक इस बात को सहानुभूतिपूर्वक सोचा कि उनकी योग्यता में छूट दे दे। तो मैं उनकी इस भावना की कद्र करता हूं और उनके प्रति इस समुदाय की ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार द्वारा जो रिजर्वेशन का पीरियड हरिजनों के लिये मिला है उसके अन्दर ही इस काम को पूरा करेगा और जो रिजर्वेशन का हक है हरिजनों का पदों में वह उनको अवश्य दिलाने की कोशिश करेगा।

इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कमीशन के सामने तमाम दिक्कतें इस प्रकार की आ जाती हैं कि उचित अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। सरकार भी कोशिश करती है और कमीशन भी कि शासन के लिये योग्य व्यक्ति मिल जायं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे मौके आये जिसमें कि कमीशन स्वयं इस बात के लिये असफल रहा कि वह उचित प्रकार के योग्य व्यक्ति किसी विशेष पद के लिये सरकार को चुन करके दे सके। स्वयं कमीशन ने समय-समय पर किन्हीं पदों के लिये सरकार को लिखा और सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा कि वे लोग इस विशेष पद के लिये उचित अभ्यर्थी को चुन लें

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

और उसके बाद कमीशन की ऐप्रूवल ले लें। आप देखेंगे कि लगभग १६ प्रकार के प्राविधिक पद इस प्रकार के हैं जिनके लिये प्रदेश के अन्दर व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं। कई बार कमीशन ने इस बात की कोशिश की कि उन पदों को पूरा किया जाय, लेकिन लगभग १६ प्रकार के पद ऐसे हैं जिनके लिये कोई योग्य व्यक्ति प्रदेश के अन्दर नहीं मिल पाते हैं। कमीशन ने यहां तक सरकार को छूट देने की राय दी कि उन विशेष पदों के लिये सरकार को अब यह उपाय करना चाहिये कि विशेष प्रकार के विद्यार्थियों को शुरू से विशेष प्रकार की दिशा में शिक्षा दे करके राज्य की सेवा के लिए उन व्यक्तियों को तैयार करें। तो स्पष्ट है कि सरकार और कमीशन अपने पारस्परिक ऐफर्ट्स के द्वारा यह कोशिश कर रहे हैं कि शासन का स्तर ऊंचा हो, शासन में योग्य व्यक्ति आवें। मगर मजबूरियां हैं, नहीं मिल पाते लोग। उनके लिये कमीशन और सरकार मजबूर है। यह बात नहीं कही जा सकती एक तरफा कि शासन जो है वह कभी-कभी अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर लेता है। मजबूरियां हैं, काम चलाना है, वह तो बन्द नहीं हो सकता। कमीशन भी मजबूर है उन्हीं व्यक्तियों को चुनाव करने के लिये आदमी उपलब्ध हैं नहीं तो उससे कम थोड़ी-सी योग्यता के अगर किसी पद पर व्यक्ति आ जाते हैं तो मैं समझता हूं उसके अन्दर किसी प्रकार की कोई नीयत खराब नहीं होती सरकार की। सरकार की नीयत स्पष्ट है कि मजबूरियां हैं और जनता का काम चलाने के लिये ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है वह टीका-टिप्पणी का विषय नहीं बन सकता और अगर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है तो हम फैक्ट्स से दूर चले जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिये। रिपोर्ट में कोई बात अस्पष्ट नहीं है। कमीशन ने जिस बात के सम्बन्ध में लिखा सरकार ने उनका जवाब दिया। किन्हीं मामलों में सरकार ने तुरन्त जवाब दिया और किन्हीं मामलों में किन्हीं कारणों से जवाब देर में दिया। जैसे एक मामले में एक साहब ने कहा कि सूचना सरकार के पास से आई नहीं और उधर तकर्रुरी भी हो गयी। परिस्थितियां तो इस रिपोर्ट में नहीं हैं कि किन कारणों से ऐसा हुआ लेकिन परिस्थितियों के कारण ही ऐसा हुआ है जिससे किन्हीं मामलों में देर हो गयी तो मैं समझता हूं कि वह इतना बड़ा मामला नहीं है जो क्रिटिसिज्म का प्वाइंट बन सके और जिससे हम सरकार को यह चार्ज कर सकें कि उसने जान बूझकर उसमें डिले की है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—व्यवस्था का प्रश्न। मान्यवर, इस विषय पर दो घंटे का समय नियत है और उस पर विरोधी पक्ष के लोग दो चार ही बोल पायेंगे, लेकिन मेरे दोस्त बहुत-सी बातों को बार-बार दोहराये जा रहे हैं, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि जहां वे रिपीट करें आप उनको कृपया रोक दें।

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार दोहराने की कोई बात हो तो उसे खत्म करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर दोहराता तो आप जरूर ही रोक देते और उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

किन्हीं मामलों में ऐसा भी हुआ है कि सरकार को कमीशन ने अधिकार दे दिया कि किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर लो और बाद में कमीशन ने उसका ऐप्रूवल दे दिया। इसी तरह से कभी सरकार ने भी यह किया कि किसी स्कीम को फौरन लागू करना है तो किसी को रेक्रूट कर लिया और उसके लिये कमीशन से ऐप्रूवल ले लिया। ये दोनों बातें एक सी हैं। जब कमीशन ने एक सिद्धांत को मान लिया कि सरकार किन्हीं पदों पर किसी विशेषाधिकारी को मुकर्रर कर ले और बाद में उसको वह एप्रूव कर लेंगे तब किसी काम की अर्जेन्सी को देखते हुए सरकार ने किसी पद पर किसी अधिकारी को मुकर्रर कर लिया और बाद को ऐप्रूवल कमीशन से ले लिया। तो यह दोनों बातें ऐसी नहीं हैं जिसके लिये यह कहा जा सके कि गलत है, क्योंकि कमीशन ने उस सिद्धांत को स्वयं मान लिया है।

अब मान्यवर, चूंकि मेरे अवस्थी जी भी बोलना चाहते हैं इसलिये मैं संक्षेप में ही सदन का ध्यान इस रिपोर्ट पर ले जाऊंगा कि इसमें जो कुछ लिखा है वह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि सरकार और कमीशन के सम्बन्ध नितान्त अच्छे रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह तो माननीय सदस्य कई दफे कह चुके हैं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं समझता हूं कि कोई गलत बात तो वह नहीं है और अगर मैं गलत कहूं तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कृपया रोक दिया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का आक्षेप सरकार के ऊपर नहीं कहा जा सकता । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में कमीशन ने स्वयं दो एक मौकों पर जैसे डिप्टी एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) के चुनाव में डिपार्टमेंटल हेड्स को भी कमेटी में अपने साथ सेलेक्शन के लिये बैठाया ।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात आप कह चुके हैं कि अधिकार दे दिया जाय और नियुक्ति हो गयी ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—नई बात कह रहा हूं । अगर दोबारा कोई बात कहूं तो आपको अधिकार है कि बैठा दें । तो डिप्टी एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) के चुनाव में डिपार्टमेंटल हेड्स को कमेटी में बैठाया और सेलेक्शन किया गया । तो कमीशन ने स्वयं इस बात के लिये सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है कि सरकार ने समय-समय पर मेम्बरों को कार्य-संचालन के लिये सहायता दी है और सहूलियत दी है । मैं कमीशन और अपने मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनका सम्बन्ध परस्पर नितान्त ही अच्छा रहा और आशा करता हूं कि भविष्य में भी अच्छा ही रहेगा ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आप को धन्यवाद देने के साथ श्री रामेश्वर प्रसाद जी को भी धन्यवाद देता हूं कि बड़ी कृपा की उन्होंने कि वे बैठ गये । अगर वे नाखुश न हों तो मुझे कहना पड़ेगा कि अगर रामेश्वर प्रसाद जी प्रचारक का पद ले लेते और प्रान्त भर का दौरा करते तो अपनी पार्टी का ज्यादा भला करते ।

अपने इतने-लम्बे चौड़े भाषण में उन्होंने दो तीन बातें ही कहीं कि मैं धन्यवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं । ये सब बातें किसी और मौके पर सही होतीं, लेकिन सदन के सामने जब इतनी लम्बी रिपोर्ट हो और उसमें ५०, ६० चीजें हों सरकार और कमीशन के बारे में और जिन पर केवल २ घंटे विवाद करना हो तो इतना अधिक समय लेना उचित नहीं मालूम होता था । विभिन्न रायें हैं और आलोचनात्मक रायें देनी हों इतनी लम्बी रिपोर्ट के सम्बन्ध में तो इसमें काफी समय की बात थी, लेकिन इसके लिये केवल दो ही घंटे का समय रखा गया है ।

मैंने रिपोर्ट को पढ़ा तो यही देखा कि सरकार मनमाने ढंग पर नियुक्तियां करने में जरा भी नहीं हिचक रही है । सबसे प्रथम आप देखें कि हमारे सामने रिपोर्ट १९५५–५६ की आती है जो दो साल पुरानी है और दो साल पुराने किये हुए कार्यों की आज हम समीक्षा कर रहे हैं । पिछले साल भी जब मुझे मौका मिला था तो मैंने मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था—उस समय वे उपस्थित थे, किन्तु बदकिस्मती से आज उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम इन रिपोर्ट्स को शीघ्र प्रस्तुत किया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका । इसलिये आज भी इसमें उन्होंने खेद प्रकट किया है कि हम अपने प्रतिवेदन को देर में प्रस्तुत कर सके हैं और इस विलम्ब के लिये उन्हें खेद है । लिहाजा मैं नहीं समझ पाया कि भविष्य में भी वे अपनी गति तीव्र कर सकेंगे । जो नियुक्तियां पिछली होती हैं बहुत-सी बातें उनके सम्बन्ध में उस समय हमारे सामने होती हैं और उन बातों को हम सदन के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वे इतनी पुरानी पड़ जाती है कि कहने का समय नहीं रह जाता है । मैं तो इस समय केवल मुख्य-मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

छठे आइटम में जो महिला प्रधानाध्यापिका के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने विरोध लोक सेवा आयोग से किया है उसके सम्बन्ध में यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी के उस भाषण का कुछ अंश उद्धृत करूं जो उन्होंने हाल ही में जब वे लखनऊ आये थे तो आम जनता में दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार की यह नीति है कि सीनियारिटी के बेसिस पर किसी की पदोन्नति न करें बल्कि एफीशिएंसी को देख कर पदोन्नति करें। मुझे सौभाग्य से उस भाषण को सुनने का मौका मिला था, लेकिन इससे उल्टे हम इस सरकार की नीति को पाते हैं। मालूम होता है कि यह सरकार कलेक्टर के बारे में जो एन्ट्रीज हैं उनके आधार पर नहीं करना चाहती बल्कि सीनियरिटी की बात को पेश करना चाहती है। न मालूम क्यों यह सरकार प्रधान मंत्री की बातों पर भी ध्यान नहीं देती। ऐसा लगता है कि नियुक्तियों के बारे में प्रदेशीय सरकार स्वतन्त्र नीति कायम रखना चाहती है। सरकार और आयोग की नीतियों में जो विरोधाभास है उससे पता लगता है कि चाहे छोटी नीति हो या बड़ी नीति हो, सरकार अपने कामों को बड़े ढीले ढंग से करती है और इस आयोग के सम्बन्ध में भी उसकी वही नीति है।

पृष्ठ ४ पर पैराग्राफ ८ में उल्लेख है कि नियुक्ति के बारे में दिसम्बर, १९५५ में सरकार को लिखा और साल भर उसका कोई उत्तर न आने के बाद जुलाई, १९५७ में उसके बारे में आदेश जारी कर दिये। यह मैंने कई जगह नोट किया कि सरकार दो-दो साल बाद आयोग की सिफारिश को पूरा करने को तैयार होती है। इसके अलावा जहां सरकार और आयोग की नीति में भिन्नता पायी गयी है वहां हमने हर जगह देखा कि सरकार ने अपनी जिद को उचित माना है। इसके अलावा मैं देखता हूं कि ऐंटीसीडेंट्स की बात लायी जाती है और सरकार कहती है कि इसकी सारी जानकारी हमारी फाइलों के अन्दर है, आयोग के पास नहीं रहती लिहाजा हमारी बात ज्यादा सही है। श्रीमन्, मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि इन आयोगों के पास हर प्रकार की सामग्री होनी चाहिये जो सरकार के पास है, चाहे वह ऐंटीसीडेंट्स के बारे में ही क्यों न हो। अगर सरकार यह कहे कि हर चीज के पूरे फैक्ट्स आयोग के पास नहीं हो सकते हैं तो हम यह कहने के लिये बाध्य होते हैं कि सरकार का यह कहना उचित नहीं मालूम होता है। आज जब कि नियुक्तियों के मामले में आयोग को सर्वोपरि माना गया है तो सब प्रकार की सामग्री उनके पास रहनी चाहिये ताकि सेलेक्शन करने में उसको आसानी हो।

आप देखें कि इस रिपोर्ट के पृष्ठ ६ के पैरा ८ में सूचना संचालक ने कुछ नियुक्तियों के सम्बन्ध में विज्ञापन निकाले कि बाद में इनका टाइम स्केल निश्चित किया जायगा। सन् १९५५ के अगस्त में शासन ने आयोग को सूचित किया कि मामले पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है और अल्पकाल में ही उत्तर देंगे किन्तु कई अनुस्मारक भेजने पर भी वर्ष के अन्त तक कोई अंतिम उत्तर नहीं आया। लेकिन १९५९ में सरकार ने इशारा किया कि इसका अधिकार क्षेत्र हम आयोग को देना स्वीकार करते हैं। मालूम होता है कि इस तरह से सरकार के यहां दो-दो तीन-तीन साल तक कागजात चला करते हैं और दो तीन साल नियुक्ति करने में लग जाते हैं। अप्वाइन्टमेंट में हमने देखा कि इस तरह से देर की जाती है कि वह चीज ही बेमियाद हो जाती है।

मैं इस समय स्पेसिफिक इंसटैंसेज नहीं देना चाहता हूं क्योंकि यह रिपोर्ट दो साल पुरानी है और इंसटैंसेज नई हैं। हम देखते हैं कि सरकार बहुत से मामलों को कोल्ड स्टोरेज में डाले रखती है और उसका नतीजा यह होता है कि उसकी कोई वकत नहीं रह जाती है। या इसका नतीजा यह होता है कि इस बीच में सरकार को फिर से अपना केस लाने का मौका मिल जाता है या सरकार जो चाहती है वह कर लेती है। इस में लिखा हुआ है कि इस बीच निश्चय किया गया कि निजी वार्ता द्वारा किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी जाय। यह सूचना सरकार की, रिपोर्ट की मद ४ के सम्बन्ध में है। एक इम्पार्टेंट नियुक्ति के लिये सरकार कहती

है कि हमें आदमी नहीं मिल पाया, हमने कोशिश की कि निजी वार्ता द्वारा नियुक्ति कर लें। मैं पूछना चाहता हूं कि यह निजी वार्ता कौन सी चीज है ? वह निजी वार्ता कैसे करेंगे ? इसके माने हैं कि जो उनके घर आता जाता है या रास्ते में मिल जाता है उससे ही निजी वार्ता हो सकती है। इसके अलावा और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ? यह बड़े आश्चर्य की बात होती है ....

श्री उपाध्यक्ष---आप पांच मिनट के समय में खत्म करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ज्यादा समय आपने दिया ही नहीं। जो वक्तव्य देना चाहे इसके विषय मे उसे पूरा समय मिलना चाहिये था। यह तरीके जो हैं सरकार के डिलेइंग के और निजी वार्ता एप्वाइटमेंट के सिलसिले में और तीसरे ओवररूल के और चौथे एफीशिएन्सी को न रखकर के सीनियारिटी को रखे हैं प्रोमोशन के लिये ये चारों ही गतल हैं। अगर यह चीजें दूर नहीं की गई। तो फेल्योर हो जायगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सरकार लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर नहीं चलती है बल्कि अपनी निजी रायों से चलती है जो कि अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री गोविन्द सिंह विष्ट। आप भी दस मिनट का समय लेंगे।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन् मुझे तो कुछ जनरल बातों पर प्रकाश डालना है। अभी उधर के बैठने वाले हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने माननीय उग्रसेन जी की दो एक बातों का जवाब देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी रिकमेन्डेशन आज कल आई हैं उन्हें सरकार ने मान लिया है और मतभेद कम हो गया है। अगर यह वाकई सही बात है तो खुशी है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिया उससे कुछ मायूसी हुई। सूचना संचालक वगैरह के कई ऐसे पद थे जिनके लिये हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन यह insist करता रहा कि वे हमारे परव्यू perview में रहने चाहिये, यह बहुत पड़े पद हैं, या इस तरह के और भी पद हो सकते हैं। तो आज तक के जो पुराने मेम्बर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थे उन्होंने हमेशा सरकार की इस बात का विरोध किया कि ऐसे पद कमीशन के परव्यू से बाहर जांय।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि विभव जी एक बुजुर्ग और वृद्ध आदमी हैं, उनको पैर नीचे रखने में कष्ट होता है इसलिये उनके लिये एक आराम कुर्सी का प्रबन्ध कर दिया जाय।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे मामले मे जैसे कि इस रिपोर्ट में दिये हुए हैं सरकार को छूट दी। जो एतराज आज तक इस भर्ती के बारे में थे जैसे सूचना संचालक वगैरह के पद के उन आब्जेक्शन्स को खुद ही कमीशन ने विदड्रा कर लिया। श्रीमन्, अब भी सब में ऐसी बात नहीं है। कुछ बड़े इंडिपेन्डेन्ट और अच्छे आदमी भी हैं, भल्ला साहब वगैरह, और हम उनकी बड़ी तारीफ सुनते हैं। लेकिन यह देख कर कुछ शंका होने लगती है कि कहीं कोई नौकरी होती है तो लोगों के मन में कैंडीडेट के मन में यह धारणा हो जाती है कि भाई फलां-फलां छांटे जायेंगे। यानी यह विश्वास होने लगता है लोगों को कि नौकरियां कुछ लोगों के लिये निर्मित की जाती हैं। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने शायद उग्रसेन जी थे, कहा कि व्यक्ति विशेष के लिये विज्ञप्ति की गई। वही योग्यायें रखी गईं जो उस आदमी के पास मौजूद थीं। तो इस तरह की चीजों से श्रीमन्, शंका होने लगती है। श्रीमन्, अंग्रेज चाहे कितने भी बुरे थे लेकिन दो चीजें उनकी अच्छी थीं। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी जूडिशियरी और उसकी इन्टीग्रिटी। तो हमारे अपने देश का जो पिछले कई वर्षों का रवैया रहा पिछले कई वर्षों से जिसकी नींव वह लोग डाल गये कि यहां के जज जो थे वे निष्पक्ष होते थे और उनका भारत में ही नहीं वरन् सारे विश्व में अपना एक स्थान है। हमारे एक जज पाल साहब जापान गये। वहां उन्होंने अपना एक विशेष स्थान बनाया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

इसी तरीके से हमारे बड़े-बड़े जूरिस्ट्स हैं जिन पर हमको नाज है। लेकिन श्रीमन्, ला कमीशन की रिपोर्ट आपकी नजरों से भी गुजरी होगी। आज उसमें हम क्या पाते हैं। उस ला कमीशन में जिसमें कि अटार्नी जनरल एम० सी० सीतल वाद व हाईकोर्ट ऐसे जजेज मेम्बर थे उसकी रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि हाई कोर्ट के जजेज के एप्वाइन्टमेंट में कुछ ठीक तरह से काम नहीं हुआ है। साम्प्रदायिकता वगैरह भर्ती में हुई है। उसमें ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता। मुझे डर है कि कहीं और भी न कहा जाने लगे। अभी श्रीमन्, हमें बड़ा दुःख हुआ और श्रीमन् को भी दुःख हुआ होगा, पिछले दिनों किसी पार्टी विशेष में कान्फिडेंस और नो कांफिडेंस का सवाल यहां आया था, उस मौके पर यह मालूम हुआ कि अमुक-अमुक मेम्बरों ने इसलिये वोट नहीं दिया कि उनका लड़का फलां-फलां कमीशन के सामने जाने वाला था, उससे प्रामिस कर दिया गया कि तुम्हारे लड़के को रख दिया जायगा। कुछ मेम्बरों को यह डर लगा कि उनका लड़का नहीं रखा जायगा। इसलिये उन्होंने वोट नहीं दिया। तो यहां तक जब बात होने लगी है तो जरा डर लगता है यह एक खराब रास्ते के लिये निर्देश है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और उनकी जगह जो इस समय उपनेता सदन बैठे हुए हैं उनसे बाअदब गुजारिश करूंगा कि इस चीज को रोकिये। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये और यह चीज मैंने किससे सुनी--उधर सरकार में बैठने वाले अच्छे-अच्छे मेम्बर्स के बीच में यह चीज डिस्कस हो रही थी उन सदस्यों का नाम उसमें लिया जा रहा था। तो यह चीज बड़ी गलत होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन में यदि ऐसा होने लगा कि वह फलां के लड़के को रख लेगें और फलां के लड़के को नहीं रखेंगे तो यह चीज बहुत बुरी होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा उन्होंने इधर कुछ एप्वाइटमेंट्स कमीशन में ऐसे किये हैं जिनकी सख्ती और निष्पक्षता प्रख्यात है। मैं मानता हूं ऐसे लोग न्याय करेंगे, लेकिन फिर भी इस बात का खयाल रखा जाना चाहिये कि बेस्ट इंटीग्रिटी के आदमी, अच्छे से अच्छे आदमी उसमें रखे जांय ताकि इस तरह की शिकायत को सुनने का मौका न मिले।

मेरे मित्र श्री रामेश्वर जी ने अभी कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई इस बात को जानकर कि रिपोर्ट में कुन्बापरस्ती की बात उन्होंने नहीं पायी। यह तो ऐसी चीज है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या ऐसे लोग है जो इस चीज को इतने भोड़ तरीके से इसमें रखते। यह इस तरह की बात तो किसी भी रिपोर्ट में पढ़ने को नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है इशारे में। समझने वाले समझ जाते हैं। अगर वह इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको भी अन्दाज आ जायगा। एक बात मैं फिर दुहराऊंगा कि किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित आदमी को तो आयोग का मेम्बर कभी नहीं बनाना चाहिये। अगर मैं कल को मेम्बर न हो सकूं और पार्टी मेरी ताकत में हो तो मैं वहां मेम्बर बना दिया जाऊं, यह चीज कुछ अच्छी नहीं है। पहले तो यह था कि जो कांग्रेसी आदमी एलेक्शन में रिजेक्ट हो जाता था इस सदन का मेम्बर नहीं हो पाता था तो उसको कहीं का गवर्नर बना दिया जाता था। अब उसे मेम्बर भी बनाया जाने लगा है, कई प्रान्तों में ऐसा देखा गया है। तो इस तरह से यह प्रथा बुरी पड़ रही है।

रही दूसरी बात--कमीशन की अवहेलना करने की। मैं एक उदाहरण दूं। अल्मोड़ा जिले के कृषि अधिकारी के ट्रांसफर के लिये हमने कोशिश भी की, कहा कि काम नहीं कर रहे हैं, लोएस्ट प्रोड्यूस अल्मोड़े में हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ट्रांसफर भी उसका हो गया, लेकिन फिर उसका ट्रांसफर रोक दिया जाता है, और वह अपनी जगह पर बना हुआ है। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जिस आदमी को रिजेक्ट कर दे, जनता भी कहे कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो टार्गेट हो वह भी लोएस्ट आये, उस पर भी सरकार उसको अपनी जगह पर बनाये रखे, मैं समझता हूं कि इस तरह से कमीशन की बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

जैसे सीधी भर्ती के बारे में कमीशन ने सरकार से कहा है--सन् १९५५ में कमीशन ने उनको पत्र लिखा जिसका आज तक जवाब ही नहीं दिया गया है। यह क्या है हम पहले सुना करते थे कि प्रदेश के पर्वतीय हिस्से में कभी नैपालियों का राज्य था। एक बार अल्मोड़े में आग लग गई। उसके छः महीने बाद नैपाल से यह हुकुम आया कि आग बुझा दो। सन् १९५५ की रिपोर्ट है, और आज १९५८-५९ है, आज तक उसका कोई जवाब हीं नहीं गया। यह क्या है? किस snail's pace से हम जा रहे हैं? कहां ऐटम और हवाई जहाज का जमाना और रूस का राकेट ७ लाख मील ऊपर चढ़ गया, और कहां हमारे यहां कमीशन के पास ४ साल तक सरकार को जवाब नहीं जाता, तो क्या तरक्की हम कर पायेंगे?

इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में टेक्नीकल आदमी जरूर हों और अगर आवश्यकता हो तो कांस्टीट्यूशन में भी परिवर्तन कर दिया जाय और गवर्नर के अलावा अगर प्रेसीडेंट के हाथ में कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति करने की पावर दे दें तो किसी को शक करने की गुंजायश नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष--श्री प्रतापसिंह, आप भी ५ मिनट समय लेंगे।

श्री प्रतापसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत हुई है इसके अन्दर न जाते हुए मैं कुछ सुझाव पेश करूंगा। पहली चीज तो यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकिल ३२३ जो कांस्टीट्यूशन का है उसके अनुसार प्रतिवर्ष कमीशन की रिपोर्ट पेश होनी चाहिये और आज जो हमारे सामने रिपोर्ट है १९५५-५६ की यह १९५९ में पेश हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार से जवाब तलब किया जाय कि क्या कारण है कि इतनी देर की गयी? भले ही माननीय मंत्री जी इस पर हंस लें, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना हुई है वह आर्टिकिल ३१५ जो कांस्टीट्यूशन का है उसके आधार पर हुई है और कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत जो भी कमीशन नियुक्त किया जाता है उसकी एक महत्ता है। आज जनतंत्र के विकास में पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे बड़ा टेस्ट यह है कि कोई राजनीतिक कंसीडरेशंस उसके एप्वाइंटमेंट्स में नहीं होने चाहिये। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहला सुझाव यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारों को बढ़ाया जाना चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि जब हमारे देश में पब्लिक सार्विस कमीशन है तो मंत्रियों की ओर से और विभाग की ओर से कोई भी एप्वाइंटमेंट्स नहीं होने चाहिये। यह आज पालिसी मंत्री जी बदलें कि उच्च अधिकारियों की कोई भी रेस्पांसिबिल पोस्ट जो वह होल्ड करते हैं उनका कोई टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट मंत्रियों की सिफारिश या विभाग के अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कहूंगा कि सरकार हमारे कांस्टीट्यूशन की अवहेलना करती है और इसके २५ उदाहरण कमीशन की रिपोर्ट में हैं कि आयोग एक सिफारिश करता है और सरकार नहीं मानती है। आयोग की रिपोर्ट के पेज ७ पर है कि जब नियुक्ति हो गयी तो सिफारिश के लिये लिखा गया। और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण यह है कि मेडिकल कालेज कानपुर खोला गया। नेता विरोधी दल ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्तियां क्यों नहीं हुईं उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या आज उसका कोई जवाब दिया जा सकता है? दूसरे आयुर्वेदिक कालेज के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वहां के प्रिंसिपल की नियुक्ति के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन के पास सिफारिश के लिये लिख दिया है तो आज जवाब दें कि क्या वह नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश से हुई? इन तमाम चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिये। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ३१६ में यह है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिये जो काफी अनुभवी हों। उसमें है--

"A member of a Public Service Commission shall hold office for a term of six years from the date on which he enters upon his office or until he attains, in the case of the Union Commission, the age of sixty-five years and in the case of a State Commission, the age of sixty years, whichever is earlier."

[श्री प्रतापसिंह]

मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरान हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्या उनके एप्वाइंटमेंट्स में आर्टिकिल ३१६ का पूरा पूरा पालन किया गया है ? जो लोग ज्यादा उम्र के होंगे उनमें ट्रू पब्लिक सर्विस का सेंस होगा । यह मैं आक्षेप के तौर पर नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं आपको बताऊं कि होशियार लोग जाते हैं तो वहां पर उनसे पूछा जाता है कि बताइये आपकी कोई जान-पहिचान है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों ?

दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर ईमानदार आदमी तो जरूर हों लेकिन कोई प्रोफेशनल पोलीटिशियन नहीं होने चाहिये । अगर आप ऐसे लोगों को रखते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं । वह बहुत पवित्र चीज है । मैं कहूंगा कि चाहे प्रजा सोशलिस्ट दल का भी कोई आदमी कैसा ही ईमानदार क्यों न हो हम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे कि आप उसको मेम्बर बना दीजिये ।

लेकिन यही कंसीडरेशन सरकार को अपनी पार्टी के लिये भी रखना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो नियुक्तियां की जांय उनमें पवित्रता मेन-टेन की जाय, लेकिन मेजारिटी पार्टी की तरफ से उसमें हस्तक्षेप होता है । इसलिये अगर प्रजा-तन्त्र को बचाना है तो हमें पाकिस्तान से सबक लेना चाहिये । कमीशन तो पवित्र है ही लेकिन मान्यवर सरकार को आज कसम खानी चाहिये हाउस में कि बिना उनकी राय के बड़ी-बड़ी नियुक्तियां नहीं की जांयगी । आखिरी बात मुझे यह कहीनी है कि ८ सालों से गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूलों में अध्यापिकायें और प्रधान अध्यापिकायें काम कर रही हैं लेकिन कमीशन से तब नहीं पूछा अब पूछा जा रहा है तो वह जरूर अपनी राय देंगे कि जब बिना पूछे उनकी नियुक्ति कर ली तो अब हम क्या करें । अब ८० मास्टरनियों को नोटिस दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि यह गलती किसकी है—एजूकेशन डिपार्टमेंन्ट की है सरकार की है या कमीशन की है ? इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इमानदारी से काम करें जिससे हम इस प्रदेश और देश में जनता के हितों की रक्षा कर सकें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संक्षेप में दो तीन बातें कहनी हैं । सबसे पहले यह कहना है कि १९५५–५६ की रिपोर्ट सरकार के पास ३० अक्तूबर, १९५७ को आई और १९५८ में छपी और १९५९ में यहां पेश हुई । मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से आडिट रिपोर्ट छपती है उसी तरह से कमीशन को एथारिटी होनी चाहिये कि वह छापकर यहां भेजे । यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट १९५८ की यहां लाइब्रेरी में आ गई है और यहां पर अब १९५५–५६ की आ रही है ।

माननीय भगवतीसिंह जी ने प्रमोशन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये । प्रमोशन के समय सरकार कहीं पर सीनियारिटी को मानती है और कहीं पर कैरेक्टर रोल को देखती है इसलिये सरकार को चाहिये कि एक सिद्धान्त पर चले । श्रीमान् सरकार की ओर से ऐसा भी होता है कि जब वह देखती है कि किसी केस में खतरा है तो वह कमीशन के पास पूरी फाइल नहीं भेजती है बल्कि आधी फाइल भेज देती है जिससे कमीशन को फिर लिखना पड़ता है कि पूरी फाइल भेजो । इस तरह से प्रशासन में तरक्की नहीं हो सकती । उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थान पर बहुत स्पष्ट लिखा गया है :

"The Commission after fully considering the proposal found themselves unable to agree. They replied to the department concerned accordingly and brought to the notice of the Chief Minister the great indifference with which the department had treated the selections made by the Commission in this case."

ऐसी बातें कई स्थानों पर लिखी गई हैं । अभी उधर के मेरे एक मित्र ने कहा कि पहले से अब सरकार का कमीशन से ज्यादा अच्छा सम्बन्ध रहा है । मैं समझता हूं कि मेरे मित्र बड़ी जल्दी में रिपोर्ट पढ़ गये हैं और उनकी दृष्टि में यह नहीं आया कि यहां पर कमीशन का सरकार से सम्बन्ध खराब है या अच्छा यह प्रश्न नहीं है । सन् १९५४–५५ की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि १०५ आदमी बिना विज्ञापन के भर्ती किये गये । उसका नतीजा यह हुआ कि १९५५–५६ में ३६८ आदमी बिना एडवर्टाइजमेन्ट के भर्ती कर लिये गये । तो मैं जानना चाहता हूं कि सम्बन्धों के अच्छे और बुरे होने का उनका मापदंड क्या है ? मैं माननीय सदन का ध्यान गोरेवाला रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं । दुर्भाग्य से आज लाइब्रेरी बन्द है वह मिल नहीं सकी । उसमें लिखा है कि जाति के आधार पर नियुक्तियां होती हैं और उनमें कौम का ध्यान रखा जाता है । आज यह हो रहा है कि सरकारी नौकर अपने को सरकार का नहीं बल्कि कांग्रेस जमाअत का नौकर समझते हैं । मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र के लिये बड़ा घातक है कि सरकारी कर्मचारी अपने अन्दर इस प्रकार की भावना रखें ।

सूचना विभाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सारे जिलों में सूचना अधिकारी मौजूद हैं लेकिन क्या सरकार बता सकती है कि कितने सूचना अधिकारियों की उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा है ? सिर्फ १०,१२ आदमी गये हैं बाकी सब बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति के सूचना अधिकारी बना दिये गये हैं । पिछले वर्ष मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बार-बार मना करने पर भी नियुक्त किये गये उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला । आज मुझे एक पत्र मिला है एक इंजीनियर के सम्बन्ध में कि उनको अनिवार्य रूप से अवकास दे दिया गया । इनफार्मेशन विभाग के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों को क्यों नहीं कमीशन से लिया जाता है । कितने ही वहां ऐसे आदमी हैं जिन्हें ५-५ वर्ष से कमीशन के सामने नहीं भेजा गया और वह काम कर रहे हैं । यह सारे प्रदेश का सवाल है । सूचना संचालक का केवल एक उदाहरण ही नहीं है । वह ग्लेयरिंग एग्जाम्पिल है कि उनकी सार्विसेज को रखने के लिये सरकार वर्षों से इस बात का प्रयत्न कर रही है कि उनका पद पब्लिक सर्विस कमीशन की मातहती में न रहे और आज मजबूर होकर या किसी प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन को मानना पड़ा है । क्यों सरकार इस तरह का दबाव डालने की कोशिश करती है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तमाम मित्रों के भाषण सुने उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं । अभी हमारे मित्र बलिया ने सुझाव दिया कि कमीशन की रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट आती है वैसे ही सीधे सदन में आ जावे तो ज्यादा अच्छा है । यह सुझाव सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । मैं कैसे कहूं, कह नहीं सकता कि हमारे मित्र ने संविधान की धारा ३२३ का सब-क्लाज (२) को देखने का कष्ट नहीं किया । उसमें दिया हुआ है कि जिन मामलों में सरकार ने कमीशन की सलाह से इत्तफाक नहीं किया इनकी वजूहात लिखकर सदन के सामने रिपोर्ट आवे । यही तरीका है जो बर्ता जा रहा है जैसा कि भगवतीसिंह जी ने कहा यह १९५५–५६ की रिपोर्ट अक्तूबर, १९५७ में सरकार के पास आई । कमीशन ने देर की । अफसोस है । उनको पहले भेजनी चाहिये थी लेकिन देखना तो यह है कि आया सरकार ने कोई नामुनासिब देर की । रिपोर्ट हर विभाग के पास भेजी जाती है और मुताल्लिका डिपार्टमेंन्ट अपने-अपने मामलात देखकर उनके जवाबात लिखे । जवाबात तैयार करके कंसोलिडेट होंगे । फिर एक मेमोरैन्डम तैयार करके इस सदन के सामने भेजा जायगा । यह रिपोर्ट अक्तूबर में आयी । इस सब काम में २–४ महीने तो लग ही जाते हैं । इसलिये जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसकी तरफ से बेजा तौर पर एक मिनट की भी देरी नहीं की गयी । लेकिन हमारे मित्र सारा का सारा दोष गवर्नमेंट पर ही रख देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को भूल ही जाते हैं कि उसने कितने दिनों में उसको भेजा ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

एक बात हमारे मित्र प्रतापसिंह ने कही कि गवर्नमेंट आज कसम खा ले कि बड़े आफीसरों की तकर्रुरी बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के मशविरे के न करेगी। कसम वह खाते हैं जिनको अपनी बात पर ऐतबार नहीं होता जो ईमानदार होते हैं वे सही बात ही कहते हैं और वही करते भी हैं। इसलिये सरकार जो करती है वह ठीक ही करती है।

मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन हमारे एक मित्र ने फरमाया कि रिटायर्ड आफिसर्स उसमें रख दिये जाते हैं और वे अन्डर प्रेशर वहाँ काम करते हैं। इस तरह से उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट दोनों पर आक्षेप करके एक ही तीर में दो चिड़ियां मारने की कोशिश की। अगर वे कांस्टीट्यूशन देख लेते तो ऐसी बात वे न कहते। उसमें साफ यह लिखा हुआ है कि उसमें आधे ऐसे आफीसर होंगे जिनको दस साल का अनुभव होगा। इसलिये यह कहना कि आधे रिटायर्ड आफीसर्स उसमें रख दिये जाते हैं यह इग्नोरेंस आफ दि कान्स्टीट्यूशन जाहिर करता है। यह वाकया नहीं है।

हमारे मित्र कानपुर ने कहा कि रिपोर्ट २७ पेज में हैं। जब हमने उसको उल्टा तो उसमें २८ पेज निकले। हमने सोचा कि आखिर जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वह ऐसी गलत बात क्यों करेंगे। लेकिन हमने देखा कि उसके २८ वें पेज पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अपनी राय दी है वह इस प्रकार है —

> "आयोग को देखकर यह बड़ा संतोष है कि थोड़े से मामलों को छोड़ कर जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है शासन तथा अन्य नियुक्त प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन के विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा प्रदत्त परामर्श भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री का विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनकी नोटिस में लाये गये उन पर उन्होंने शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की।"

यह २८ वें पेज पर दिया हुआ है। इस वजह से हमारे मित्र ने २७ पेज की ही रिपोर्ट का बयान किया और उस एक पेज को निकाल दिया। इसी प्रकार से जब वे लड़कों को पढ़ाते होंगे तो असली बात का किताब से पन्ना निकाल कर पढ़ा देते होंगे। हमारे तमाम मित्रों ने तो यह शिकायत की, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखता है यह पैरा कि हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। "मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त" पब्लिक सर्विस कमीशन को तो कोई शिकायत नहीं है लेकिन हमारे मित्रों को शिकायत है। और दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं। यह कहना कि पब्लिक सर्विस कमीशन की हर राय सरकार के ऊपर लाजमी है जैसा कि कई मित्रों ने सजेस्ट किया, संविधान की रू से वह लाजिमी नहीं हो सकती है। जिन क्लासेज आफ सर्विस के लिये रूल्स बना दिये जायं उनके मुताल्लिक उनसे कंसलटेशन करना हमारे लिये लाजमी है और उनके लिये लाजमी है कि वे हमको मशविरा दें, लेकिन यह कोई सोचे कि सरकार रबर स्टाम्प ऐसा कठपुतली ऐसा बन कर बैठ जाय और जो कुछ आ जाय सब को एक्सेप्ट कर ले तो ऐसा करने में सरकार असमर्थ होगी। सरकार भी सोचती विचारती है और यह स्वाभाविक है कि दो आदमियों के दरमियान एख्तलाफ राय हो। जिसमें एख्तलाफ राय नहीं होती है उनके मुताल्लिक में क्या कहूं कि वे किस जमात में शुमार किये जा सकते हैं। एख्तलाफ राय हो सकता है जैसा कि इस रिपोर्ट से भी साबित है कि कुल दो केसेज में ऐसा हुआ है जिसमें सरकार ने उनकी राय को नहीं माना। सरकार के कुछ वजूहात हैं जो मेमोरेंडम में दिये हुये हैं मैं उसे दोहरा कर और उसे पढ़ कर सदन का वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं। और मामले जो इसमें दिये हुये हैं उनको अगर गौर से पढ़ा जाय और देखा जाय तो हमारे और उनके दरमियान एख्तलाफ राय शुरू-शुरू में था लेकिन धीरे-धीरे आपस में सम्पर्क स्थापित होने पर, कारेस्पांडेंस होने पर, बात करने पर उनकी शिकायतें आपस में सेटल डाउन हो गयीं तो कई हमारे उनके डिफरेंसेज सेटल डाउन हो गये। केवल दो केसेज ऐसे हैं जिनमें हमारे उनके डिफरेंसेज है लेकिन

संविधान के अनुसार गवर्नमेन्ट को प्रिविलेजेज हैं कि उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन सिफारिश करे और उसे गवर्नमेन्ट मुनासिब न समझे तो उसे न माने और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अपना वह प्रिविलेज सरकार छोड़ना नहीं चाहती है ।

हमारे उन्नाव के एक मित्र ने इसमें कुनबा परवरी का जिक्र किया । उनको हर जगह कुनबा परवरी ही दिखाई देती है । इन रिपोर्ट में भी उनको कुनबा परस्ती दिखलायी दी। जो भी बात कहनी चाहिये उसे खूब सोच समझ कर कहनी चाहिये । इस तरह की बात कह देना तो आसान है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिये । गवर्नमेंट जो बात करती है वह ठीक करने की कोशिश करती है यह जनता कि गवर्नमेन्ट है और हमेशा गवर्नमेन्ट को सही, सत्य और मुनासिब बात कहनी है। उसके करने में मुझे अफसोस है कि कहीं एख्तलाफ राय हो सकता है । यह तो हो नहीं सकता कि कभी गवर्नमेंट में और कमीशन में एख्तलाफ राय हुआ ही नहीं लेकिन जो रिपोर्ट है वह इस बात का सबूत पेश करता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेन्ट के दरमियान जो तरीका रहा है वह बहुत अच्छा रहा है, खुशगवार रहा है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह उनसे कहें । मुझे कोई शिकायत नहीं है । माननीय सदस्य भी आज बहुत परेशान हो गये हैं, पूरा रमजान खत्म हो गया, लिहाजा इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है कि लोक सेवा आयोग के सामने जो नौकरियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये जाते हैं उनकी सुविधा के लिये एक साक्षात्कार भवन बनवा दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह प्रश्न जेरे गौर है ।

श्री उग्रसेन---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बात है कि बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को जब पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार क्षेत्र के अन्दर ही रखा गया है तो सूचना संचालक उत्तर प्रदेश के पद को कमीशन के पर्यावलोकन क्षेत्र से क्यों निकाल दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन लोगों के केस को रिजेक्ट कर दिया है उनके मुताल्लिक वे कोई हुक्म देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं समझा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया है उनकी नियुक्ति के बारे में वह पूछ रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---वह करेंगे तो फिर वह शिकायत करेंगे कि कहना नहीं मानते ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जैसे कृषि अधिकारी अल्मोड़ा का केस रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी वह बने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---उनका कहना है कि वह वाजिबी नहीं है ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
३१ मार्च, १९५९ ई० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

रायबरेली जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे—

कार्य का नाम	लम्बाई	प्रगति
१—पुनः निर्माण—		
(१) बछरावां-भवानीगढ़	९ मील	यह सभी सड़कें प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में पूरी हो गई हैं।
(२) रायबरेली-फतेहपुर	१६ ५/८ ,,	
(३) लालगंज-उन्नाव	९ ,,	
(४) रायबरेली-लालगंज	२० ,,	
(५) रायबरेली-जायस	२२ ,,	
(६) प्रान्तीय फीडर सड़कें—		
(क) फुरसतगंज रेलवे फीडर ..	७ ,,	
(ख) मोहनगंज, फैजाबाद	१ ,,	
२—नव-निर्माण		
(७) इलाहाबाद-लालगंज-उन्नाव	३३ ,,	
(८) रायबरेली-फैजाबाद-मऊहल्लीपुर-मोहनगंज व जायस	४ ५/८ ,,	
३—कच्ची सड़कों को पक्का करना—		
(९) बछरावां-राजामऊ	५ १/२ ,,	
(१०) बछरावां-महराजगंज	१२ १/८ ,,	
४—सुधार तथा आधुनिकरण—		
(११) लखनऊ-वाराणसी सड़क (६०—७४ मील)	१४ ,,	अब पूरा हो चुका है।
(१२) रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जिलों में लखनऊ-वाराणसी सड़क	११ ,,	द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में पूरी की जायगी।
(१३) राजामऊ-टाउन बाजार सड़क ..	४ फर्लांग	अब पूरा हो चुका है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

नाम तहसील			पूर्ण पंचायत घर	अपूर्ण पंचायतघर
१—बस्ती	..	..	१३	१
२—बांसी	..	..	४	१
३—डुमरियागंज	..	..	७	२
४—खलीलाबाद	..	..	१०	२३
५—हरैया	..	..	६	९
६—नौगढ़	..	..	३	२
		योग	४३	३८

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

स्थायी तथा अस्थायी मेट, बेलदार तथा मजदूरों का वेतन-क्रम

स्थायी मजदूरी प्रति मास	अस्थायी मजदूरी प्रति दिन
मेट—३५ रु० से ५८ रु० तक।	१ रु० २५ नये पैसे से १ रु० ७५ नये पैसे तक।
बेलदार—३० रु० से ४८ रु० तक।	१ रु० से १ रु० ७५ नये पैसे तक।
मजदूर—२८ रु० से ३६ रु० तक।	१ रु० से १ रु० ५० नये पैसे तक।

उपर्युक्त वेतन में मंहगाई सम्मिलित है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

थारुओं को दी गई सहूलियतों की सूची

१—प्रत्येक परिवार को अपनी जीवकोपार्जन के लिये निम्नतम दस एकड़ भूमि खेती के लिये दी गई है ।

२—लगान हर फसल में उनके द्वारा बोये हुये क्षेत्रफल पर ही २५ नये पैसे प्रति बीघा की दर से लिया जाता है । जो कि अन्य जगहों पर लिया जाने वाले लगान की दर से केवल नाम मात्र ही है ।

३—लगान प्रत्येक गांव में गांव के प्रधान द्वारा एकत्र किया जाता है और उन्हें ६ नये पैसे प्रति रुपये पर कमीशन के रूप में दिया जाता है ।

४—थारुओं को अपने मवेशी मुफ्त में जंगल में चराने की सुविधा दी गई है ।

५—थारुओं को अपने छप्पर व गौशाले बनाने के तमाम सामान (घास, फूस, सेठा, बनकस, कोरों बल्ली इत्यादि) मुफ्त में जंगल से लाने व इस्तेमाल करने की सुविधा प्राप्त है ।

६—उन्हें अपने खेती के औजार बनाने की लकड़ी, गाड़ी इत्यादि बनाने की लकड़ी मुफ्त में दी जाती है ।

७—दिन प्रति दिन में कार्य आने वाली ईंधन की लकड़ी, कुयें बनाने की लकड़ी, खाने में जंगली, फल फूल इत्यादि, मछली, खेत रूधने की झाड़ी कांटें और अन्य काम में आने वाली वन उपज मुफ्त में इस्तेमाल करने की आज्ञा है ।

८—गांवों में कुओं की मरम्मत व सफाई समय-समय पर की जाती है । कहीं-कहीं पर हाथ वाले नल भी लगे हैं ।

९—औषधीय सहायता भी विभागीय औषधालय से समयानुकूल की जाती है । डी०डी०टी० छिड़काने का प्रबंध और टीके आदि लगाने का प्रबंध भी आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा किया जाता है ।

१०—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से जो स्कूल गांव में हैं उनकी मरम्मत व बनाने का तमाम सामान मुफ्त में विभाग की ओर से दिया जाता है ।

पी० एस० यू० पी० ए० सी०—२१ एल० ए०—१९५९—८४५ ।